

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति
(2022-2023)

29

सत्रहवीं लोक सभा

ग्रामीण विकास मंत्रालय
(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

उनतीसवां प्रतिवेदन



लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

उनतीसवां प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2022-2023)

(सत्रहवीं लोक सभा)

ग्रामीण विकास मंत्रालय

(ग्रामीण विकास विभाग)

अनुदानों की मांगें

(2023-24)

14.03.23 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

15.03.23 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।



लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023 / फाल्गुन, 1944 (शक)

सीआरडी सं. 183

मूल्य: रुपये.....

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (तेरहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और ----- द्वारा मुद्रित ।

विषय सूची		पृष्ठ सं.
समिति की संरचना		(iv)
प्राक्कथन		(vi)
प्रतिवेदन		
भाग- एक		
व्याख्यात्मक विश्लेषण		
I. (i) प्राक्कथन		1
(ii) ग्रामीण विकास मंत्रालय का संक्षिप्त विवरण		1
• ग्रामीण विकास विभाग का उद्देश्य		2
• ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम		3
II. अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच		4
(i) ग्रामीण विकास विभाग की विस्तृत अनुदानों की मांगें (2023-24)		4
(ii) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग की समीक्षा		13
(iii) व्यय की गति धीमी होने के कारण		15
(iv) व्यय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव		18
(v) 2022-23 के दौरान व्यय की तुलना में आवंटन		20
(vi) अव्ययित शेष		21
(vii) विभाग के लिए निधियों की मांग और आवंटन		27
(viii) लक्ष्यों को प्राप्त करने की योजना		28
III. योजनाओं का विश्लेषण		30
(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)		30
(i) वित्तपोषण पद्धति		31
(ii) वित्तीय कार्य निष्पादन		31
(iii) वास्तविक कार्य निष्पादन		35
(iv) लंबित मजदूरी		36
(v) मजदूरी के भुगतान में विलंब की प्रतिपूर्ति		38
(vi) वर्तमान में अधिसूचित मजदूरी दरें		41
(vii) मजदूरी में असमानता		42
(viii) निगरानी एवं उपस्थिति प्रणाली		43
(ख) प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)		44
(i) सिंहावलोकन		44
(क) सहायता घटक		44
(ख) लाभार्थियों की पहचान		44
(ii) मुख्य विशेषताएं		45
(iii) वित्तीय प्रगति		45
(iv) योजना के अंतर्गत अव्ययित शेष: कारण एवं निवारण		48
(v) वास्तविक प्रगति		49

	(vi) भूमिहीन लाभार्थी	51
	(vii) पीएमएवाई-जी के अंतर्गत यूनिट सहायता में वृद्धि	54
	(viii) निगरानी तंत्र	54
(ग)	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	56
	(i) संक्षिप्त रूपरेखा	56
	(ii) वित्तपोषण पद्धति	57
	(iii) पीएमजीएसवाई – समय सीमा और प्रगति	58
	(iv) वित्तीय प्रगति	58
	(v) वास्तविक प्रगति	62
	(vi) वन स्वीकृति के मुद्दे	65
	(vii) निर्माण की गुणवत्ता	65
	(viii) निर्माण के बाद सड़कों का रखरखाव	65
	(ix) निगरानी	67
	(x) नई प्रौद्योगिकी का उपयोग	67
(घ)	दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)	68
	(i) प्राक्कथन	68
	(ii) मुख्य विशेषताएं	68
	(क) सार्वभौमिक स्तर पर सामाजिक एकीकरण	68
	(ख) लाभार्थियों की पहचान	68
	(ग) सतत संसाधनों के रूप में समुदाय को निधियां प्रदान करना	68
	(iii) डीएवाई-एनआरएलएम के प्रमुख घटक और उप-योजनाएं	68
	(क) संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण	68
	(ख) वित्तीय समावेशन – एसएचजी बैंक लिंकेज	69
	-- ब्याज सहायता	69
	(ग) आजीविका – कृषि आजीविका	69
	-- गैर-कृषि आजीविका	69
	(घ) एमकेएसपी - महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना	69
	(ङ) एसवीईपी - स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम	69
	(iv) वित्तीय कार्य निष्पादन	69
	(v) वास्तविक कार्य निष्पादन	72
	(vi) स्वयं सहायता समूह - प्रगति का विस्तृत ब्यौरा	74
	(vii) ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)	76
	(viii) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई)	78
(ङ)	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	81
	(i) पृष्ठभूमि	81
	(ii) एनएसएपी के घटक	82
	(iii) वित्तीय उपलब्धि	83
	(iv) अव्ययित शेष	86

	(v) वास्तविक प्रगति	88
	(vi) निगरानी तंत्र	89
(च)	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन (एसपीएमआरएम)	90
	(i) संक्षिप्त जानकारी	90
	(ii) वित्तीय प्रगति	90
	(iii) वास्तविक प्रगति	91
	(iv) अव्ययित शेष	93
(छ)	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर)	94
(ज)	सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)	95
	(i) उद्देश्य और कार्यान्वयन	95
	(ii) वर्तमान स्थिति	95
IV.	जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां	97
	भाग-दो	
	समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें	102
	अनुबंध	
I.	प्रत्येक योजना के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार अव्ययित शेष राशि का ब्यौरा	117
II.	20.01.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई-1 की वास्तविक प्रगति का विवरण	126
III.	समिति की 09 फ़रवरी 2023 को हुई पाँचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	132
IV.	समिति की 13 मार्च 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्दरण	135

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती कनिमोड़ी करुणानिधि- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री ए.के.पी. चिनराज
4. श्री राजवीर दिलेर
5. श्री विजय कुमार दुबे
6. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
7. डॉ. मोहम्मद जावेद
8. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
9. सुश्री एस. जोतीमणि
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13. श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. डॉ आलोक कुमार सुमन
20. श्री श्याम सिंह यादव
21. श्रीमती डिम्पल यादव

राज्य सभा

22. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
24. श्रीमती शांता क्षत्री
25. डॉ. धर्मस्थल वीरेन्द्र हेग्गडे

26. श्री इरण्ण कडाडि
27. श्रीमती रंजीत रंजन
28. श्री नारणभाई जे. राठवा
29. श्री राम शकल
30. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह
31. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर.शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी. कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री ईनाम अहमद - कार्यकारी अधिकारी

प्राक्कथन

में, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का सभापति (कार्यकारी), समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 277(3) के अनुसार) ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) की अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में उनतीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड.(1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।
3. समिति ने 09 फरवरी, 2023 को ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।
4. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।
5. समिति ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।
6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा

कार्यकारी सभापति

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी

स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग-1

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय - एक -प्राक्कथन

1.1 ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति लोक सभा की विभागों से संबंधित सोलह स्थायी समितियों में से एक है जिसे मुख्य रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में मांगे गए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अनुदानों की मांगों की जांच का अनिवार्य कार्य सौंपा गया है, जबकि संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन योजनाओं की जांच भी की जाती है। वर्तमान प्रतिवेदन लोक सभा में प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 331ड.(1) (क) के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों की जांच के लिए है।

1.2 ग्रामीण विकास मंत्रालय का संक्षिप्त विवरण

ग्रामीण विकास विभाग, जो अक्टूबर, 1974 में खाद्य और कृषि मंत्रालय के एक भाग के रूप में अस्तित्व में आया, 18 अगस्त, 1979 को एक नए ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में परिवर्तित हो गया। मंत्रालय का नाम बदलकर 23 जनवरी 1982 को ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया। ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से जनवरी 1985 में कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक विभाग में परिवर्तित कर दिया गया। 5 जुलाई, 1991 को विभाग को फिर से ग्रामीण विकास मंत्रालय के रूप में क्रमोन्नत किया गया। 2 जुलाई 1992 को इस मंत्रालय के तहत बंजर भूमि विकास विभाग बनाया गया था। मंत्रालय का नाम बदलकर मार्च 1995 में ग्रामीण क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय कर दिया गया, जिसमें ग्रामीण

रोजगार और गरीबी उन्मूलन, ग्रामीण विकास और बंजर भूमि विकास विभाग नाम के तीन विभाग थे।

1.3 1999 में मंत्रालय का नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय कर दिया गया, जिसमें तीन विभाग अर्थात् ग्रामीण विकास विभाग, भूमि संसाधन विभाग और पेयजल और स्वच्छता विभाग शामिल थे। पेयजल और स्वच्छता विभाग को 13 जुलाई, 2011 को इस मंत्रालय से अलग कर दिया गया था।

1.4 वर्तमान में, ग्रामीण विकास मंत्रालय में दो विभाग हैं, अर्थात् (I) ग्रामीण विकास विभाग और (II) भूमि संसाधन विभाग।

ग्रामीण विकास विभाग के उद्देश्य

मंत्रालय के मुख्य उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:

- i. वंचित ग्रामीण परिवारों का परिसंपत्तियों, आजीविकाओं, अवसंरचना और सेवाओं सहित बहु-आयामी सहायता के माध्यम से उत्थान करना । सेचुरेशन दृष्टिकोण अपनाना और परिवारों एवं समुदायों का स्थायित्व सुनिश्चित करना ।
- ii. कार्यक्रमों और योजनाओं का तालमेल ।
- iii. गरीबों की संस्थाओं का विकास और पंचायती राज संस्थाओं एवं परिवर्तन के अन्य साधनों के साथ साझेदारियां करना ।
- iv. ठोस परिणामों की समेकित एवं सतत निगरानी ।

1.5 मंत्रालय का विजन और मिशन आजीविका अवसरों को बढ़ाकर, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था प्रदान कर तथा विकास के लिए बुनियादी ढांचे को विकसित कर गरीबी के उन्मूलन हेतु एक बहुआयामी कार्यनीति के जरिए ग्रामीण भारत का स्थायी एवं समावेशी विकास करना है। आशा है कि इससे ग्रामीण भारत के लोगों के जीवन स्तर में सुधार आएगा तथा विकास में असंतुलन दूर होंगे और इस प्रक्रिया का उद्देश्य समाज के अति वंचितों तक लाभ पहुंचाना है।

ग्रामीण विकास विभाग के प्रमुख कार्यक्रम

- (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा)
- (ii) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)
- (iii) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)
- (iv) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)
- (v) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)
- (vi) सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

1.6 ग्रामीण विकास मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का विवरण 7 फरवरी, 2023 को लोकसभा में रखा गया। वर्ष 2023-24 के लिए मांग संख्या 87 के बजट अनुमान में 1,57,545 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। यह आवंटन 2022-23 के बजट अनुमान से 15.89 प्रतिशत अधिक और 2022-23 के संशोधित अनुमान से 13.01 प्रतिशत कम है। समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों की मांगों की गहन जांच की है और प्रतिवेदन के आगामी अध्यायों में इसका समाधान किया गया है। समिति आशा करती है कि मंत्रालय समयबद्ध तरीके से अपनी योजनाओं और परियोजनाओं के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए निधि के उचित और समय पर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समिति आशा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग समितियों की टिप्पणियों/सिफारिशों को सकारात्मक रूप से लेगा और उन पर तेजी से कार्रवाई करेगा और इस रिपोर्ट की प्रस्तुति की तारीख से तीन महीने के भीतर रिपोर्ट में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय - II

अनुदानों की मांगों 2023-24 की जांच

(i). ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों की मांगों का विस्तृत विवरण (2023-24)

2.1 ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की विस्तृत मांगों, 2023-24 का सारांश निम्नवत है: -

क्र.सं.	योजना का नाम	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट अनुमान, 2022- 2023	संशोधित अनुमान, 2022- 2023	बजट अनुमान 2023-2024		
					राजस्व	पूंजी/ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
1	योजनाएं ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम						
	आजीविका-राष्ट्रीय	2501	3089.42	3089.42	3910.64	..	3910.64
	ग्रामीण आजीविका	3601	8762.01	8762.01	8792.01	..	8592.01
	मिशन (एनआरएलएम)	3602	201.34	201.34	264.00	..	264.00
	कुल- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम		12052.77	12052.77	12766.65	...	12766.65
2	ग्रामीण रोजगार महात्मा गांधी	2505	52645.41	64125.41	41474.51	..	41474.51
	राष्ट्रीय ग्रामीण	3601	20131.69	25051.69	18302.59	..	18302.59
	रोजगार गारंटी	3602	222.90	222.90	222.90	..	222.90
	योजना (एमजीएनआरईजीए						

	स)						
	कुल- ग्रामीण रोजगार		73000.00	89400.00	60000.00	..	60000.00
3	आवास ग्रामीण आवास (पीएमएवाई) ब्याज सब्सिडी	2216 3601 3602 2216	4082.43 13778.53 139.00 0.01	4082.43 41296.20 1043.33 0.01	4069.48 44068.80 900.00 0.01	4069.48 44068.80 900.00 0.01
	कुल- ग्रामीण आवास (पीएमएवाई)		17999.97	46421.97	49038.29	..	49038.29
4	अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम: राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को अनुदान	2515	121.91	38.75	38.33	..	38.33
5	ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया का सुदृढता	2515	202.19	126.22	102.14	..	102.14
6	बीपीएल सर्वेक्षण	2515	0.01	0.00	0.00	..	0.00
7	रुर्बन मिशन	2515 3601 3602	80.02 389.98 20.00	0.00 988.91 0.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00
	कुल - अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम		814.11	1153.88	140.47	..	140.47

8	सड़क और पुल	3054	250.80	250.80	258.80	..	258.02
	प्रधानमंत्री ग्राम	3601	15349.2	15349.2	15341.9	..	15341.9
	सड़क योजना	3602	0	0	8	..	8
			1500.00	1500.00	1500.00		1500.00
	(पीएमजीएसवाई) – ग्रामीण सड़कें		17100.00	17100.00	17100.00	..	17100.00
9.	राष्ट्रीय सामाजिक	2235	22.56	61.67	21.23	..	21.23
	सहायता कार्यक्रम	3601	8534.38	9002.60	9026.92	..	9026.92
		3602	130.15	129.90	130.34	..	130.34
	कुल - एनएसएपी		8687.09	9194.17	9178.49	..	9178.49

क्र.सं	योजना का नाम	मुख्य लेखा शीर्ष	बजट अनुमान, 2022- 2023	संशोधित अनुमान, 2022- 2023	बजट अनुमान 2023-2024		
					राजस्व	पूंजी/ऋण	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
10	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्काम के लिए प्रावधान						
	1. आजीविका- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)	2552	1283.65	1283.65	1362.52	..	1362.52
	2. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	2552	0.00	0.00	0.00	..	0.00

	योजना (एमजीएनआरई जीएस)						
3.	ग्रामीण आवास (पीएमएवाई)	2552	2000.03	2000.03	5448.71	..	5448.71
4.	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान (एनआईआरडी) को अनुदान	2552	13.55	75.84	76.67	..	76.67
5.	शहरी विकास कार्यक्रम के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया की सुदृढ़ता	2552	10.00	0.00	11.35	..	11.35
6.	बीपीएल सर्वेक्षण	2552	0.00	0.00	0.00	..	0.00
7.	. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) - ग्रामीण सड़कें	2552	1900.00	1900.00	1900.00	..	1900.00
8.	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	2552	965.22	457.83	457.83	..	457.83
9.	रुर्बन मिशन	2552	60.00	0.00	0.00	..	0.00

	कुल -पूर्वोत्तर क्षेत्र		6232.45	5717.35	9257.08	..	9257.08
	कुल- योजना व्यय		135886.39	181040.14	157480.98	..	157480.98
	गैर-योजना व्यय						
	1. ग्रामीण विकास विभाग मुख्यालय की स्थापना	345 1	57.90	81.66	64.02	..	64.02
	कुल – गैर-योजना		57.90	81.66	64.02	..	64.02
	कुल (योजना + गैर- योजना)		135944.2 9	181121.8 0	157545.0 0	..	157545.0 0

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रतिशत वृद्धि दर्शाने वाला विवरण										
(रु. करोड में)										
क्र.सं.	योजना का नाम	2019-	2020-2021				2022-23		2023 2024	
		परिव्यय	परिव्यय	2019-20 में प्रतिशत वृद्धि	परिव्यय	2020-21 में प्रतिशत वृद्धि	परिव्यय	2021-22 में प्रतिशत वृद्धि	परिव्यय	2022-23 में प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका	9024.00	9210.04	2.06%	13677.61	48.51%	1336.42	- 2.49%	14129.1 7	5.94%
2	मिशन महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी	60000.00	61500.00	2.50%	73000.00	18.70%	73000.00	0.00%	60000.00	-17.81%

3	शहरी आवास (इंदिरा आवास	19000.00	19500.00	2.63%	19500.00	0.00%	20000.00	2.56%	54487.00	172.44 %
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00	19500.00	2.63%	15000.00	-23.08%	19000.00	26.67 %	19000.00	0.00%
5.	ग्रामीण विकास राष्ट्रीय संस्थान- पंचायती राज	100.00	124.00	24.00%	124.00	0.00%	135.46	9.24%	115.00	-15.10%
6	लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद(कपार्ट	24.00	0.00	- 100.00 %	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%


7	ग्रामीण विकास कार्यक्रम को प्रबंधन सहायता और जिला योजना कार्यक्रम	350.62	367.46	4.80%	364.38	-0.84%	212.19	41.77%	113.49	-46.51%
8	ब्रिजियालको	1.00	0.01	-99.00%	0.01	0.00%	0.01	0.00%	0.00	-100.00
9	सर्वेक्षण राष्ट्रीय सामाजिक	9200.00	9196.92	-0.03%	9200.00	0.03%	9652.31	4.92%	963632	-0.17%
10	रूरबन मिशन	800.00	600.0	-25.00%	600.00	0.00%	550.00	-8.33%	0.00	-100.00
11	गैर योजना सचिवालय	47.57	48.76	2.50%	53.08	8.86%	57.9	9.08%	64.02	10.57%
12	ग्रामीण विकास भवन	100.00	100.00	0.00%	0.00	-100.00%	0.0	0.00%	0.00	0.00%
	कुल- ग्रामीण विकास	117647.19	120147.19	2.12%	131519.08	9.46%	135944.29	3.36%	157545	15.89%

वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय और 2023-24 का बजट अनुमान दर्शाने वाला (रु. करोड़ में)											
क्र. सं.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2020-21			वार्षिक योजना 2021-22			वार्षिक योजना 2022-23			बजट अनुमान 2023-24
		बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक व्यय	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं										
1	महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	61500.00	111500.00	111169.55	73000.00	99117.53	98441.36	73000.00	89400.00	66718.91	60000.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका	9210.04	9210.04	9201.77	13677.61	10813.89	9378.13	13336.42	13336.42	5735.59	14129.17
3	प्रधानमंत्री आजीविका योजना	19500.00	19500.00	19269.00	19500.00	30057.15	30051.00	20000.00	48422.00	28279.00	54487.00
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19500.00	13706.00	13687.00	15000.00	14000.01	13991.60	19000.00	19000.00	11908.00	19000.00
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता	9196.90	42617.00	42443.00	9200.00	8730.00	8151.69	9652.30	9652.00	7101.90	9636.30
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन	600.00	372.33	369.29	600.00	153.69	150.10	550.00	988.91	351.32	0.00
	केंद्र सरकार योजनाएं										
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास	124.00	80.50	80.43	124.00	124.00	105.48	135.46	114.59	84.65	115.00
8	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के और जिला योजना प्रक्रिया की	367.46	341.44	134.47	364.38	144.66	91.95	212.19	126.22	40.68	113.49
9	सुसर्इसीसी जनगणना	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00
	कुल	119998	197327	196355	131466	163140.94	16036.40	135886	181040	120221	15748


उपरोक्त आंकड़े स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के कुल बजटीय आवंटन में 15.89 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो वित्तीय वर्ष 2022-23 के 1,35,944.29 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,57,545.00 करोड़ रुपये हो गई है। इसके अलावा, पीएमएवाई-जी के बजट में 20,000 करोड़ रुपये से बढ़कर 54,487 करोड़ अर्थात् 172.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, मनरेगा के बजट में 17.81 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, एनएसएपी में 0.17 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है, जबकि पीएमजीएसवाई का आवंटन पिछले वर्ष के समान है।

(ii). वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन के उपयोग की समीक्षा

2017-18 से 2022-23 तक (31.01.2023 तक) बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और वास्तविक व्यय



Year-wise Expenditure (GOI): Rural Development Programs (Rs. in crore)



वर्ष 2020-21 से 2022-23 तक का बजट अनुमान, संशोधित अनुमान तथा वास्तविक व्यय और 2023-24 का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. सं.	योजना का नाम	वार्षिक योजना 2020-21			वार्षिक योजना 2021-22			वार्षिक योजना 2022-23			ब.अ. 2023-24
		ब.अ.	सं. अ.	वास्तविक व्यय	ब. अ.	सं.अ. *अनुपूरक	वास्तविक व्यय	ब. अ.	सं.अ.	वास्तविक व्यय प्राधिकार के साथ 09.01.23 तक	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	गैर योजना व्यय										
1	ग्रामीण विकास विभाग का मुख्यालय	48.76	48.76	61.53	53.08	85.16	72.07	57.90	81.66	65.22	64.02
	कुल (गैर योजना व्यय) (ग्रामीण विकास)	48.76	48.76	61.53	53.08	85.16	72.07	57.90	81.66	65.22	64.02
2	ग्रामीण विकास भवन (पूँजी खंड)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (पूँजी खंड) (ग्रामीण विकास)	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग्रामीण विकास)	1201.47	197.37	1964.1671	131.51908	163226.10	160433.47	135.94429	1811.2180	120286.29	157545.00

वर्ष 2022-23 के दौरान व्यय का रुझान

2.2 मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से पता चलता है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के बजटीय आवंटन में संशोधित अनुमान (सं. अ.) स्तर पर 45,177.51 करोड़ रुपये की पर्याप्त राशि की वृद्धि की गई थी। सं. अ. स्तर पर बढ़ी हुई आवश्यकता के कारणों के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"मनरेगा : महात्मा गांधी नरेगा मांग आधारित योजना है। मांग की वर्तमान गति के आधार पर मजदूरी रोजगार की अनुमानित मांग संशोधित अनुमान का आधार होती है। लाभार्थियों से

प्राप्त मजदूरी रोजगार की मांग में बदलाव के आधार पर वित्त मंत्रालय से अतिरिक्त निधियों की मांग की जा सकती है।

पीएमएवाई-जी : मार्च, 2021 के बाद मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल के अनुमोदन के आधार पर वर्तमान वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल 48,422 करोड़ रु. अपेक्षित हैं। इसमें से 20,000.00 करोड़ रु. बजट अनुमान था। मार्च, 2021 के बाद पीएमएवाई-जी को जारी रखने के प्रस्ताव को अनुमोदित करते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का निर्णय लिया था और संपूर्ण योजना का प्रावधान सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) से करने के संबंध में निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा। अब वित्त मंत्रालय सकल बजटीय सहायता के माध्यम से निधियां वित्तीय वर्ष 2021-22 से ही प्रदान कर रहा है। तदनुसार वर्ष 2022-23 की पूरक अनुदान मांगों के पहले बैच के माध्यम से वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएमएवाई-जी हेतु अनुमोदित संशोधित अनुमान 48,422.00 करोड़ रु. है।

एसपीएमआरएम : एसपीएमआरएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजटीय आवंटन 550 करोड़ रु. से बढ़ाकर 988.91 करोड़ रु. कर दिया गया है। इस वृद्धि का कारण इस प्रकार है:-

28 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2022 को इस मिशन की समाप्ति की तारीख घोषित कर दिया था और एसपीएमआरएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटन का उपयोग व्यय विभाग (डीओई) से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने तक नहीं किया जा सका। दिनांक 12 जुलाई, 2022 और 21 दिसम्बर, 2022 के पत्र द्वारा व्यय विभाग ने दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार मौजूदा कार्यों की देनदारी के लिए 15 मार्च, 2023 तक इस मिशन के अंतर्गत निधियां जारी करने की एकबारगी अनुमति दी है। चूंकि इस मिशन का आगे विस्तार नहीं किया गया है इसलिए मौजूदा कार्यों की देनदारी के लिए समस्त निधियां उक्त तारीख तक जारी करना आवश्यक है। अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान में वृद्धि की गई है और बजट अनुमान 2023-24 में शून्य प्रावधान किया गया है।"

(तीन) व्यय की गति धीमी होने के कारण

2.3 संशोधित अनुमान स्तर पर वृद्धि के बावजूद दिनांक 09.01.2023 तक 1,20,286.29 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है जो बहुत कम है। ऐसा होने के कारण पूछे जाने पर विभाग ने अपने उत्तर में निम्नवत् बताया:

"मनरेगा : महात्मा गाँधी नरेगा मांग आधारित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना निरंतर चलती रहने वाली प्रक्रिया है। संशोधित अनुमान चरण में 89,400 करोड़ रुपए का प्रावधान वित्त मंत्रालय ने किया है। दिनांक 25.01.2023 की

स्थिति के अनुसार 69,804.72 करोड़ रुपए (78.08 प्रतिशत) की राशि जारी की जा चुकी है। जारी की जाने वाली निधियों की राशि ग्रामीण परिवारों से प्राप्त होने वाली मजदूरी रोजगार की मांग पर निर्भर करती है। मंत्रालय इस बड़े हुए आवंटन का उपयोग राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त मांग के अनुसार करेगा।

पीएमएवाई-जी : संशोधित अनुमान चरण में 48,422.00 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की गई (जिसमें नाबार्ड को ब्याज के भुगतान के रूप में 3,824.10 करोड़ रुपए की राशि शामिल है)। पीएमएवाई-जी के अंतर्गत 28,279.12 करोड़ रुपए की राशि पहले ही विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की जा चुकी है, जो संशोधित अनुमान का 58.40 प्रतिशत है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मंत्रालय द्वारा दिए गए संशोधित लक्ष्यों के अनुसार संशोधित अनुमान की शेष निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पीएमजीएसवाई : वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान चरण में पीएमजीएसवाई का बजट आवंटन 19,000 करोड़ रु. है, जिसमें से 11,908.82 करोड़ रु. 20.01.2023 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किए जा चुके हैं। उपलब्ध 7,091.18 करोड़ रु. की निधि के संबंध में व्यय योजना इस प्रकार है:-

माह	लक्षित व्यय (रु. करोड़ में)
जनवरी	2,800
फरवरी	2,800
मार्च	1,491.18
कुल	7,091.18

उपर्युक्त व्यय योजना के अनुसार वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजीएसवाई के बजट आवंटन का पूर्ण उपयोग कर लिए जाने की संभावना है।

डीएवाई-एनआरएलएम : डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत अद्यतन व्यय 6091.74 करोड़ रु. है। निधियां जारी करने के संबंध में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय की नई प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन किए जाने के कारण व्यय की गति धीमी रही। तथापि, अब अधिकांश राज्य शर्तों का अनुपालन कर रहे हैं और पीएमजीएस में 'चैक/लॉक' के मुद्दे का समाधान भी किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यक्रमलापों की गति अब बढ़ी है। अतः आशा है कि व्यय की गति पहले की तुलना में अधिक रहेगी और संशोधित अनुमान चरण के बजट प्रावधान का अंतिम तिमाही में पूर्ण उपयोग किया जा सकेगा।

एनएसएपी : एनएसएपी के अंतर्गत कुल आवंटित निधियों (संशोधित अनुमान) में से लगभग 76 प्रतिशत निधियों का उपयोग 24.01.2023 तक किया जा चुका है। चौथी तिमाही के लिए राज्या/संघ राज्य क्षेत्रों की निधियों की आवश्यकता को देखते हुए शेष राशि

का उपयोग तदनुसार कर लिया जाएगा।

एसपीएमआरएम : मंत्रालय ने एसपीएमआरएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 988.91 करोड़ रू. के संशोधित अनुमान में से 351.32 करोड़ रू. दिनांक 31.12.2022 तक जारी कर दिए हैं। व्यय वित्त समिति की 26 अगस्त, 2021 को आयोजित बैठक में समिति द्वारा इस योजना को बंद किए जाने की सिफारिश के बाद इस मिशन पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। व्यय वित्त समिति की बैठक के बाद मंत्रालय को राज्यों को निधियां जारी करने की अनुमति नहीं दी गई। दिनांक 31 मार्च, 2022 तक अर्थात केवल नौ दिनों के लिए निधियां जारी करने की अनुमति व्यय विभाग के 22 मार्च, 2022 के पत्र द्वारा ही मंत्रालय को दी गई। व्यय विभाग की अनुमति के बाद पिछले वित्तीय वर्ष के अंतिम नौ दिनों में जारी की गई निधियों के अप्रयुक्त शेष के साथ राज्यों में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत हुई। अतः राज्यों के पास पिछले वर्षों की 887.16 करोड़ रू. की अप्रयुक्त शेष राशि थी (इस राशि में वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम सप्ताह में जारी की गई निधियों के 211.64 करोड़ रू.(केंद्रीय+राज्य अंश) शामिल है)।

28 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2022 को इस मिशन की समाप्ति की तारीख घोषित कर दिया था और एसपीएमआरएम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के आवंटन का उपयोग व्यय विभाग (डीओई) से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त होने पर किया जा सका। दिनांक 12 जुलाई, 2022 और 21 दिसम्बर, 2022 के पत्र द्वारा व्यय विभाग ने दिनांक 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार मौजूदा कार्यों की देनदारी के लिए इस मिशन के अंतर्गत निधियां जारी करने की एकबारगी अनुमति दी है। निधियां जारी करने की यह अनुमति 15 मार्च, 2023 तक है। मंत्रालय सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से निरंतर यह अनुरोध कर रहा है कि वे निधियां जारी करने के प्रस्ताव प्रस्तुत करें और पहले से चल रहे कार्यों को 31 मार्च, 2023 तक समाप्त करें। इस मिशन के संबंध में अंतिम तारीख तक निधियां जारी करने का लक्ष्य यह मंत्रालय पूरा कर लेगा।

एनआईआरडी एंड पीआर: एनआईआरडी एंड पीआर के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निधियों का कुल संशोधित आवंटन 114.59 करोड़ है। कुल 84.64 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। एसआईआरडी/ईटीसी/ओटीसी (एमएसआरडीपी) के संबंध में यह उल्लेखनीय है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए निधियों का कुल संशोधित आवंटन 60.50 करोड़ है। कुल 22.34 करोड़ रुपये की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इस प्रभाग ने सीएनए (केंद्रीय नोडल एजेंसी) के कार्यान्वयन के कारण नवंबर माह में निधियां जारी करना शुरू कर दिया है, इसलिए उपर्युक्त उपलब्धि केवल 2 माह में प्राप्त की गई है, अतः हम आशा करते हैं कि इस वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में शेष राशि जारी की जाएगी।"

(चार) व्यय पर मुद्रास्फीति का प्रभाव

2.4 व्यय पैटर्न पर मुद्रास्फीति के प्रभाव का मामला भी सामने आया है। योजना के कार्य-निष्पादन पर मुद्रास्फीति के प्रभाव के मामले पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:

"मनरेगा: ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर विनिर्दिष्ट की जाती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रत्येक वित्तीय वर्ष में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा कामगारों को मंहगाई का मुआवजा देने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर प्रत्येक वर्ष मजदूरी दर को संशोधित करता है। यह मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष में 01 अप्रैल से लागू की जाती है।

पिछले तीन वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए परिव्यय दर्शाने वाला विवरण इस प्रकार है:

क्र. सं.	वर्ष	ब.अ.	सं.अ.	जारी की गई राशि
1	2019-20	60000.00	71001.81	71687.71
2	2020-21	61500.00	111500.00	111170.86
3	2021-22	73000.00	98000.00	98467.84

पीएमएवाई-जी:- पीएमएवाई-जी पात्र लाभार्थियों को आवास का लाभ प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग कर रहा है। पात्र ग्रामीण परिवारों को मकान निर्माण के लिए सहायता प्रदान हेतु पीएमएवाई-जी का कार्यान्वयन 01 अप्रैल, 2016 से किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से युक्त 2.95 करोड़ पक्के मकानों के निर्माण का समग्र लक्ष्य है। मकान का न्यूनतम इकाई आकार 25 वर्ग मीटर है जिसमें खाना पकाने के लिए विशेष रूप से एक स्वच्छ क्षेत्र शामिल है। इकाई सहायता मैदानी इलाकों में 1.20 लाख रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 1.30 लाख रुपये है। पीएमएवाई-जी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच 60:40 के अनुपात में वित्तपोषण की पद्धति के साथ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है जबकि जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों

और पहाड़ी राज्यों में वित्तपोषण पद्धति का अनुपात 90:10 है। संघ राज्य क्षेत्रों (लद्दाख सहित) के मामले में केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषण किया जाता है। स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा योजना) अथवा वित्तपोषण के किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालयों के निर्माण के लिए (12,000/- रुपए) सहायता प्रदान की जाती है। आवास के निर्माण के लिए इकाई सहायता के अलावा मनरेगा के अंतर्गत 90/95 श्रम दिवसों की अकुशल श्रम मजदूरी का भी प्रावधान है। अन्य सरकारी योजनाओं के साथ अभिसरण में बुनियादी सुविधाओं जैसे शौचालय, पेयजल कनेक्शन, बिजली कनेक्शन, स्वच्छ और ऊर्जाकुशल खाना पकाने का ईंधन, नागरिक और तरल अपशिष्ट का उपचार आदि के लिए प्रावधान है। स्थानीय सामग्री, उचित डिजाइन और प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों का उपयोग करके लाभार्थियों द्वारा गुणवत्ता वाले आवासों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत निर्धारित निधियां और जारी की गई निधियां तथा वास्तविक प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ में)	संशोधित अनुमान (करोड़ में)	जारी की गई वास्तविक राशि (रु.करोड़ में)	आवंटित वास्तविक लक्ष्य (इकाई संख्या में)	आवासों का निर्माण पूरा करना (इकाई संख्या में)
2019-20	19,000.00	18455.00	28,930.63	57,92,335	21,28,854
2020-21	19,500.00	19500.00	39,268.96	43,08,398	33,99,507
2021-22	19,500.00	30057.15	30,056.87	71,50,439	42,41,557

पीएमजीएसवाई: राज्य दरों की प्रचलित अनुसूची (एसओआर) के आधार पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करते हैं। तदनुसार, मंत्रालय एसओआर के आधार पर राज्यों द्वारा तय किए गए लागत अनुमान के आधार पर प्रस्तावों को मंजूरी देता है। बाजार के मौजूदा रुझानों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर इन एसओआर को संशोधित किया जाता है। एक बार परियोजना स्वीकृत हो जाने के बाद, योजना के अंतर्गत समय बढ़ने के कारण लागत वृद्धि के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं को पूरा करने के लिए निश्चित समय-सीमा तय की गई है। प्रत्येक वर्ष मंत्रालय को किया जाने वाला बजटीय आबंटन योजना के अनुमोदन के समय तय किए गए लागत अनुमानों पर आधारित होता है। यदि समय बढ़ने के कारण लागत में वृद्धि होती है तो वह अतिरिक्त लागत राज्य को वहन करनी होती है। इसलिए सामग्री और संभार तंत्र की बढ़ती लागत इस योजना के लिए परिकल्पित शुरुआती बजटीय आवश्यकता को प्रभावित नहीं करती है। बीते वर्षों में पीएमजीएसवाई कार्यों पर व्यय (राज्य अंश सहित) निरंतर बढ़ता रहा है, जिसका ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	राज्य अंश सहित व्यय (रु. करोड़ में)
------	-------------------------------------

2019-20	21,730
2020-21	23,940
2021-22	27,833
2022-23 (20.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	18,108

यह देखा जा सकता है कि प्रतिवर्ष बजटीय सहायता निरंतर 19000 रु. के स्तर पर रहने के बावजूद राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को स्वीकृत परियोजनाओं के मूल्य के अनुसार मंत्रालय से संवितरित की जाने वाली निधियां निरंतर बढ़ती रही हैं।

डीएवाई-एनआरएलएम: मुद्रास्फीति के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सीसीईए के अनुमोदन से व्यय के लिए लागत का निम्नलिखित संशोधन किया गया है:

- एनआरएलएम के तहत संस्था निर्माण लागत (अर्थात् स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) का गठन) 10,000 रुपये प्रति एसएचजी से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति एसएचजी कर दी गई है।
- परिक्रामी निधि (आरएफ) 10,000/- रु. से 15000/- तक प्रति एसएचजी से बढ़ाकर 15,000/- रु. से 20,000/- रु तक प्रति एसएचजी कर दी गई है।
- आरएसईटीआई के निर्माण की लागत के लिए अवसंरचना अनुदान 100 करोड़ रुपये प्रति आरएसईटीआई से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये प्रति आरएसईटीआई कर दिया गया है।
- एसवीईपी के अंतर्गत प्रति ब्लॉक अधिकतम व्यय की सीमा 597.77 लाख रुपए से बढ़ाकर 650.00 लाख रुपए तक कर दी गई है।

एनएसएपी: एनएसएपी के बजटीय व्यय पर मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है क्योंकि एनएसएपी योजनाएं मुद्रास्फीति से जुड़ी नहीं हैं।

एसपीएमआरएम: मिशन अवधि के दौरान एसपीएमआरएम का प्रत्येक क्लस्टर के लिए निश्चित परिव्यय 15 करोड़ रुपये या 30 करोड़ रुपये है। इसलिए बजटीय व्यय पर मंहगाई के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।"

(v) **2022-23 के दौरान व्यय की तुलना में आवंटन**

2.5 चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यय की तुलना में आवंटन का योजना-वार विवरण निम्नवत दिया गया है:-

<p>ग्रामीण विकास विभाग</p> <p>दिनांक 20.01.2023 तक बजट अनुमान 2022-23, संशोधित अनुमान 2022-23 और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण</p> <p style="text-align: right;">(रु. करोड़ में)</p>
--

संख्या	योजना का नाम	2022-23		
		बजट अनुमान.	संशोधित अनुमान	प्राधिकृत वास्तविक व्यय दिनांक 20.01.2023 तक
	1	2	3	4
केंद्र प्रायोजित योजनाएं				
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	73000.00	89400.00	68844.83
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका	13336.42	13336.42	5751.19
3	प्रधानमंत्री आवास योजना	20000.00	48422.00	28279.12
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00	19000.00	11908.83
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.31	9652.00	7209.09
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन	550.00	988.91	362.16
केंद्रीय क्षेत्र योजनाएं				
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान	135.46	114.59	84.65
8	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को सुदृढ़ करना	212.19	126.22	41.52
9	एसईसीसीसी जनगणना	0.01	0.00	0.00
कुल- योजना व्यय		135886.39	181040.14	122481.39
10	सचिवालय सेवाएं (गैर-स्कीम- व्यय)	57.90	81.66	65.98
कुल- ग्रामीण विकास (योजना+गैर-योजना)		135944.29	181121.80	122547.37

(vi) **अव्ययित शेष**

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक योजना के लिए अव्ययित शेष का विवरण रिपोर्ट के अनुबंध-1 में दिया गया है।

2.6 इस तरह की राशि के उपचय के कारणों और ऐसी घटना से बचने की रणनीति के बारे में पूछे जाने पर, ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत उत्तर दिया: -

“महात्मा गांधी नरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। जमीनी स्तर पर मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। कार्यक्रम के सामग्री एवं प्रशासनिक घटक के लिए विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में जारी की गई निधियां कुछ राज्यों में व्यय न की गई शेष राशि के रूप में जमा हो जाती हैं जिसके कारण हैं- भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से राज्य सरकार को निधियां देरी से उपलब्ध कराया जाना, राज्य वित्त के विभाग द्वारा राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के बैंक खाते में विलंब से राशि जारी करना, फील्ड स्तर पर निधि अंतरण आदेश तैयार करते समय आने वाली तकनीकी समस्याएं अथवा फील्ड स्तर पर प्रशासनिक मुद्दे। मंत्रालय इस अव्ययित शेष राशि को आगामी जारी निधि में समायोजित करता है। मंत्रालय बाद की जारी राशि से पहले पिछली जारी राशि की परिसमाप्ति को सुनिश्चित करता है।

पीएमएवाई-जी:- अव्ययित शेष राशि के संचयन के कारण निम्नानुसार हैं:-

- i. आमतौर पर राज्य वर्ष के अंत में केंद्रीय अंश के साथ-साथ राज्य अंश जारी करते हैं, जिससे वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अधिक अव्ययित शेष राशि हो जमा जाती है।
- ii. व्यय भी मौसम पर निर्भर है। इस मौसम में मॉनसून जल्दी आ गया और लंबे समय तक रहा, जिससे खर्च थोड़ा धीमा रहा।

व्यय विभाग के दिनांक 23.03.2021 और 30.06.2021 के कार्यालय जापन के माध्यम से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उन्हें भविष्य की किस्तों का पात्र होने के लिए 75% उपयोग दिखाना अनिवार्य है। इसके अलावा, निधियों की पार्किंग से बचने के लिए निधियों को जारी करने के प्रस्तावों पर विचार करते समय राज्यों के पास अव्ययित शेष को ध्यान में रखा जाता है। राज्यों को मकानों के निर्माण की गति बढ़ाने और उपलब्ध अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने की सलाह दी जाती है।

पीएमजीएसवाई:- अव्ययित शेष राशि के एकत्रित होने का मुख्य कारण एजेंसी के एकल नोडल खाते में राज्य के राजकोष से केंद्र और राज्य अंश को जारी करने में देरी है। इसके अलावा, अव्ययित शेष राशि में जारी की गई पिछली राशि के कुछ घटक भी होते हैं जिनका उपयोग राज्यों द्वारा विभिन्न कारणों जैसे कि कार्यों की धीमी प्रगति, वन विभाग से मंजूरी न मिलने के कारण कार्यों को रोकना, भूमि अधिग्रहण, कानूनी मुद्दों आदि के कारण नहीं किया गया। धन की पार्किंग को रोकने के लिए, हर बार निधि जारी करने के दौरान, राज्य सरकारों को निर्देश दिया जाता है कि वे इन निधियों की प्राप्ति की तारीख से क्रमशः 21 दिनों और 40 दिनों की अधिकतम अवधि के भीतर एजेंसी के एकल नोडल खाते में संबंधित राज्य अंश के साथ इन निधियों को अंतरित करें। अंतरण न करने की स्थिति में मामले का समाधान होने तक केंद्र और राज्य अंश जारी नहीं किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय विभिन्न मासिक समीक्षा बैठकों में राज्यों के पास अव्ययित शेष की

स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता रहा है। राज्यों को तब तक और केंद्रीय निधियां जारी नहीं की जाती है जब तक कि उनके पास पहले से उपलब्ध निधियों को एक उचित सीमा तक खर्च नहीं करते हैं यह सीमा 75% है। राज्यों को भी कार्यों की गति तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनके पास उपलब्ध निधियों का समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सके। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की तरफ से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को काम में तेजी लाने और सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए पत्र लिखे जा चुके हैं। इन सभी प्रयासों से पीएमजीएसवाई के संबंध में अव्ययित शेष को काफी हद तक कम कर दिया गया है। प्रभावी अव्ययित शेष राशि केवल 2,269.631 करोड़ रुपए है।

डीएवाई-एनआरएलएम:- कार्यान्वयन प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए जिसमें राज्य से जिले और ब्लॉकों को निधियां भेजने की आवश्यकता होती है, कार्यक्रम दिशानिर्देश उपलब्ध निधियों का 60% उपयोग के बाद दूसरी किस्त जारी करने की अनुमति देकर आवंटित निधियों का लगभग 40% उपलब्धता रखने की अनुमति देता है। यह अव्ययित शेष राशि के जमा होने का कारण रहा है।

नई दिशा-निर्देश के कार्यान्वयन से, जो आवंटन के 25% तक निधि जारी करने तक सीमित है और अगली किस्त के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु पात्र होने के लिए जारी निधि का 75% व्यय करना आवश्यक है, राज्यों और कार्यान्वयन एजेंसियों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का उपयोग होना निश्चित है और जमा अव्ययित शेष राशि को कम किया जाएगा। इसके अलावा एकल नोडल बैंक खाते की अवधारणा के कार्यान्वयन के साथ निधियों की जमा में बढोत्तरी नहीं होगी। इससे जमा अव्ययित शेष राशि न्यूनतम हो जाएगी।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल:-

डीडीयू-जीकेवाई के तहत कम उपयोग के कारण:-

- पिछले वित्तीय वर्षों में जारी की गई निधियों का कम उपयोग होने के कारण राज्य स्तर पर बहुत कम अव्ययित शेष राशि बची है।
- डीडीयू-जीकेवाई प्रशिक्षण केंद्र 16 मार्च 2020 से 15 जनवरी 2021 तक बंद कर दिए गए थे। इसके बाद भी एकजुटता धीमी था और उम्मीदवार प्रशिक्षण केंद्रों पर लौटने से हिचकिचा रहे थे।
- मार्च 2021 में, एसएनए के लिए नए दिशानिर्देशों की घोषणा की गई थी, पीआईए स्तर पर कठिनाइयों के आधार पर छूट प्राप्त करने के लिए डीडीयू-

जीकेवाई ने वित्त मंत्रालय को कई पत्र लिखे हैं, लेकिन अंततः अक्टूबर 2021 में, दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया गया।

- इसका मतलब एसआरएलएम खाते में 2200 से अधिक पीआईए खातों से पैसा वापस प्राप्त करना था। अधिकांश राज्यों को ऑन-बोर्ड होने में लगभग 4-5 महीने लगे।
- डीडीयू-जीकेवाई एनआरएलएम की एक उप-योजना होने के कारण राज्य/संघ राज्य स्तर पर एक अलग एसएनए खाता बनाने के लिए कई बाधाओं को पार करना पड़ा क्योंकि पीएफएमएस संरचना उप-योजनाओं की अनुमति नहीं देता है। आज तक अधिकांश पीएफएमएस रिपोर्ट डीडीयू-जीकेवाई या आरएसईटीआई के लिए अलग-अलग बैलेंस नहीं दिखाता हैं। अधिकतम रिपोर्ट एनआरएलएम स्तर पर हैं।
- नकदी संकट से जूझ रहे पीआईए को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि पीएफएमएस के पास पीएफएमएस पोर्टल पर राज्य पीआईए के बाहर समायोजित करने की तकनीकी गुंजाइश नहीं थी। व्यय विभाग और पीएफएमएस के साथ कड़ी अनुवर्ती कार्रवाई के बाद 27 अगस्त 2022 को इसका समाधान किया गया।
- जनवरी 2022 के महीने में क्यूपी में परिवर्तन हुआ (सक्रिय ट्रेडों का निष्क्रिय होना) और पीआईए को निष्क्रिय ट्रेडों के तहत कोई नया प्रशिक्षण शुरू करने की अनुमति नहीं दी गई।
- जनवरी 2022 से नई परियोजनाओं की स्वीकृति रोक दी गई और इस वर्ष के दौरान अतिरिक्त लक्ष्यों का आवंटन भी रोक दिया गया।
- आईटी मुद्दों के कारण बाधाएं।

डीडीयूजीकेवाई के तहत, पीआईए की नियोजन उपलब्धियों के आधार पर निधियां जारी किया जाता है, लेकिन उपरोक्त कारणों से प्रशिक्षण शुरू नहीं होने के कारण पीआईए नियोजन लक्ष्य हासिल नहीं कर सकें, इसलिए राज्य स्तर पर निधियां जारी करने की गति बहुत धीमी थी।

आरएसईटीआई:- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा व्यय विभाग के दिशानिर्देशों का अनुपालन न करने के कारण कमी हुई। अनुपालन पूरा करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर प्रभाव डालने के लिए निरंतर ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। ठोस प्रयासों में फोन कॉल, ईमेल, वर्चुअल-बैठकों आदि के माध्यम से राज्यों और बैंकों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

एनएसएपी:- उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद एनएसएपी के तहत पहचाने गए लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम रूप में निधियां जारी की जाती हैं। अंतिम किस्त में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई निधियों में मुख्य रूप से अव्ययित शेष शामिल होता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सामान्यतः अगली किस्त जारी करने के प्रस्ताव के साथ अंतिम किस्त के व्यय की सूचना

देते हैं। राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र समय पर लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान करते हैं, हालांकि, व्यय करने और इस विभाग को इसकी सूचना देने के बीच का समय अंतराल राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास पड़ी अव्ययित शेष राशि को दर्शाने का कारण है।

व्यय विभाग द्वारा जारी निधियां जारी करने की संशोधित प्रक्रिया के अनुसरण में इस विभाग द्वारा बेहतर निधि प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कार्यनीति का पालन किया जाता है:-

- (i) अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक वित्तीय वर्ष में दो किस्तों के स्थान पर चार समान किस्तों में निधियां जारी की जा रही है।
- (ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगली किस्त के लिए निधियां तभी जारी किया जाता है जब पीएफएमएस पुष्टि करता है कि निधियों को राज्य के कोषागार से कार्यान्वयन विभाग के एसएनए में अंतरित कर दिया गया है और उसका 75% व्यय किया गया है।

एसपीएमआरएम:- वर्तमान में राज्य चल रहे कार्यों को जारी रखने के लिए उनके पास उपलब्ध अव्ययित शेष राशि का उपयोग कर रहे हैं। केंद्र प्रायोजित योजना के तहत निधियां जारी करने के लिए मार्च, 2021 और मार्च 2022 में व्यय विभाग द्वारा जारी संबंधित दिशा-निर्देशों के अनुपालन में आगे की कोई भी निधियां जारी की जाती है।”

अनुदानों की मांगों 2023-24 का विस्तृत विश्लेषण।

योजना-वार बजट अनुमान 2023-24

(रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	बीई 2022-23	आरई 2022-23	बीई 2023-24
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	एमजीनरेगा	73,000.00	89,400.00	60,000.00
2.	पीएमएवाई-जी	20,000.00	48,422.00	54,487.00
3.	पीएमजीएसवाई	19,000.00	19,000.00	19,000.00
4.	एनएसएपी	9,652.31	9,652.00	9,636.32
5.	डीएवाई-एनआरएलएम	13,336.42	13,336.42	14,129.17
6.	एसपीएमआरएम	550.00	988.91	0.00
7.	एमएसआरडीपी	212.19	126.22	113.49
8.	एनआईआरडी-पीआर	135.46	114.59	115.00
9.	सचिवालय सेवाएं	57.90	81.66	64.02

कुल	1,35,944.29	1,81,121.80	1,57,545.00
-----	-------------	-------------	-------------

बजट अनुमान 2022-23 की तुलना में बजट अनुमान 2023-24 में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

2.7. वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आरई चरण में 1,81,121.80 करोड़ रुपये की पर्याप्त वृद्धि परिलक्षित हो रही है। हालांकि, 2023-24 के लिए बजट अनुमान 1,57,545.00 करोड़ रुपये है। ग्रामीण विकास विभाग से जब चालू वित्तीय वर्ष में व्यय अधिक होने पर आवंटन को न्यायोचित ठहराने के लिए कहा गया तो विभाग द्वारा लिखित उत्तर में निम्नवत स्पष्ट किया गया:-

“मनरेगा: महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए निधियां जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान बजट अनुमान में 73,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 89400 करोड़ रुपए की धनराशि उपलब्ध करायी गई है। दिनांक 25.01.2023 की स्थिति के अनुसार 69804.72 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

पीएमएवाई-जी: पीएमएवाई-जी को जारी रखने के लिए मंत्रिमंडल नोट के अनुसार वर्तमान वित्तीय वर्ष अर्थात् वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए कुल वित्तीय प्रभाव 48,422 करोड़ रुपए है जिसमें से बजट अनुमान 20,000 करोड़ रुपए है। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अनुमोदित संशोधित अनुमान 48,422 करोड़ रुपए है।

पीएमजीएसवाई: पीएमजीएसवाई के लिए निधियों के आवंटन में कोई भिन्नता नहीं है।

डीएवाई-एनआरएलएम: संशोधित अनुमान 2022-23 में डीएवाई-एनआरएलएम के लिए 13336.42 करोड़ रुपए का प्रावधान है। वर्ष 2023-2024 के लिए डीएवाई-एनआरएलएम की कार्यक्रम आवश्यकता को पूरा करने के लिए 14129.17 करोड़ रुपए का प्रावधान उपयुक्त माना जाता है।

एनएसएपी: एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए संशोधित अनुमान चरण में आवंटन 9652 करोड़ रुपए है जबकि वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 9636.32 करोड़ रुपए है। वर्ष 2023-24 के लिए किया गया आवंटन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त लगता है। तथापि, किसी कमी के मामले में इसे संशोधित अनुमान चरण में या अनुपूरक मांगों के माध्यम से लिया जाएगा।

एसपीएमआरएम: एसपीएमआरएम के अंतर्गत, बजट अनुमान 2023-24 में प्रस्तावित आवंटन शून्य है जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए एसपीएमआरएम के अंतर्गत आवंटन को 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 988.91 करोड़ रुपए कर दिया गया है। दिनांक 28 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के जरिए आर्थिक मामले विभाग, वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च, 2022 को मिशन के लिए समाप्ति की तारीख घोषित की थी और एसपीएमआरएम के अंतर्गत व्यय विभाग से विशिष्ट अनुमोदन की प्राप्ति होने तक आवंटन के उपयोग की अनुमति नहीं थी। दिनांक 12 जुलाई, 2022 और 21 दिसंबर, 2022 के पत्राचार के जरिए, व्यय विभाग ने मिशन के अंतर्गत निधियों की रिलीज के लिए 31 मार्च, 2022 की स्थिति के अनुसार चल रही कार्य देयताओं के लिए 15 मार्च, 2023 तक एक बार अनुमति दे दी है। चूंकि मिशन की अवधि का विस्तार नहीं किया गया है इसलिए चल रही कार्य देयताओं के लिए सभी निधियां उक्त तिथि तक जारी की जानी हैं। इसलिए वित्तिय वर्ष 2022-23 हेतु आरई में वृद्धि हुई और बीई 2023-24 हेतु 'शून्य' प्रावधान किया गया।

(vii) **विभाग के लिए धन की मांग और आवंटन**

2.8 इसके अतिरिक्त यह बताया गया कि बीई 2023-24 के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित/मांगी गई योजना और गैर-योजना दोनों सहित कुल निधि 1,97,233.34 करोड़ रुपये थी जिसकी तुलना में वित्त मंत्रालय द्वारा 1,57,545 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।

ग्रामीण विकास विभाग			
ब.अ. (2023-24)-ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित एवं ब.अ. (2023-24) वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित			
(रुपए करोड़ में)			
क्र.सं.	योजना का नाम	2023-24	
		ब.अ. (ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रस्तावित)	ब.अ. (वित्त मंत्रालय द्वारा आवंटित)
	1	2	3
	केंद्र प्रायोजित योजनाएं		
1	महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना	98000.00	60000.00
2	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन-आजीविका	15680.01	14129.17

3	प्रधानमंत्री आवास योजना	54487.00	54487.00
4	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	19000.00	19000.00
5	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम	9652.31	9636.32
6	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन	0.00	0.00
केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं			
7	राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान को अनुदान।	148.25	115.00
8	ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिए प्रबंधन सहायता और जिला योजना प्रक्रिया को मजबूत करना	201.75	113.49
9	एसईसीसी जनगणना	0.00	0.00
गैर योजनागत व्यय			
10	सचिवालय सेवाएं	64.02	64.02
कुल-ग्रामीण विकास		197233.34	157545.00

2.9 सचिव, डीओआरडी ने साक्ष्य के दौरान प्रस्तावित निधि की तुलना में आवंटित निधि के संबंध में निम्नवत जानकारी दी:-

“... कुछ कार्यक्रमों में राशि बढ़ा दी गई है लेकिन कुछ अन्य में इसे कम कर दिया गया है। जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था, नरेगा के तहत, जब भी आवश्यकता पड़ती है, हमें वह निधि आरई के तहत मिलती है। बजटीय प्रावधान उन चर्चाओं के आधार पर बनाए जाते हैं जो हम वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग के साथ करते हैं। चर्चा के आधार पर कुछ कटौती की जाती है। इस प्रकार से यह सब होता है।”

(viii) लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजनाएं

2.10 बीई 2022-23 की तुलना में बीई 2023-24 की तुलना से पता चलता है कि अगले वित्तीय वर्ष के लिए 15.89 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखी गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर कि ग्रामीण विकास विभाग अपने अधीन योजनाओं के लक्ष्यों को साकार करते हुए चुनौतीपूर्ण मांगों को पूरा करने के लिए किस प्रकार योजना बना रहा है, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार जानकारी दी:-

“मनरेगा:- महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियों की रिलीज एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय जमीनी स्तर पर कार्य की मांग को पूरा करने के लिए जब भी आवश्यक हो वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा योजना के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त निधियों की मांग करता है।

वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत बजट अनुमान चरण में 73,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान था। संशोधित अनुमान चरण में वित्त मंत्रालय द्वारा 89400 करोड़ रुपए दिए गए हैं। दिनांक 25.01.2023 की स्थिति के अनुसार 69804.72 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं।

पीएमएवाई-जी:- वित्त वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 54,487.00 करोड़ रुपए है (इसमें नाबार्ड को ब्याज के भुगतान के रूप में 4,000 करोड़ रुपए शामिल है)। वर्ष 2023-24 के लिए कुल लक्ष्य 57,33,953 मकान हैं। मार्च, 2021 के बाद भी पीएमएवाई-जी को जारी रखने का अनुमोदन देते समय केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन (ईबीआर) को चरणबद्ध करने और सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से समग्र योजना निधि के प्रावधान का निर्णय वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा। तदनुसार, वित्त मंत्रालय वित्त वर्ष 2021-22 से केवल जीबीएस के माध्यम से निधियां उपलब्ध करा रहा है।

पीएमजीएसवाई:- मंत्रालय द्वारा किए गए अनुमान के अनुसार पीएमजीएसवाई के चल रहे सभी कार्यकलापों/घटकों को पूरा करने के लिए वर्ष 2023-24 से 2024-25 के दौरान प्रति वर्ष 19,000 करोड़ (केंद्रीय अंश) रुपए तक की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी।

डीएवाई-एनआरएलएम:- जहां तक डीएवाई-एनआरएलएम का संबंध है, वर्ष 2023-24 के लिए कार्यक्रम आवश्यकता को पूरा करने के लिए बजट अनुमान 2023-24 में 14129.17 करोड़ रुपए का प्रावधान पर्याप्त माना जाता है। यदि वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त मांग उठती है तो इसे वर्ष 2023-24 के लिए संशोधन अनुमान चरण में अथवा अनुदानों के लिए अनुपूरक मांगों के माध्यम से मांग जाएगा।

एनएसएपी:- एनएसएपी योजना के लिए एनएसएपी योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2023-24 का बजट अनुमान 9652.31 करोड़ रुपए है। एनएसएपी में, शामिल किए जाने वाले लाभार्थियों की संख्या में सीमा निर्धारण है और यह अधिकांशतः पूरी तरह से उपयोग की गई है इसलिए वित्त वर्ष 2023-24 की आवश्यकता के लिए आवंटित बजट अनुमान पर्याप्त होगा। इसलिए वर्ष 2023-24 के लिए किया गया आवंटन आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त दिखाई देता है।

एसपीएमआरएम:- बजट अनुमान 2023-24 के लिए आवंटन शून्य है। चूंकि मिशन को आगे नहीं बढ़ाया गया है इसलिए चर रही कार्य देयताओं के लिए सभी निधियां 15 मार्च, 2023 तक रिलीज की जानी हैं।

एनआईआरडी एवं पीआर:- एनआईआरडी एवं पंचायती राज और एसआईआरडी/ईटीसी (एमएसआरडीपी) के संबंध में प्रशिक्षण प्रभाग को आवंटित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है।”

अध्याय-तीन

योजनाओं का विश्लेषण

क. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम : (मनरेगा) 2005 को दिनांक 07 सितम्बर, 2005 को अधिसूचित किया गया था।

अधिदेश

इस अधिनियम का अधिदेश प्रत्येक ग्रामीण परिवार, जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम कार्य करना चाहते हैं, को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का गारंटीयुक्त मजदूरी के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना है।

उद्देश्य

इस योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

- ग्रामीण क्षेत्रों में मांग के हिसाब से प्रत्येक परिवार को एक वित्तीय वर्ष में गारंटीयुक्त रोजगार के रूप में कम से कम 100 दिनों का अकुशल शारीरिक श्रम कार्य उपलब्ध कराना, जिसके फलस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और स्थाई स्वरूप की उत्पादनकारी परिसंपत्तियों का सृजन हो।
- निर्धनों के आजीविका संसाधन आधार को सुदृढ़ करना;
- सक्रिय रूप से सामाजिक समावेशिता सुनिश्चित करना।

इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा तथा लोकतांत्रिक सशक्तिकरण पर इसके प्रभाव के माध्यम से ग्रामीण भारत का समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए मनरेगा एक सशक्त साधन है।

कवरेज

प्रथम चरण में 02 फरवरी, 2006 से यह अधिनियम 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था तथा तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2007-2008 में 130 अन्य जिलों में इसका विस्तार किया गया (01 अप्रैल, 2007 से 113 जिले अधिसूचित किए गए और उत्तर प्रदेश के 17 जिले 15 मई, 2007 से अधिसूचित किए गए)। मनरेगा के अंतर्गत शेष जिले 01 अप्रैल, 2008 से अधिसूचित किए गए हैं। इस प्रकार मनरेगा उन जिलों को छोड़कर सम्पूर्ण देश को कवर करता है जिनमें शहरी आबादी 100 प्रतिशत है।

1. वित्तपोषण पद्धति

1.1 मनरेगा अधिनियम की धारा 22(1) और (2) में इस अधिनियम के अंतर्गत शुरू की गई योजनाओं की वित्तपोषण पद्धति के बारे में बताया गया है। धारा 22(1) के अनुसार केंद्र सरकार निम्नलिखित लागत की पूर्ति करेगी :-

(क) योजना के अंतर्गत अकुशल शारीरिक कार्य के लिए मजदूरी के भुगतान हेतु अपेक्षित राशि;

(ख) अनुसूची-11 के प्रावधानों के तहत कुशल और अर्धकुशल कामगारों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना की तीन चौथाई तक की सामग्री लागत;

(ग) प्रशासनिक खर्च के लिए योजना की कुल लागत का 6 प्रतिशत।

धारा 22(2) के अनुसार राज्य सरकार निम्नलिखित लागत की पूर्ति करेगी, अर्थात् :-

(क) योजना के अंतर्गत देय बेरोजगारी भत्ते की लागत;

(ख) अनुसूची-11 के प्रावधानों के तहत कुशल और अर्धकुशल कामगारों को मजदूरी के भुगतान सहित योजना की एक चौथाई तक की सामग्री लागत;

(ग) राज्य परिषद का प्रशासनिक खर्च।

2. वित्तीय कार्य निष्पादन

पिछले पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष की उपलब्धि

संकेतक	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (03.02.2023 तक)
सृजित श्रम दिवस (करोड़ में)	233.74	267.96	265.35	389.10	363.24	248.08
जारी की गई केंद्रीय निधि (रु. करोड़ में)	55706.06	61829.56	71687.7 1	110351. 8	96812.25	71858.37
पूरे हो चुके कार्यों की कुल संख्या (लाख में)	62.63	90.22	74.67	86.86	89.69	78.61
कार्य कर चुके परिवारों की कुल संख्या (करोड़ में)	5.12	5.27	5.48	7.55	7.26	5.78

जारी किए गए नए जॉब कार्डों की संख्या (लाख में)	77.03	62.37	69.53	191.44	127.51	54.95
--	-------	-------	-------	--------	--------	-------

वित्तीय प्रगति :

संकेतक	वित्तीय वर्ष 2022-2023 *	वित्त वर्ष 2021- 2022	वित्त वर्ष 2020- 2021	वित्त वर्ष 2019- 2020
कुल व्यय [रू. करोड़ में]	76,222.89	1,06,356.81	1,11,719.55	68,265.97
मजदूरी पर व्यय कर [रू. करोड़ में]	50,132.19	75,092.67	78,016.86	48,847.94

*31.12.22 तक

पिछले तीन वर्षों के बजट अनुमानों, संशोधित अनुमानों और वास्तविक व्यय को दर्शाने वाला विवरण और चालू वर्ष के बजट अनुमानों में विभाग के अंतर्गत प्रत्येक योजना/कार्यक्रम के लिए अलग-अलग पूंजीगत और राजस्व व्यय दर्शाया गया है।

(रुपए करोड़ में)

क्र सं.	वर्ष	बीई	सं. अ.	जारी	राज्यों द्वारा व्यय*
1	2019-20	60000.00	71001.81	71687.71	68265.97
2	2020-21	61500.00	111500.00	111170.86	111719.55
3	2021-22	73000.00	98000.00	98467.84	106356.81
4	2022-23	73000.00	89400.00	66315.42	67001.65

*एमआईएस के अनुसार

विभाग की प्रत्येक योजना के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान वापिस की गई राशि सहित वास्तविक व्यय एवं संशोधित अनुमान।

(रुपए करोड़ में)

क्र सं.	वर्ष	सं. अ.	जारी	राज्यों द्वारा व्यय*
1	2019-20	71001.81	71687.71	68265.97
2	2020-21	111500.00	111170.86	111719.55

3	2021-22	98000.00	98467.84	106356.81
---	---------	----------	----------	-----------

***एमआईएस के अनुसार**

2.2 वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट अनुमान 73,000 करोड़ रुपए था, जिसे संशोधित अनुमान चरण में थोड़ा बढ़ाकर 89,400 करोड़ रुपए किया गया था। हालांकि, वर्ष 2023-24 के लिए आवंटित बजट अनुमान 60,000 करोड़ रुपये है जो चालू वित्त वर्ष की तुलना में 17.81% कम है। ग्रामीण आबादी पर केन्द्रित एक प्रमुख योजना में इस भारी कमी के बारे में पूछा गया, विशेषकर जब ग्रामीण विकास विभाग से प्रस्तावित बजट अनुमान 98,000 करोड़ रुपए था, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:-

“महात्मा गांधी नरेगा एक मांग संचालित योजना है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धन जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। मंत्रालय जमीनी स्तर पर काम की मांग को पूरा करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर वित्त मंत्रालय से महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन के लिए अतिरिक्त धनराशि की मांग करता है।”

2.3 साक्ष्य के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा को कम आवंटन की चिंता पर, सचिव ने निम्नानुसार प्रस्तुत किया:-

“मूल विचार यह है कि यह एक मांग संचालित योजना है। पिछले दो-तीन वर्षों में आवंटन में वृद्धि हुई थी क्योंकि कोविड, यूक्रेन युद्ध और मुद्रास्फीति की वजह से असामान्य स्थिति पैदा हुई थी। यह महसूस किया गया था कि यह आर्थिक सर्वेक्षण के अनुरूप भी है, अब स्थिति थोड़ी सामान्य हो गई है। कोविड से ठीक पहले, वास्तव में 2020-21 में मूल बजट 61,000 करोड़ रुपये था। चूंकि यह एक मांग आधारित योजना है, जब आवश्यकता पड़ी तो इसे बढ़ाकर 1,10,000 करोड़ रुपये कर दिया गया। चूंकि यह एक मांग आधारित योजना है, जब भी अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है तो हम वित्त मंत्रालय जाते हैं और वे इसके लिए अतिरिक्त धन आवंटित करते हैं। यदि वेतन रोजगार की मांग उत्पन्न होती है तो धन की कोई कमी नहीं रहेगी।”

2.4 पिछले तीन वर्षों के दौरान एमजीनरेगा के तहत खर्च न की गयी शेष राशि रु.2,913.32 करोड़ (2019-20), रु.5,270.76 करोड़ (2020-21) और रु. 6,454.87 करोड़ (2021-22) रही। जब यह पूछा गया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च न की गयी अत्यधिक राशि शेष रहने के क्या कारण थे और वर्तमान वर्ष के दौरान भी 31.12.2022 तक 744.18 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए। क्या वे इस राशि को 31.03.2023 से पहले खर्च कर पाएंगे, मंत्रालय का लिखित उत्तर नीचे दिया गया है:-

“महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। जमीनी स्तर पर मांग के आधार पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को फंड जारी करना एक सतत प्रक्रिया है। विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के अंतिम महीने में कार्यक्रम के सामग्री और प्रशासनिक घटक के लिए जारी की गई धनराशि कुछ राज्यों में अव्ययित शेष रह जाती है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा राज्य सरकार को धन की उपलब्धता में देरी के कारण, बाद में राज्य के वित्त विभाग द्वारा बैंक खाते में जारी करने में देरी राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी के क्षेत्र में फंड ट्रांसफर ऑर्डर जनरेशन के दौरान या फील्ड में प्रशासनिक मुद्दों के दौरान कुछ तकनीकी मुद्दे सामने आते हैं। मंत्रालय इस तरह की अव्ययित शेष राशि, यदि कोई हो, को अगले वित्तीय वर्ष की शुरुआत में बाद में जारी करने के समय समायोजित करता है।

मंत्रालय अगली रिलीज से पहले अंतिम रिलीज का परिसमापन सुनिश्चित करता है।”

2.5 वर्तमान वित्त वर्ष के दौरान जिन राज्यों में मांग बढ़ी है, उनके बारे में बताते हुए संशोधित अनुमान रु.73000 करोड़ से बढ़ाकर रु.89,400 करोड़ करने के कारणों का औचित्य स्पष्ट करने के लिए कहे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नवत उत्तर दिया:-

“महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्तमान में अब तक लेबर बजट पर सहमति 256.86 करोड़ रुपए की बनी है। अब तक, क्षेत्र में कार्यों की मांग में वृद्धि के अनुसार, आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश के स्वीकृत श्रम बजट को पहले ही ऊपर संशोधित किया जा चुका है। मांग आधारित योजना होने के कारण निधियों की आवश्यकता कार्यों की मांग की वर्तमान गति के आधार पर प्रत्याशित मांग पर आधारित है।”

2.6 जब स्पष्ट रूप से मनरेगा के कार्यान्वयन के संदर्भ में अच्छा प्रदर्शन नहीं करने वाले राज्यों, विशेष रूप से निधि जारी करने, मस्टर रोल को समय पर जमा करने और अन्य अनिवार्य औपचारिकताओं के संदर्भ में पूछा गया तो, मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया:-

“योजनान्तर्गत, हितग्राहियों की मांग को लक्षित करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए पिछले 2-3 वर्षों में मांग के पैटर्न को ध्यान में रखते हुए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा केवल मजदूरी रोजगार की मांग का अनुमान लगाया गया है। यदि प्रत्याशित श्रम बजट से अधिक मांग होती है, तो ऐसे मामलों में स्वीकृत श्रम बजट का पुनरीक्षण किया जाता है।

11 राज्यों के लिए श्रम बजट संशोधन किया गया है। अधिक राज्यों के लिए श्रम बजट संशोधन प्रक्रियाधीन है। चूंकि श्रम बजट के साथ-साथ निधियों का कोई लक्षित आबंटन नहीं है, इसलिए राज्य में योजना के पिछले वर्षों के प्रदर्शन का

वर्तमान वित्त वर्ष या भविष्य के वित्त वर्ष के लिए किसी वित्तीय परिव्यय से कोई संबंध नहीं है।”

2.7 योजनान्तर्गत योजना के तहत श्रम बजट में लगातार कमी के कारणों के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:-

“महात्मा गांधी नरेगा एक मांग आधारित कार्यक्रम है। वर्तमान में अब तक लेबर बजट पर सहमति 256.86 करोड़ रुपए की है। आज तक, क्षेत्र में कार्यों की मांग में वृद्धि के अनुसार, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, नागालैंड, बिहार और केरल को पहले ही ऊपर की ओर संशोधित किया गया है। मांग आधारित योजना होने के कारण श्रम बजट की आवश्यकता प्रत्याशित मांग पर आधारित होती है।”

3. वास्तविक कार्य निष्पादन

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी अधिनियम वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा रोजगार गारंटी

(31.12.2022 तक)

क्र. सं.	राज्य	संचयी संख्या एच एच के लिए जॉब रोजगार कार्ड जारी				प्रदान किया गया रोजगार		
		अ.ज.	अ.जजा.	अन्य	कुल	घरेलू	व्यक्ति	कुल
1	आंध्र प्रदेश	2276070	745913	6571538	9593521	4296345	7045269	188223939
2	अरुणाचल प्रदेश	35	288287	16386	304708	236131	246766	8451466
3	असम	317737	885001	4928700	6131438	2053376	3033228	63511780
4	बिहार	4317600	360468	18121728	22799796	4357739	5016839	192709654
5	छत्तीसगढ़	428327	1331525	2322257	4082109	1926356	3306654	60380865
6	गोवा	813	10444	23848	35105	2804	2951	65692
7	गुजरात	268074	1715116	2594450	4577640	908257	1438487	37613515
8	हरियाणा	484623	0	764975	1249598	261379	367053	7098516
9	हिमाचल प्रदेश	368787	86851	984542	1440180	575651	762389	23294100
10	जम्मू और	85793	158337	1106228	1350358	540721	711068	17257608
11	झारखंड	648942	1824701	3687772	6161415	1701126	2049189	62580984
12	कर्नाटक	1393785	700531	5833342	7927658	2688349	4821198	189668659
13	केरल	537703	129515	3484449	4151667	1468878	1645918	67789396
14	लददाख	0	37689	4	37693	31845	36012	1526538
15	मध्य प्रदेश	1269814	2503135	4594168	8367117	4137579	6876603	189674830
16	महाराष्ट्र	955545	1495570	8303007	10754122	1840960	3210855	62260036
17	मणिपुर	15639	257507	321033	594179	219546	228916	3360424
18	मेघालय	4096	596253	46300	646649	415185	521137	16251739
19	मिजोरम	41	212169	1958	214168	214683	217533	15238402
20	नागालैंड	0	450560	5863	456423	418853	485697	18046217
21	ओडिशा	1298026	2165970	4568035	8032031	2976771	4591733	148329989
22	पंजाब	1307683	579	754269	2062531	775984	918338	25214608
23	राजस्थान	2356631	2229288	7134435	11720354	5490005	7397221	239144742
24	सिक्किम	4743	35850	46706	87299	55639	63968	2345185

25	तमिलनाडु	2559426	158853	6545644	9263923	6261369	7135292	246527837
26	तेलंगाना	1228965	943467	3501278	5673710	2566921	4233866	105433661
27	त्रिपुरा	113629	279632	280670	673931	538403	769905	27137677
28	उत्तर प्रदेश	6383728	205304	15485256	22074288	6360481	7544965	262349462
29	उत्तराखंड	217593	44772	939819	1202184	426537	570275	15402503
30	पश्चिम बंगाल	3783074	1080394	10768136	15631604	1620989	2008444	37377658
31	अंडमान और	0	4143	29117	33260	3544	4055	73769
32	दादर नागर	1	3496	52	3549	0	0	0
33	हवेलीक्षद्वीप	9	7956	92	8057	69	70	2625
34	पुडुचेरी	20442	165	53322	73929	38988	41495	631138
	Total	32647374	20949441	113819379	167416194	55411463	77303389	2249772740

4. लंबित मजदूरी

4.1 मंत्रालय से मजदूरी देनदारियों और सामग्री संबंधी केंद्र की हिस्सेदारी के संदर्भ में लंबित देयताओं की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निम्नलिखित ब्यौरा प्रदान किया:-

25.01.23 को लंबित देयताएं (रुपए करोड में)			
क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मजदूरी	सामग्री
1	आंध्र प्रदेश	209	786
2	अरुणाचल प्रदेश	80	30
3	असम	0	110
4	बिहार	0	301
5	छत्तीसगढ़	0	0
6	गोवा	0	0
7	गुजरात	0	0
8	हरियाणा	15	17
9	हिमाचल प्रदेश	27	25
10	जम्मू - कश्मीर	173	22
11	झारखंड	0	220
12	कर्नाटक	0	631
13	केरल	0	132
14	लद्दाख	13	1
15	मध्य प्रदेश	467	352
16	महाराष्ट्र	48	200

17	मणिपुर	0	83
18	मेघालय	0	96
19	मिजोरम	29	0
20	नागालैंड	216	94
21	ओडिशा	401	166
22	पंजाब	0	30
23	राजस्थान	759	73
24	सिक्किम	0	4
25	तमिलनाडु	924	380
26	तेलंगाना	88	219
27	त्रिपुरा	23	6
28	उत्तर प्रदेश	0	927
29	उत्तराखंड	0.0	0
30	अंडमान और निकोबार	0.0	0
31	दादरा - नगर हवेली और दमन - दीव	0.0	0.0
32	लक्षद्वीप	0.0	0.01
33	पुदुचेरी	0.34	0
34	पश्चिम बंगाल	2757	2709
	कुल	6231	7616

4.2 डीओआरडी के सचिव ने मनरेगा के तहत भुगतान में देरी के मुद्दे पर साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया:-

“...2022 की शुरुआत में, वित्त मंत्रालय ने कुछ निदेश दिए थे और यह निदेश दिया गया था कि सभी भुगतान पीएफएमएस पोर्टल के माध्यम से की जाएंगी। कतिपय अन्य शर्तें भी हैं जिनके अनुसार हम निधि तब जारी कर सकते हैं जब राज्य अपने पास उपलब्ध निधि का 75 प्रतिशत उपयोग कर लेता है। यह भी निदेश दिया गया था कि निधि चार किस्तों में जारी की जानी चाहिए। एक किस्त में 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। यह भी निदेश दिया गया था कि राज्यों को भी केंद्र द्वारा जारी की गई निधि के अनुसार अपने हिस्से की निधि जारी करना चाहिए।

अतः, वित्त वर्ष के आरंभ में ये कुछ शर्तें हैं। अतः बहुत से कार्य किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि सभी राज्य योजनाओं को पीएफएमएस पोर्टल पर मैप किया जाना है और राज्यों ने इसके लिए बहुत समय लिया है। ऐसा इसलिए है

क्योंकि कतिपय राज्यों को तदनुसार बजट तैयार करना होता है जिसके लिए उन्हें अपनी विधान सभाओं से अनुमति लेनी होती है। इसलिए पहली दो तिमाहियों में कुछ समस्या थी। यही कारण है कि निधियों को जारी करने में देरी हुई। अब, सब कुछ ठीक हो गया है। अब निधियों को जारी करने में कोई समस्या नहीं है।”

4.3 उन्होंने आगे कहा:-

“...हम यह सुनिश्चित करेंगे क्योंकि प्रावधान संबंधी सभी मुद्दों को अब हल कर लिया गया है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि निधियाँ तत्काल जारी हों।”

5. मजदूरी भुगतान में विलंब हेतु प्रतिपूर्ति

5.1 “महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-दो में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार मजदूरी चाहने वाले मस्टर रोल के बंद होने के सोलहवें दिन से अधिक विलंब की अवधि के लिए प्रति दिन बकाया मजदूरी के 0.05% की दर से मुआवजा प्राप्त करने के हकदार हैं। महात्मा गांधी नरेगा, 2005 की अनुसूची-दो के पैरा 29 (1) में यह प्रावधान किया गया है कि:-

(1) यदि मस्टर रोल बंद होने की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाता है, तो मजदूरी चाहने वाले विलंब के लिए मुआवजे के भुगतान के हकदार होंगे और उनको यह मुआवजा मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद भुगतान नहीं की गई मजदूरी के 0.05 प्रतिशत प्रतिदिन की दर से दिया जाएगा।

(क) मुआवजा देय होने की तिथि से पंद्रह दिनों की अवधि के बाद मुआवजे के भुगतान में किसी भी विलंब को मजदूरी के भुगतान में विलंब के रूप में माना जाएगा।

(ख) मजदूरी के भुगतान में जवाबदेही सुनिश्चित करने और विभिन्न पदाधिकारियों या एजेंसियों की दोषीता की गणना करने के उद्देश्य से, राज्यों को विभिन्न चरणों में मजदूरी के निर्धारण और भुगतान के लिए प्रक्रियाओं को

विभाजित करना होगा जैसे:-

- (i) काम का मापन;
- (ii) मस्टर रोल का कम्प्यूटरीकरण करना;
- (iii) माप का कम्प्यूटरीकरण;
- (iv) मजदूरी सूचियों का तैयार करना; और
- (v) फंड ट्रांसफर ऑर्डर (एफटीओ) अपलोड करना,

और विशिष्ट कार्य के निर्वहन के लिए जिम्मेदार अधिकारी या एजेंसी के साथ चरण-वार अधिकतम समय सीमा निर्दिष्ट करें।

(ग) कंप्यूटर सिस्टम में मस्टर रोल के बंद होने की तारीख और मजदूरी चाहने वालों के खातों में मजदूरी जमा करने की तिथि के आधार पर देय मुआवजे की स्वचालित गणना करने का प्रावधान होगा।

(घ) राज्य सरकार उचित सत्यापन के बाद ऊपर निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर मुआवजे का भुगतान करेगी और भुगतान में देरी के लिए जिम्मेदार अधिकारियों या एजेंसियों से मुआवजे की राशि की वसूली करेगी।

(ङ) यह उस जिला कार्यक्रम समन्वयक या कार्यक्रम अधिकारी का कर्तव्य होगा कि वह यह सुनिश्चित करे कि प्रणाली चालू है।

(च) विलंब के दिनों की संख्या, देय मुआवजा और वास्तव में भुगतान किया गया मुआवजा, निगरानी और सूचना प्रणाली और श्रम बजट में परिलक्षित किया जाएगा।"

मुआवजे का भुगतान राज्य सरकार द्वारा विधिवत सत्यापन के बाद किया जाता है। मंत्रालय ने समय पर भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी किया है जिसके अनुसार समय पर भुगतान प्रक्रिया को दो चरणों में विभाजित किया गया है। चरण-1 (राज्य सरकार द्वारा 8 दिनों के भीतर एफटीओ जारी करना) और चरण-2 (केंद्रीय स्तर पर विभिन्न हितधारकों द्वारा एफटीओ का प्रसंस्करण)। पूरी प्रणाली को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि मजदूरी का भुगतान निर्धारित समय के भीतर हो जाए। कभी-कभी चरण-1 में समय अधिक लगता है और चरण-2 समय से पहले समाप्त हो जाता है जिसके परिणामस्वरूप मजदूरी का भुगतान कुल मिलाकर समय पर हो जाता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। कुछ मामलों में पीएफएमएस भुगतान के लिए बैंक को एफटीओ नहीं भेज पाता।

5.2 मंत्रालय से पिछले तीन वित्तीय वर्षों (वर्तमान वित्त वर्ष में आज की स्थिति सहित) के दौरान मनरेगा के तहत विलंब के लिए मुआवजे के रूप में भुगतान की गई राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मांगे जाने पर उन्होंने निम्नवत् विवरण दिया:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भुगतान किया गया विलंब मुआवजा (रुपये लाख में)			
		2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (24.01.23 को)
1	आंध्र प्रदेश	0	0	280.71	0
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0.55	1.64	0
3	असम	0.92	0	8.06	0
4	बिहार	81.47	46.06	7.61	0
5	छत्तीसगढ़	0	0	0.01	0

6	गोवा	0.01	0.23	0.68	0
7	गुजरात	10.26	0.91	0.2	0
8	हरियाणा	0.34	0.77	0.04	0.04
9	हिमाचल प्रदेश	1.14	0.85	0.9	1.01
10	जम्मू - कश्मीर	0.23	0	0	0
11	झारखंड	0.24	0.03	0	0
12	कर्नाटक	1.23	2.16	4.57	0
13	केरल	0.59	2.4	1.35	0.23
14	लद्दाख	0	0	0	0
15	मध्य प्रदेश	22.16	9.41	10.25	0
16	महाराष्ट्र	17.11	13.04	54.81	156.68
17	मणिपुर	0	0	0	0
18	मेघालय	0	0	0	0
19	मिजोरम	0.04	0	0	0
20	नागालैंड	0	0	0	0
21	ओडिशा	0.21	0.28	0.26	0.03
22	पंजाब	2.73	0.93	0.3	0
23	राजस्थान	2.6	0.83	0.24	0
24	सिक्किम	0.28	0.11	0.23	0
25	तमिलनाडु	0.03	0	0	0
26	तेलंगाना	0	0	0	0
27	त्रिपुरा	0.11	0.02	0.09	0
28	उत्तर प्रदेश	0	0.14	2.73	0.45
29	उत्तराखंड	0.02	0.04	0.23	0.02
30	पश्चिम बंगाल	147.61	81.87	56.82	0
31	अण्डमान और निकोबार	0	0	0	0
32	लक्षद्वीप	0	0	0	0
33	पुदुचेरी	0	0	0	0
34	दादरा - नगर हवेली और दमन -दीव	0	0	0	0
	कुल	289.33	160.63	431.73	158.46

आंकड़ों का स्रोत:- योजना का एमआईएस

6. वर्तमान में अधिसूचित मजदूरी दर

6.1 मंत्रालय से मनरेगा के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दर की राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार सूची उपलब्ध कराने संबंधी प्रश्न के उत्तर में उन्होंने निम्नवत् जानकारी प्रदान की:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अधिसूचित मजदूरी दर वि.वर्ष 2022-23
1	आंध्र प्रदेश	257
2	अरुणाचल प्रदेश	216
3	असम	229
4	बिहार	210
5	छत्तीसगढ़	204
6	गोवा	315
7	गुजरात	239
8	हरियाणा	331
9	हिमाचल प्रदेश	गैर-अनुसूचित क्षेत्र 212- अनुसूचित क्षेत्र 266
10	जम्मू - कश्मीर	227
11	लद्दाख	227
12	झारखंड	210
13	कर्नाटक	309
14	केरल	311
15	मध्य प्रदेश	204
16	महाराष्ट्र	256
17	मणिपुर	251
18	मेघालय	230
19	मिजोरम	233
20	नागालैंड	216
21	ओडिशा	222
22	पंजाब	282
23	राजस्थान	231
24	सिक्किम	222
25	तमिलनाडु	281
26	तेलंगाना	257
27	त्रिपुरा	212
28	उत्तर प्रदेश	213
29	उत्तराखंड	213

30	पश्चिम बंगाल	223
31	अण्डमान - निकोबार	अण्डमान 292 - निकोबार 308
32	दादरा - नगर हवेली	
	दमन - दीव	278
33	लक्षद्वीप	284
34	पुदुचेरी	281

6.2 ग्रामीण विकास विभाग से मनरेगा के तहत मजदूरी और काम के गारंटीकृत दिनों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने लिखित नोट द्वारा निम्नवत् उत्तर दिया:-

“ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है।

अधिसूचना द्वारा महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार इसके लाभार्थियों के लिए मजदूरी दर निर्दिष्ट किया जाता है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए हर साल महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा के मजदूरों को महंगाई से राहत देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर साल मजदूरी दर में संशोधन करता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्तीय वर्ष के 1 अप्रैल से लागू की जाती है। हालांकि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।

महात्मा गांधी नरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार जिसके वयस्क सदस्य स्वेच्छा से अकुशल शारीरिक कार्य करना चाहते हैं उसको एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 3(4) के अनुसार सूखा/प्राकृतिक आपदा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त 50 दिनों के अकुशल मजदूरी रोजगार का प्रावधान है, राज्य सरकारें अपने स्वयं की निधि से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि के बाद अतिरिक्त दिन (मजदूरी) प्रदान करने के लिए प्रावधान कर सकती हैं।”

7. मजदूरी में असमानता

7.1 विभाग से विभिन्न राज्यों में मनरेगा के तहत मजदूरी में असमानता को समाप्त करने के लिए उठाए गए /उठाए जा रहे कदमों और उपयुक्त मुद्रास्फीति सूचकांक के साथ मनरेगा मजदूरी

को जोड़ने के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के वर्तमान दृष्टिकोण के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित में निम्नवत् उत्तर दिया:-

“ग्रामीण विकास मंत्रालय महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के तहत लाभार्थियों की मजदूरी दर निर्दिष्ट की जाती है। तदनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रत्येक वर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। महात्मा गांधी नरेगा मजदूरों को महंगाई से राहत देने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में बदलाव के आधार पर हर साल मजदूरी दर में संशोधन करता है। मजदूरी दर प्रत्येक वित्त वर्ष 1 अप्रैल से लागू की जाती है। हालांकि प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है।”

8. निगरानी एवं उपस्थिति प्रणाली

8.1 अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के लिए मनरेगा के तहत जमीनी स्तर पर उपयोग की जा रही नवीनतम उपस्थिति प्रणाली के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने लिखित उत्तर में निम्नवत् बताया:-

“महात्मा गांधी नरेगा के कार्यान्वयन में और अधिक पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दृष्टि से एक दिन में दो टाइम-स्टाम्प और जियोटैग की गई कर्मचारियों की फोटो के साथ एक मोबाइल ऐप (नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप: एनएमएमएस) के माध्यम से कार्यस्थल पर वास्तविक समय की उपस्थिति दर्ज करने के प्रावधान को 21 मई 2021 से शुरू किया गया, जो कार्यक्रम के नागरिक निरीक्षण और प्रशासन में सुगमता को बढ़ाता है। एनएमएमएस के लागू होने के अनुभव के साथ, मंत्रालय ने अब यह निर्णय लिया है कि 01 जनवरी, 2023 से राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एनएमएमएस के माध्यम से सभी कार्यों (व्यक्तिगत लाभार्थी योजना/परियोजना को छोड़कर) के लिए उपस्थिति दर्ज करना सुनिश्चित करेंगे।”

8.2 डीओआरडी के सचिव ने साक्ष्य के दौरान मनरेगा में उपस्थिति ऐप के बारे में भी निम्नवत् बताया:-

“नरेगा के अंतर्गत हमने कुछ नवाचार किए हैं। उदाहरण के लिए, एक राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली है जो श्रमिकों की जियो-टैग की गई तस्वीरों के

साथ सभी वास्तविक समय की उपस्थिति को डिजिटल रूप से कैप्चर करती है। यह व्यक्तिगत लाभार्थी, परियोजनाओं और योजनाओं को छोड़कर सभी कार्यों के लिए लागू है।”

ख. प्रधान मंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

1. सिंहावलोकन

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) 2024 तक "सभी के लिए आवास" प्रदान करने की सरकार की प्रतिबद्धता के साथ प्रमुख सरकारी योजनाओं में से एक है। प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाईजी) को 1 अप्रैल 2016 से लागू किया गया। पीएमएवाईजी का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सभी आवासहीनों और कच्चे/जर्जर मकानों में रहने वाले परिवारों को मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना है। "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बनाए जाने वाले मकानों की लक्ष्य संख्या 2.95 करोड़ है। निर्धारित लक्ष्य को कई चरणों में हासिल किया जाना है और पहले चरण में 1.00 करोड़ मकानों के निर्माण कार्य और दूसरे चरण में 1.95 करोड़ मकानों का निर्माण कार्य शुरू किया जा रहा है।

(क) सहायता घटक

पीएमएवाई जी के तहत मकान के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 1,20,000 रुपये और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 1,30,000 रुपये की सहायता दी जाती है। इस सहायता में स्वच्छ भारत मिशन (जी), मनरेगा या किसी अन्य समर्पित वित्तपोषण स्रोत के तहत शौचालय के निर्माण के लिए 12,000 रुपये और मनरेगा के तहत ताल-मेल के माध्यम से मैदानी क्षेत्रों में 90 श्रमदिवसों और पर्वतीय राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों तथा आईएपी जिलों में 95 श्रमदिवसों की सहायता शामिल है।

(ख) लाभार्थियों की पहचान

लाभार्थियों की पहचान सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना-2011 के अनुसार आवास अभाव मानदंडों के आधार पर की जाती है। तदनुसार, पीएमएवाईजी के अंतर्गत सभी ग्रामीण आवासहीन और शून्य, एक या दो कमरे के कच्चे मकानों में रहने वाले परिवारों को एसईसीसी के द्वारा शामिल ना किए जाने के मानदंड के अनुसार और ग्राम सभा द्वारा विधिवत सत्यापन के अध्यक्षीन मकानों के निर्माण के लिए सहायता दी जाती है।

इसके अलावा, छूटे हुए पात्र परिवारों को योजना का लाभ प्रदान करने के लिए मंत्रालय ने राज्य सरकारों के माध्यम से ऐसे परिवारों की पहचान करने का निर्णय लिया जिससे उनके नाम पीडब्ल्यूएल में शामिल किए जा सकें। तदनुसार, एमआईएस अवासॉफ्ट पर इस तरह के आंकड़े को शामिल करने के लिए एक मॉड्यूल विकसित किया गया और ऐसे परिवारों, जो पात्र थे लेकिन

पीएमएवाई जी के पीडब्ल्यूएल में शामिल नहीं किये जा सके थे, को शामिल करने के लिए एक मोबाइल ऐप्लिकेशन आवास+ विकसित किया गया था। मंत्रालय के निर्देशों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तदनुसार आवास+ सर्वेक्षण किया गया था। पीएमएवाईजी के तहत 2.95 करोड़ आवासों के संचयी लक्ष्य में से आवास+ सूचियों से दिये जाने वाले लक्ष्य 80-85 लाख के बीच ही होंगे। एसईसीसी से मौजूदा पीडब्ल्यूएल को समाप्त करने के बाद राज्य / संघ राज्य क्षेत्र आवास+ से लक्ष्य प्राप्त करने के लिए पात्र थे। विशेषज्ञ समितियों की सिफारिशों के अनुसार अंतिम रूप दी गई आवास+ सूचियों में से उन्हें 83.86 लाख आवासों का लक्ष्य आबंटित किया गया है।

2. मुख्य विशेषताएं

आवास का न्यूनतम यूनिट साइज 20 वर्ग मीटर (इंदिरा आवास योजना के तहत) से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर कर दिया गया है, जिसमें खाना बनाने के लिए एक अलग से स्वच्छ रसोई क्षेत्र भी शामिल है।

ईकाई (आवास) सहायता लागत मैदानी क्षेत्रों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच 60:40 अनुपात में साझा की जाएगी। पूर्वोत्तर और 2 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड) और जम्मू एवं कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र में साझा पैटर्न का अनुपात 90:10 होगा। अन्य संघ राज्य क्षेत्र के मामले में 100% लागत का वहन भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

पीएमएवाई-जी के लाभार्थियों को वित्तीय सहायता के अलावा, गुणवत्तापरक आवास निर्माण हेतु तकनीकी सहायता भी प्रदान की जाती है।

यदि लाभार्थी इच्छुक है, तो उसे वित्तीय संस्थानों से 70,000 रुपये तक का ऋण प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी।

लाभार्थियों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आवासों के निर्माण पर ध्यान देना, स्थानीय रूप से उपलब्ध निर्माण सामग्री और उचित आवास डिजाइन टाइपोलॉजी के उपयोग को प्रोत्साहित करना और ग्रामीण राजमिस्त्रियों को प्रशिक्षित करना इस योजना में शामिल है।

स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार उनके क्षेत्र के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी का उपयोग करके आपदा सह सकने वाली विशेषताओं से युक्त आवास डिजाइन विकल्प लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जाते हैं।

इस कार्यक्रम को पूर्ण रूप से ई-गवर्नेन्स की सहायता अर्थात् आवससॉफ़्ट और आवास एप के माध्यम से कार्यान्वित और निगरानी की जा रही है।

3. वित्तीय प्रगति

(करोड़ रूपए)

वर्ष	बजट आवंटन			जारी की गई निधियां		
	जी.बी.एस	ई.बी.आर अनुमत	कुल	जी.बी.एस	ई.बी.आर	कुल

2016-17 से 2021-22	1,27,557	61,975	1,89,532	1,25,583	48,819	1,74,402
2022-23	48,422	-	48,422	28,520	-	28,520
कुल	1,75,979	61,975	2,37,954	1,54,103	48,819	2,02,922

वर्ष	लक्ष्य (लाख में)	निर्मित मकानों की संख्या (लाख में)	जारी किया गया केंद्रीय अंश (रु. करोड़ में)	उपयोग* (रु. करोड़ में)
2016-17	42.27	0.02	16,074.37	4,654.61
2017-18	31.54	38.15	29,901.72	53,466.35
2018-19	25.13	44.72	29,986.93	46,454.02
2019-20	57.92	21.28	28,930.63	42,460.32
2020-21	43.08	34.00	39,269	49,106
2021-22	44.09	42.39	30,057	42,806
2022-23	52.78	32.47	28,520	43,621

* राज्य अंश सहित

पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान पीएमएवाई-जी के अंतर्गत नियत निधियों और जारी की गई निधियों का ब्योरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	बजट अनुमान (करोड़ में)	संशोधित अनुमान (करोड़ में)	वास्तविक रिलीज (रु. करोड़ में)
2019-20	19,000.00	18455.00	18,119.63 +10,811.00 *
2020-21	19,500.00	19500.00	19,269.14 + 19,999.82*
2021-22	19,500.00	30057.15	30,056.87
2022-23	20,000.00	48422.00	28,279.12

3.2 संशोधित अनुमान चरण में 2022-23 के बजट अनुमान को 20,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 48,422 करोड़ रुपये किये जाने के कारण पूछे जाने पर तथा इस बढ़ोतरी को न्यायोचित ठहराए जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत् विवरण दिया:-

“भारत सरकार को 2022-23 के दौरान पीएमएवाई-जी के तहत 52,78,547 घरों को पूरा करने के लिए 48,422.00 करोड़ रुपये की कुल लागत आई (नाबार्ड को ब्याज भुगतान सहित)। मार्च, 2021 के बाद पीएमएवाई-जी को जारी रखने को मंजूरी देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से पूरी योजना निधि का प्रावधान वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया जाना था। जिसमें से, बीई 20,000.00 करोड़ रुपये था। अब वित्त मंत्रालय वित्तीय वर्ष 2021-22 से केवल जीबीएस के माध्यम से धन उपलब्ध करा रहा है। तदनुसार, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमएवाई-जी के लिए अनुमोदित संशोधित अनुमान 2022-23 की अनुपूरक अनुदानों को मांगों के पहले बैच के माध्यम से ₹ 48,422.00 करोड़ है।”

3.3 ग्रामीण विकास विभाग से धीमी प्रगति के कारणों तथा शेष अवधि में सम्पूर्ण राशि का उपयोग करने की योजनाओं के संबंध में विवरण देने के लिए कहा गया जिसका उन्होंने निम्नवत् उत्तर दिया:-

“अनुपूरक अनुदानों की मांगों के प्रथम बैच के अनुमोदन के अनुसार संशोधित अनुमान चरण के रूप में 48,422 करोड़ रुपये तय किया गया है। इस प्रभाग के पास लंबित प्रस्तावों के अनुसार 28279.12 करोड़ रुपये पीएमएवाई-जी के तहत जारी किए गए हैं जो 58.40% है। चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही के दौरान अनुपूरक अनुदानों की मांगों के पहले बैच के अनुमोदन के अनुसार 28,422 करोड़ रुपये की अतिरिक्त धनराशि प्राप्त हुई हैं। धन की कमी और राज्य सरकारों से लंबित प्रस्तावों को ध्यान में रखते हुए, भारत की आकस्मिकता निधि से 13,000 करोड़ रुपये अग्रिम के रूप में प्राप्त हुए हैं। 20,000 करोड़ रुपये की बीई की तुलना में पीएमएवाई-जी के तहत 18,414.16 करोड़ रुपये पहले ही जारी किए जा चुके हैं जो 92.07% है।”

3.4 पीएमएवाई-जी आबंटन पर एक प्रश्न के उत्तर में, डीओआरडी के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् प्रस्तुत किया:-

“पीएमएवाई-जी में संशोधित अनुमान 48,000 करोड़ रुपये है। हमें अतिरिक्त 28,000 करोड़ रुपये आबंटित किया गया है क्योंकि हमें उन आवासों का निर्माण पूरा करना है जिन्हें पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। चूंकि यह आबंटन विलंब से

हुआ, हम लगभग 59 प्रतिशत खर्च कर चुके हैं, लेकिन हम आशा करते हैं कि हम इस शीर्ष में भी पूरी राशि का उपयोग कर पाएंगे।”

3.5 वित्त वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान की तुलना में वित्तीय वर्ष 2023-24 के बजटीय आबंटन में भारी वृद्धि हुई है अर्थात् 20,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 54,487 करोड़ रुपए, जो 172.44% की वृद्धि है। भारी वृद्धि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर डीओआरडी ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान 54,487.00 करोड़ रुपये है। (नाबार्ड को ब्याज भुगतान के रूप में रु. 4,000.00 करोड़ शामिल हैं)। वर्ष 2023-24 के लिए कुल लक्ष्य 57,33,953 आवास है। मार्च, 2021 के बाद पीएमएवाई-जी को जारी रखने को मंजूरी देते हुए, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधनों (ईबीआर) को समाप्त करने का निर्णय लिया गया था और सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) के माध्यम से पूरी योजना निधि का प्रावधान वित्त मंत्रालय के परामर्श से तय किया जाना था। तदनुसार, वित्त मंत्रालय केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 से जीबीएस के माध्यम से धन उपलब्ध करा रहा है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत में, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए वार्षिक वित्तीय आबंटन (कार्यक्रम और प्रशासनिक निधि) पिछले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर तय किया जाएगा - पूरा करने के लिए लंबित मकान और उपलब्ध धन का उपयोग और चालू वर्ष में आबंटित लक्ष्य, वार्षिक वित्तीय आबंटन, वार्षिक कार्य योजना (एएपी) का हिस्सा होगा और सचिव (आरडी) की अध्यक्षता वाली अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।"

4. योजना के अंतर्गत अव्ययित शेष: कारण एवं निवारण


अब तक एकत्रित अव्ययित शेष राशि का सकारण विवरण तथा अव्ययित शेष राशि हेतु अपनाई जा रही परिसमापन विधियों की अलग से जानकारी मांगे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"पीएमएवाई-जी के तहत वास्तविक और वित्तीय प्रगति की निगरानी एक ऑनलाइन व्यापक निगरानी डेटाबेस आवाससॉफ्ट के माध्यम से की जा रही है, जिसमें राज्य/संघ राज्य क्षेत्र समय-समय पर प्रगति की रिपोर्ट करते हैं। जैसा कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने आवाससॉफ्ट पर 28,279.12 करोड़ रुपये के केंद्रीय शेष की तुलना में कुल 42,031.87 करोड़ रुपये का व्यय बताया गया है (जिसमें 10,368.03 करोड़ रुपये का राज्य का हिस्सा शामिल है)। राज्यों द्वारा 15,508.78 करोड़ रुपये की अव्ययित शेष राशि की सूचना दी गई है। अत्यधिक अव्ययित शेष राशि का कारण वित्त वर्ष 2022-23 की तीसरी तिमाही के अंत में 9,864.96 करोड़ रुपये केंद्र के हिस्से के रूप में जारी किया जाना है। अव्ययित शेष राशि के

परिसमापन का योजना की प्रगति पर अप्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अव्ययित शेष राशि को कम करने और योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, इस मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

- I. नवीनतम आईटी उपकरणों और प्रौद्योगिकियों का उपयोग करते हुए मकान की स्वीकृति और पूर्णता की सूक्ष्म निगरानी।
- II. सचिव/एएस और जेएस स्तर पर निरंतर समीक्षा।
- III. जिन आवासों की तीसरी या दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है, उन्हें पूरा करने पर ध्यान देना।
- IV. उच्च लक्ष्य वाले राज्यों, खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों और विलंबित आवासों की अलग से समीक्षा
- V. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुसार समय पर धन जारी करना
- VI. पीएमएवाई-जी के भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए राज्यों/सं.रा. क्षेत्रों के साथ निरंतर कार्रवाई करना।"

5. वास्तविक प्रगति



5.2 ग्रामीण विकास विभाग से आवासों के पूरा होने में विलंब को कम करने के लिए सुनिश्चित किए गए कदमों के बारे में पूछे जाने पर और राज्य प्राधिकरणों द्वारा अनिवार्य औपचारिकताओं को समय पर प्रस्तुत न करने जैसी कमी की गहन स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:-

“2022 तक "सभी के लिए आवास" के लक्ष्य की प्राप्ति कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियों से प्रभावित हुई है। कोविड-19 महामारी के कारण राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की अवधि के दौरान, पीएमएवाई-जी के तहत घरों के निर्माण सहित सभी निर्माण गतिविधियां भी प्रभावित हुईं, जिससे पीएमएवाई-जी घरों के निर्माण की गति धीमी हो गई। इसके अलावा, लाभार्थियों की अनिच्छा, प्रवासन, मृतक लाभार्थियों के विवादित उत्तराधिकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आबंटन में देरी और कई बार विभिन्न राज्यों में आम आम चुनाव, विधानसभा और पंचायत चुनावों के कारण भी देरी होती है। सभी के लिए आवास के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत घरों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय निम्नलिखित पहल कर रहा है:

- i. लक्षित आवासों को समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय के स्तर पर प्रगति की नियमित समीक्षा।
- ii. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अनुरोध किया गया है कि पीएमएवाई-जी के तहत जिन घरों के लिए दूसरी और तीसरी किस्तें जारी की जा चुकी हैं, उन पर विशेष ध्यान और प्राथमिकता के साथ स्वीकृत घरों को पूरा करने में तेजी लाई जाए।
- iii. घरों की मंजूरी में अंतराल, पीएमएवाई-जी के पीडब्ल्यूएल की सफाई और कोषागार से एसएनए को केंद्रीय शेयर/राज्य मैचिंग शेयर जारी करने जैसे विभिन्न मापदंडों पर दैनिक निगरानी।
- iv. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्ष्यों का समय पर आवंटन और मंत्रालय के स्तर पर पर्याप्त धनराशि जारी करना।
- v. घर के निर्माण के लिए पर्यावरण के अनुकूल और नवीन तकनीकों को बढ़ावा देना।
- vi. योजना के केंद्र और राज्य के हिस्से को जारी करने और ग्रामीण क्षेत्रों में भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि का प्रावधान सुनिश्चित करने के लिए राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई।
- vii. तकनीकी मुद्दों और राज्यों द्वारा सामना की जाने वाली अन्य बाधाओं का शीघ्र समाधान।
- viii. ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण (आरएमटी) कार्यक्रम के कवरेज को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं जिससे प्रशिक्षित राजमिस्त्री की उपलब्धता बढ़ेगी जिससे गुणवत्ता वाले घरों का तेजी से निर्माण हो सकेगा।

ix. प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड के आधार पर सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों को पुरस्कार, जिससे निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और प्रेरणा पैदा हो।”

5.3 आवास प्लस सर्वेक्षण के अनुसार चिन्हित अन्य पात्र लाभार्थियों को आवास आवंटन के संबंध में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत जानकारी दी:-

“केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के तहत 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष घरों को पूरा करने के लिए मार्च, 2021 से मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने को मंजूरी दे दी है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी) 2011 के आवास वंचन मापदंडों के आधार पर की गई है और 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के भीतर अंतराल को अंतिम रूप से आवास+ सूचियों से पूरा किया जाना है।

वर्तमान में, मंत्रालय मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य के अलावा शेष घरों को अंतिम आवास+ सूचियों में शामिल करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

5.4 साक्ष्य के दौरान, डीओआरडी के सचिव ने केंद्र के आवास+ निर्देशों के बारे में निम्नवत बताया:-

“आवास+ के संबंध में केंद्र की ओर से भविष्य में मकानों की सूची बनाने का कोई निर्देश नहीं है।”

6. भूमिहीन लाभार्थी

विभाग से प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या के बारे में पूछे जाने पर और ऐसे लाभार्थियों को भूमि प्रदान करने के लिए राज्यों से आग्रह करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार निम्नवत विवरण प्रदान किया है:-

विभिन्न आयोजनों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के आधार पर, प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में भूमिहीन लाभार्थियों की संख्या की सूची नीचे दी गई है:

क्र.सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भूमिहीन लाभार्थी	भूमि/सहायता प्रदान की	अभी तक भूमि/सहायता प्रदान की जानी है
1	अंडमान और निकोबार	652	652	0

2	आंध्र प्रा.	1888	1888	0
3	अरुणाचल प्रा.	0	0	0
4	असम	69,513	28150	41363
5	बिहार	20763	3820	16943
6	छत्तीसगढ	6207	6153	54
7	डी एंड एन एच	88	32	56
8	डी एंड डी	0	0	0
9	गोवा	0	0	0
10	गुजरात	7921	6713	1208
11	हरियाणा	7	0	7
12	हिमाचल प्र.	32	24	8
13	जे और के	204	0	204
14	झारखंड	2935	2006	929
15	कर्नाटक	15436	11560	3876
16	केरल	7288	1428	5860
17	लद्दाख	0	0	0
18	लक्षद्वीप	0	0	0
19	मध्य प्र.	37519	36155	1364
20	महाराष्ट्र	156170	55526	100644
21	मणिपुर	0	0	0
22	मेघालय	713	631	82
23	मिजोरम	0	0	0
24	नागालैंड	0	0	0
25	ओडिशा	57932	39842	18090
26	पांडिचेरी	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
27	पंजाब	204	194	10
28	राजस्थान	55405	48330	7075
29	सिक्किम	0	0	0
30	तमिलनाडु	100544	5749	94795
31	तेलंगाना	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
32	त्रिपुरा	126	126	0
33	उत्तर प्रदेश	1993	1993	0

34	उत्तराखंड	1116	844	272
35	पश्चिम बंगाल	3400	2642	758
	कुल (राष्ट्रीय)	548056	254458	293598

भूमिहीन पीएमएवाई-जी लाभार्थियों को आवास निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना अत्यंत महत्वपूर्ण है और सरकार इस पर गंभीरता से ध्यान दे रही है। भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। इसलिए, पीडब्लूएल में भूमिहीन परिवारों के लिए भूमि सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर काम कर रही है। शेष भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के मुद्दे की राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित रूप से विभिन्न स्तरों पर निगरानी की जा रही है।

पीएमएवाई-जी के तहत उन भूमिहीन लाभार्थियों के मामलों को रिमांड करने के लिए योजना के एमआईएस यानी आवाससॉफ्ट में प्रावधान किया गया है, जो गृह निर्माण के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई भूमि पर स्थानांतरित होने के इच्छुक नहीं हैं।

इसके अलावा, भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में हाल के महत्वपूर्ण पत्राचार का विवरण नीचे दिया गया है:-

क्र.सं	पत्र संख्या	दिनांक (दिन/माह/वर्ष)	जारी करने का स्तर
1	डी.ओ.न.13011/05/ 2013-एलआरडी	05/09/2018	आरडी मंत्री
2	डी.ओ.न.. जे-11060/07/2018- आरएच(एमएडंटी)	04/01/2019	संयुक्त सचिव (आरएच)
3	जे-11060/07/2018- आरएच(एमएडंटी)	16/09/2019	आरडी राज्य मंत्री
4	एम-12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)	20/07/2020	अवर सचिव (आरएच)
5	एम-12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)-भाग एक	16/11/2020	उप सचिव (आरएच)
6	डीओ# J-11014/01/2016- आरएच	09/04/2021	सचिव (आरडी)
7	जे -11014/01/2016- आरएच	30/04/2021	आरडी मंत्री
8	एम-12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)- भाग -एक	10/08/2021	उप सचिव (आरएच)
9	एम-12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)- भाग -एक	31/01/2022	उप. महानिदेशक (आरएच)
10	डी.ओ.एम-12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)- भाग -एक	25/11/2022	उप. महानिदेशक (आरएच)

11	डी.ओ.नं. एम12018/2/2016- आरएच(एमएडंटी)- भाग -एक	06/12/2022	उप. महानिदेशक (आरएच)
----	--	------------	----------------------

6.2 साक्ष्य के दौरान, डीओआरडी के सचिव ने भूमिहीन लाभार्थियों के संबंध में निम्नवत बताया:-

“...भूमिहीन लोगों की समस्या के संबंध में, हम इस पर राज्यों के साथ लगातार बातचीत कर रहे हैं। वास्तव में, हमने उन्हें एक समय सीमा दी थी कि कब तक जमीन उपलब्ध कराई जानी है। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो सका। कुछ राज्यों ने इसे प्रदान किया, लेकिन अधिकांश राज्य ऐसा करने में विफल रहे हैं। इसलिए हमने उन्हें इस वर्ष 31 मार्च तक का समय दिया है। उसके बाद हमें इस पर निर्णय लेना होगा क्योंकि इन लोगों के पास आवास होने चाहिए। इसलिए, हम देखेंगे कि हम इसके बारे में क्या कर सकते हैं।”

7. पीएमएवाई-जी के अंतर्गत यूनिट सहायता में वृद्धि

ग्रामीण विकास विभाग को पीएमएवाई-जी के तहत प्रति इकाई सहायता में वृद्धि की मांगों के संबंध में अपना विचार प्रस्तुत करने के लिए कहे जाने पर, उनके द्वारा निम्नवत उत्तर प्रस्तुत किया गया है:-

“केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8 दिसंबर, 2021 को हुई अपनी बैठक में पीएमएवाई-जी के मौजूदा मानदंडों के अनुसार मार्च, 2021 से मार्च, 2024 तक पीएमएवाई-जी को जारी रखने को मंजूरी दी थी ताकि 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष घरों को पूरा किया जा सके। वर्तमान में, यूनिट सहायता बढ़ाने के लिए मंत्रालय के विचाराधीन कोई प्रस्ताव नहीं है।”

8. निगरानी तंत्र

जब पीएमएवाई-जी के तहत पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए वास्तविक समय निगरानी सहित सभी प्रकार की निगरानी तंत्र का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया, तो विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया:-

“पीएमएवाई-जी के तहत प्रदर्शन के साथ-साथ प्रक्रियाओं की निगरानी के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र को अपनाया गया है। आवाससॉफ्ट में कार्यप्रवाह सक्षम लेन-देन डेटा का उपयोग करके वास्तविक समय में प्रगति की निगरानी के माध्यम से प्रदर्शन की निगरानी की जाती है। आवाससॉफ्ट में लेन-देन से उत्पन्न डेटा को प्रदर्शन के विभिन्न मापदंडों की निगरानी के लिए सिस्टम जनित रिपोर्ट के रूप में एकत्रित किया जाता है। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न पूर्व-

निर्धारित मापदंडों पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिलों, ब्लॉक और पंचायतों के प्रदर्शन की निगरानी करने और तदनुसार राज्यों, जिलों और ब्लॉकों को राष्ट्रीय स्तर पर रैंक देने के लिए प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड विकसित किया है। यह राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करते हुए, चयनित मापदंडों पर और भौगोलिक रूप से भी प्रगति की निरंतर निगरानी की सुविधा के लिए किया गया है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय टीमों (क्षेत्रीय अधिकारियों और एनएलएम) द्वारा निरीक्षण, संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी (दिशा) समिति द्वारा निगरानी, सामाजिक लेखापरीक्षा, आंतरिक लेखापरीक्षा और राज्य स्तरीय पीएमयू के माध्यम से प्रक्रिया निगरानी तंत्र को अपनाया जाता है।

पीएमएवाई-जी के तहत निगरानी को प्रौद्योगिकी के व्यापक उपयोग के साथ बहु-स्तरीय और बहु-एजेंसी माना जाता है। भारत सरकार, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों के स्तर पर निगरानी की जाती है जिसमें घर की गुणवत्ता और समय पर पूरा करने और यथासंभव हरित सामग्री और प्रौद्योगिकियों को अपनाने पर जोर दिया जाता है। विवरण भी नीचे दिए गए हैं:

भारत सरकार के स्तर पर:

- डेडिकेटेड माइक्रो मॉनिटरिंग डैशबोर्ड, परफॉरमेंस इंडेक्स डैशबोर्ड सहित आईटी सक्षम ई-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म, साथ ही क्षेत्र अधिकारियों, राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर और दिशा जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा जमीनी सत्यापन के माध्यम से। लाभार्थियों के चयन, लाभार्थियों को सहायता का संवितरण, निर्माण में प्रगति का सत्यापन, धन जारी करने आदि से योजना का अंत-से-अंत तक निष्पादन कार्यप्रवाह सक्षम लेनदेन-आधारित एमआईएस-आवाससॉफ्ट के माध्यम से किया जाता है।
- भू-संदर्भित, दिनांक और समय की मुहर लगी तस्वीरों के माध्यम से जमीन पर चरण-वार निर्माण की वास्तविकप्रगति की निगरानी की जाती है, जो निरीक्षकों या लाभार्थियों द्वारा मोबाइल आधारित एप्लिकेशन - "आवास ऐप" का उपयोग करके कैप्चर की जाती है और आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है। पीएमएवाई-जी के तहत निर्मित घरों की गुणवत्ता की निगरानी मोबाइल एप्लिकेशन "आवास ऐप" में विकसित गुणवत्ता निगरानी मॉड्यूल के माध्यम से की जाएगी।
- राष्ट्रीय स्तर के मॉनिटर और मंत्रालय के क्षेत्रीय अधिकारी भी अपने क्षेत्र के दौरों के दौरान योजना के तहत प्रगति और प्रक्रियाओं का आकलन करने के लिए पीएमएवाई-जी घरों का दौरा करेंगे। माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता में जिला स्तर पर दिशा समिति भी पीएमएवाई-जी की प्रगति और कार्यान्वयन की निगरानी करेगी।

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के स्तर पर: राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर निगरानी के लिए पीएमएवाई-जी के एफएफआई में निम्नलिखित प्रावधान मौजूद हैं:

- ब्लॉक स्तर पर अधिकारियों को निर्माण के दौरान यथासंभव 10% घरों का निरीक्षण करना चाहिए.
- जिला स्तरीय अधिकारी निर्माण के दौरान 2% मकानों का निरीक्षण करें.
- पीएमएवाई-जी के तहत स्वीकृत प्रत्येक घर को सरकारी कर्मचारियों (ग्राम रोजगार सहायक, आवास सहायक, आवास मित्र या किसी अन्य ग्राम स्तर के कार्यकर्ता) और एसएचजी पदाधिकारियों सहित एक ग्रामीण स्तर के अधिकारी को टैग किया जाना चाहिए, जो एक घर का निर्माण पूरा होने तक लाभार्थी को सुविधा और अनुवर्ती कार्रवाई करेंगे।
- कार्यान्वयन मापदंडों की निगरानी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शन सूचकांक डैशबोर्ड और समर्पित माइक्रो-मॉनिटरिंग डैशबोर्ड के माध्यम से की जाएगी।
- विभिन्न स्तरों पर पीएमयू विभिन्न स्तरों पर योजना कार्यान्वयन और गुणवत्ता पर्यवेक्षण की निगरानी के लिए सभी गतिविधियों की निगरानी करेंगे

उपरोक्त निगरानी तंत्र के अलावा, इस योजना की निगरानी सामुदायिक/भागीदारी निगरानी, बैंक खातों/राज्य नोडल खातों की लेखापरीक्षा और सामाजिक लेखापरीक्षा तंत्र के माध्यम से भी की जाती है। मंत्रालय ने पीएमएवाई-जी के तहत सोशल ऑडिट के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी कर दिए हैं।“

ग. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

1. संक्षिप्त रूपरेखा

भारत सरकार ने "ग्रामीण सड़कों" के माध्यम से राज्यों की सहायता के उद्देश्य से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में गरीबी उपशमन कार्यनीति के भाग के रूप में दिनांक 25 दिसंबर, 2000 को प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई-1) का शुभारंभ किया।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में सम्पर्कविहीन पात्र बसावटों के लिए पूरे वर्ष काम आने वाली आवश्यक पुलियों और आर-पार निकासी संरचनाओं वाली बारहमासी सड़क के माध्यम से सड़क संपर्क प्रदान करना है। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार मैदानी क्षेत्रों में 500 से अधिक आबादी और पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों, रेगिस्तानी क्षेत्रों, चयनित जनजातीय (अनुसूची V) क्षेत्रों में 250 से अधिक आबादी और गृह मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा यथा-निर्धारित चुनिंदा जनजातीय और पिछड़े जिलों को इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाना था जिससे इन बसावटों को बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं, शिक्षा और अपनी उपज के लिए बाजारों तक पहुंचने की सुविधा उपलब्ध हो सके। वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) से गंभीर रूप से प्रभावित ब्लॉकों (गृह मंत्रालय द्वारा यथा निर्धारित) में 100 से

अधिक आबादी (वर्ष 2001 की जनगणना) वाली बसावटों को सड़क से जोड़ने के लिए अतिरिक्त छूट दी गई है। इस योजना में उन जिलों में मौजूदा ग्रामीण सड़कों के उन्नयन (निर्धारित मानकों तक) का घटक भी था, जहां निर्दिष्ट जनसंख्या वाली सभी पात्र बसावटों को बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध करा दिया गया है, यद्यपि यह इस योजना (पीएमजीएसवाई-I) का मूल उद्देश्य नहीं था।

जैसे-जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ा, न केवल परिवहन सेवाओं के प्रदाता के रूप में, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास के साधन के रूप में भी मौजूदा ग्रामीण सड़क नेटवर्क की दक्षता में सुधार के उद्देश्य से इसके सुदृढीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। तदनुसार, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 50,000 किलोमीटर के उन्नयन के लक्ष्य के साथ चयनित संपर्क मार्गों और प्रमुख ग्रामीण संपर्क मार्गों (एमआरएल) का उन्नयन करने के लिए वर्ष 2013 में पीएमजीएसवाई-II शुरू किया गया था। तदुपरांत, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के निर्माण/उन्नयन के लिए वर्ष 2016 में पीएमजीएसवाई के अंतर्गत एक अलग शीर्ष के रूप में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) शुरू की गई थी। वर्ष 2019 में, सरकार ने बसावटों को अन्यथा के साथ-साथ ग्रामीण कृषि बाजारों, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों और अस्पतालों से जोड़ने वाले 1,25,000 किलोमीटर संपर्क मार्गों और मुख्य ग्रामीण संपर्क मार्गों के सुदृढीकरण के लिए पीएमजीएसवाई-III शुरू किया।

स्थापना के बाद से पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्रमों/घटकों के तहत 2,90,000 करोड़ रुपये से अधिक के निवेश से 7,20,000 किलोमीटर से अधिक सड़क का निर्माण किया गया है, जिसमें राज्य का हिस्सा भी शामिल है।

2. वित्तपोषण पद्धति

यह योजना 100% केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में शुरू की गई थी। पीएमजीएसवाई-II को वर्ष 2013 में केंद्र और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच (मैदानी क्षेत्रों के लिए 75:25 और पूर्वोत्तर राज्यों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90:10) भागीदारी के आधार पर शुरू किया गया था। इसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाओं के युक्तिकरण के संबंध में मुख्यमंत्रियों के उप-समूह की सिफारिश के आधार पर 8 पूर्वोत्तर और 3 हिमालयी राज्यों (हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, तत्कालीन जम्मू और कश्मीर) जिनके लिए वित्तीय वर्ष 2015-16 से 90:10 करने का निर्णय लिया गया था, को छोड़कर सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच पीएमजीएसवाई के वित्तीय भागीदारी पैटर्न को बदलकर 60:40 कर दिया गया था। जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के अलावा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 100% केंद्रीय हिस्सा है।

3. पीएमजीएसवाई - समय सीमा और प्रगति (31.01.2023 के अनुसार)

पीएमजीएसवाई - समय सीमा और प्रगति (31/01/2023 के अनुसार)					
वर्ष	ब. अ.	₹	₹	(%)	वर्ष
2022	-I	-	6,45,607	6,21,148 (96.24%)	2022
2022	-II	50,000	49,884	48,383 (97.01%)	2022
2023		11,320	12,100	6,729 (55.61%)	2023
2025	-III	1,25,000	96,950	49,283 (51.02%)	2025

20

4. वित्तीय प्रगति


वित्तीय लक्ष्यों के संबंध में उपलब्धि नीचे दी गई है:-

वर्ष	वित्तीय [₹. करोड में]			उपलब्धि प्रतिशत
	ब. अ.	संशोधित अनुमान(लक्ष्य)	जारी की गई वास्तविक निधियां (उपलब्धि)	
2019-20	19,000	14,070.07	14,017.48	99.63%
2020-21	19,500	13,706.23	13,694.99	99.92%
2021-22	15,000	14,000.01	13,993.92	99.96%
2022-23*	19,000	19,000	11,908.82	62.68%

* 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार

सड़क निर्माण को लेकर मौजूदा वित्त आयोग के साथ-साथ पिछले वित्त आयोग की ओर से कोई मापदंड तय नहीं किया गया है।

पीएमजीएसवाई – वित्तीय रिलीज और व्यय (राज्य अंश सहित)



2022-23 के लिए बजट अनुमान/संशोधित अनुमान- 19,000 करोड़ रुपये।

पिछले तीन वर्षों के दौरान और चालू वर्ष के दौरान 31 दिसंबर, 2022 तक पीएमजीएसवाई के तहत अव्ययित शेष राशि का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

वर्ष	अव्ययित शेष राशि@
2019-20	11,439.51
2020-21	9,071.92
2021-22	6,217.82
2022-23 (दिनांक 31.12.2022 तक)	7,402.34

@ राज्य के हिस्से सहित

वर्ष 2022-23 के दौरान अव्ययित शेष राशि का एक कारण तीसरी तिमाही के दौरान राज्यों को निधियां जारी करना है। सड़क निर्माण के लिए कई राज्यों में कार्य का मौसम शुरू हो गया है और इससे अव्ययित शेष राशि में कमी आएगी।

4.2 ग्रामीण विकास विभाग से पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत पिछले वर्ष की समान धनराशि के लक्ष्यों की उपलब्धि के संबंध में उनके दृष्टिकोण के बारे में पूछा गया और यह पूछा गया कि क्या निर्माण की बढ़ती लागत को योजना के लिए निधियों की मांग करते समय ध्यान में रखा गया है, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में विस्तार से निम्नानुसार बताया है:-

“पीएमजीएसवाई-1, II और आरसीपीएलडब्ल्यूई के लिए पिछले समय विस्तार के समय, पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए निधियों की आवश्यकता का अनुमान सीसीईए टिप्पण में निम्नानुसार लगाया गया था:-
निधियों की वर्ष-वार आवश्यकता

(रु करोड़ में)

क्र.सं.	वित्तीय वर्ष	केन्द्रीय अंश	राज्य अंश	कुल
i.	2021-22	20,875	10,138	31,013
ii.	2022-23	20,350	9,882	30,232
iii.	2023-24	17,530	8,513	26,043
iv.	2024-25	16,915	8,216	25,131
	कुल	75,670	36,749	1,12,419

वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के दौरान निधियों की घटक-वार आवश्यकता
(रु करोड़ में)

घटक का नाम	निधियों की आवश्यकता	
पीएमजीएसवाई-I	20,818	33,822
पीएमजीएसवाई-II	6,029	
आरसीपीएलडब्ल्यूईए	6,975	
पीएमजीएसवाई-III	78,597	
कुल	1,12,419	

तदनुसार, पीएमजीएसवाई के तहत चल रहे सभी कार्यक्रमों को पूरा करने के लिए 2023-24 से 2024-25 के दौरान प्रति वर्ष 19,000 करोड़ रुपये (केंद्रीय अंश) की बजटीय सहायता की आवश्यकता होगी।

पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, समय सीमा से अधिक समय लगने और लागत वृद्धि के साथ-साथ निविदा प्रीमियम के कारण केंद्र सरकार द्वारा कोई अतिरिक्त निधियां प्रदान नहीं की जाती है। दिशा-निर्देशों में सड़कों/पुलों का निर्माण पूरा करने के लिए समय-सीमा स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है और राज्यों को इसका पालन करना होता है। यदि समय बढ़ने

के कारण लागत बढ़ती है, तो राज्य को अतिरिक्त लागत वहन करनी पड़ती है। इसलिए, सामग्री और रसद लागत में वृद्धि के कारण योजना के लिए परिकल्पित प्रारंभिक बजटीय आवश्यकता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता।”

4.3 विभाग से 09.01.2023 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि का उपयोग करने की उनकी योजना के बारे में पूछे जाने पर की गई तो ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया: -

“मंत्रालय विभिन्न मासिक समीक्षा बैठकों में राज्यों के साथ अव्ययित शेष राशि की स्थिति की नियमित रूप से समीक्षा करता रहा है। राज्यों को तब तक केन्द्रीय निधियां जारी नहीं की जा रही हैं जब तक कि वे अपने पास पहले से उपलब्ध निधियों को 75% की उचित सीमा तक खर्च नहीं करते हैं। राज्यों को कार्यों की प्रगति में तेजी लाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि उनके पास उपलब्ध निधियों का समयबद्ध तरीके से उपयोग किया जा सके। माननीय ग्रामीण विकास मंत्री की ओर से राज्यों के मुख्यमंत्रियों को कार्य में तेजी लाने और सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के लिए पत्र लिखे गए हैं।

इन सभी प्रयासों के कारण, 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार अव्ययित शेष राशि 6,809.23 करोड़ रुपये (राज्य अंश सहित और सुरक्षा जमा को छोड़कर) है। 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार बकाया शेष 6,809.23 करोड़ रुपये की बकाया शेष राशि में से दिसंबर, 2022 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय अंश के रूप में 2,816.19875 करोड़ रुपये और राज्य अंश के रूप में 1,723.40 करोड़ रु जारी किए गए हैं। दिसंबर महीने के केंद्रीय अंश और राज्य अंश को घटाने के बाद अव्ययित शेष राशि 2,269.631 करोड़ रुपये है।

इसके अलावा, संशोधित अनुमान चरण में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए पीएमजीएसवाई के लिए बजट आवंटन 19,000 करोड़ रुपये है, जिसमें से 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को 11,908.82 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। 7,091.18 करोड़ रुपये की उपलब्ध निधि के लिए व्यय योजना नीचे दी गई है:

माह	लक्षित व्यय (रुपये करोड़ में)
जनवरी	2,800
फरवरी	2,800
मार्च	1,491.18
कुल	7,091.18

मंत्रालय पूरी राशि का उपयोग करने के लिए आशान्वित है क्योंकि कई राज्य पीएमजीएसवाई-III के तहत स्वीकृत कार्यों के निर्माण में संलग्न हैं, जहां निर्माण की गति योजना के अन्य घटकों, विशेष रूप से पीएमजीएसवाई-I और आरसीपीएलडब्ल्यूईए की तुलना में बहुत तेज है क्योंकि इनमें भूमि और वन मंजूरी से संबंधित नए निर्माण शामिल हैं और इनमें निर्माण कार्य रुके हुए हैं। तदनुसार व्यय भी तेज गति से हो रहा है। इसके अलावा, राज्य के पास पिछली रिलीज की संचित निधियां भी नहीं हैं जिस कारण अव्ययित शेष राशि न्यूनतम स्तर पर है।”

5. वास्तविक प्रगति

पिछले पांच वर्षों के दौरान वास्तविक उपलब्धि

वर्ष	लंबाई [कि.मी.]		बस्तियां [सं.]	
	लक्ष्य	उपलब्धि	लक्ष्य	उपलब्धि
2017-18	51,000	48,730	15,000	11,548
2018-19	57,700	49,043	15,000	10,484
2019-20	50,097	27,302	9,721	4,156
2020-21	46,164	36,674	3,273	2,588
2021-22	50,000	41,969	2,025	1,216
2022-23 (31.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	47,171	20,966	1,736	536

कम उपलब्धि के लिए निम्नलिखित कारणों को जिम्मेदार माना जा सकता है:-

- (i) जिन बस्तियों को जोड़ा जाना शेष है, वे अधिकतर दूरदराज के क्षेत्रों में हैं;
- (ii) पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में कार्य के मौसम का छोटा होना;
- (iii) अपर्याप्त कार्य निष्पादन और संविदा क्षमता की तैनाती;
- (iv) पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों में दुर्गम भू-भाग;

मंत्रालय स्थिति की लगातार समीक्षा कर रहा है और प्रत्येक वर्ष में निर्धारित वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों को अपेक्षित सहायता प्रदान की जाती है।

योजना के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के तहत कमियों के साथ-साथ वास्तविक प्रगति अलग-अलग राज्य/संघ राज्य-क्षेत्रवार **अनुबंध दो** में प्रस्तुत की गई है।

5.2 योजना के सफल कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका को स्पष्ट करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग से कहा गया, उन्होंने निम्नानुसार प्रतिक्रिया दी है: -

“पीएमजीएसवाई दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्रामीण सड़कें राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़क कार्यों के निष्पादन और उनके रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है जो इस योजना को कार्यान्वित करने वाले प्राधिकरण हैं। परियोजनाओं की समय पर मंजूरी इस बात पर निर्भर करती है कि राज्यों द्वारा डीपीआर कितनी अच्छी तरह तैयार की जाती हैं और राज्य द्वारा प्री-ईसी और ईसी की टिप्पणियों का समय पर अनुपालन किया जाता है। राज्यों द्वारा किए जाने वाले कार्यों को समय पर करना सुनिश्चित करने में समय पर कार्य सौंपना भी एक प्रमुख कारक है। यह सुनिश्चित करना भी राज्यों की जिम्मेदारी है कि प्रत्येक सड़क का निरीक्षण करके और प्रत्येक पैकेज पर फील्ड प्रयोगशालाओं की स्थापना करके विभिन्न स्तरों पर सख्त गुणवत्ता निगरानी सुनिश्चित करके योजना के तहत अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण किया जाए।”

5.3 ग्रामीण विकास विभाग को अनिवार्य औपचारिकताओं को पूरा करने में राज्यों की धीमी गति के कारण योजना में आ रही बाधाओं का विवरण प्रदान करने के लिए कहे जाने पर, विभाग ने अपने लिखित उत्तरों में निम्नानुसार उत्तर दिया है:-

“राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पीएमजीएसवाई-1 और II योजना को कार्यान्वित करते समय, भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी, राज्यों की खराब संविदा क्षमता, निविदाओं पर प्रतिक्रिया की कमी, कानून और व्यवस्था के मुद्दे, केंद्र और राज्य दोनों के अंश के अंतर्गत समय पर निधि जारी करने की राज्यों की वित्तीय क्षमता, राज्यों/एसआरआरडीए की निष्पादन क्षमता जैसे मुद्दों ने सामान्य रूप से योजना की समग्र प्रगति को प्रभावित किया। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए, दुर्गम प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों, कठिन इलाके, कम कार्य होने वाले मौसम आदि जैसे कुछ अतिरिक्त मुद्दे भी सामने आए जिसने चुनौतियों को और जटिल बना दिया। आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत कार्यों की मुख्य रूप से कानून और व्यवस्था की स्थिति, वन स्वीकृति संबंधी मुद्दों और कई बार आरसीपीएलडब्ल्यूईए को कार्यान्वित करने वाले राज्यों में ठेकेदारों की अनुपलब्धता के कारण योजना के अनुसार प्रगति नहीं हो पाई है।

पीएमजीएसवाई-1 और II के तहत सितंबर, 2022 (20.01.2023 की स्थिति के अनुसार) की समय सीमा के बाद जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पीछे चल रहे हैं या दूसरे शब्दों में जिन्हें सबसे अधिक शेष कार्य पूरे करने हैं वे राज्य अरुणाचल

प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर मणिपुर, मेघालय और उत्तराखंड हैं।

पीएमजीएसवाई/आरसीपीएलडब्ल्यूईए के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के कार्यान्वयन की प्रगति की नियमित निगरानी क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्य निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी), बैठकों, पूर्व-अधिकार प्राप्त/अधिकार प्राप्त समिति की बैठकों, राज्य के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से की जाती है। जिला स्तर पर, संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) पीएमजीएसवाई सहित भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करती है। इसके अतिरिक्त, गृह सचिव, आरसीपीएलडब्ल्यूईए के लिए भारत सरकार और ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव/अतिरिक्त सचिव/संयुक्त सचिव द्वारा राज्यों के मुख्य सचिवों/प्रधान सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं। कार्यों की प्रगति में सामने आने वाले मुद्दों को हल करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन और मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जाती है।”

5.4 पीएमजीएसवाई योजना में विलंब के मुद्दे पर, साक्ष्य के दौरान सचिव, डीओआरडी ने निम्नानुसार बताया: -

“सर, पीएमजीएसवाई-1 और 2 सितंबर, 2022 में खत्म हो गई है। पूर्वोत्तर राज्य या जो पर्वतीय राज्य हैं, वहां पर कुछ काम बचे हुए हैं। उसके लिए थोड़ी समय सीमा बढ़ाने का विचार चल रहा है। वर्तमान में जो पीएमजीएसवाई-3 चल रही है, इसका कार्यकाल मार्च, 2025 तक का है। यह मार्च, 2025 में खत्म होगी।

5.5 केंद्र और राज्यों के अनुपात वाले पीएमजीएसवाई के लक्ष्यों के बारे में आगे पूछे जाने पर, सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नानुसार बताया: -

“सर, पीएमजीएसवाई-3 का समय मार्च, 2025 तक का है। उसके अंतर्गत पूरे देश को जो टारगेट दिए गए हैं, वह एक लाख 25 हजार किलो मीटर के दिए गए हैं। उसी टारगेट को हर स्टेट में वितरण किया गया है। अभी इसके आगे कोई स्कीम विचाराधीन नहीं है।”

5.6 शिलान्यास के मुद्दे पर, सचिव, डीओआरडी ने साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया: -

“शिलान्यास और उद्घाटन से जुड़ा यह मुद्दा था जिसमें विभिन्न कारणों से देरी हो रही है। हम इस मामले की जांच करेंगे। ”

5.7 सचिव ने निरीक्षण दलों की चिंता के बारे में आगे कहा:

"... हम यह सुनिश्चित करेंगे कि जब ऐसी चीजें हों तो माननीय सांसदों को सूचित किया जाए।"

6. वन स्वीकृति के मुद्दे

वन स्वीकृति मुद्दों के कारण पीएमजीएसवाई के तहत लंबित परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, विभाग ने किए जा रहे कदमों का निम्नलिखित विवरण प्रदान किया है: -

“कुल 266 पीएमजीएसवाई के विभिन्न कार्यक्षेत्रों के अंतर्गत परियोजनाएं वन स्वीकृति के कारण लंबित हैं।

ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और सड़कों के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराना संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, कुछ मामलों में वन स्वीकृति का मुद्दा संबंधित राज्यों द्वारा विशेष रूप से पीएमजीएसवाई-I और आरसीपीएलडब्ल्यूईए के संबंध में डीपीआर स्तर पर नहीं उठाया गया था। पिछले अनुभवों से सीख लेते हुए मंत्रालय ने राज्यों के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि यदि पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत किसी विशेष राज्य को स्वीकृत की जाने वाली प्रस्तावित सड़कों के लिए डीपीआर स्तर पर ही वन स्वीकृति का मुद्दा सामने आता है तो वे पीएमजीएसवाई-III सड़कों के मामले में लिखित में दें। इसके अलावा, मंत्रालय लंबित वन मंजूरीयों के तेजी से निपटान के लिए राज्य सरकारों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय कर रहा है।”

7. निर्माण की गुणवत्ता

साक्ष्य के दौरान, सचिव, डीओआरडी ने निर्माण की पीएमजीएसवाई गुणवत्ता के संबंध में निम्नवत बताया:-

"... सड़क योजना के संबंध में, हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे कि पीएमजीएसवाई -III में गुणवत्ता अच्छी हो और शेष सड़कें जो पीएमजीएसवाई -I और II तथा आरसीपीएलडब्ल्यूईए के तहत बनाई जानी हैं।"

8. निर्माण के बाद सड़कों का रखरखाव

विभाग से सड़क निर्माण के बाद उनके रखरखाव संबंधी मुद्दे के समाधान के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नलिखित जानकारी साझा की:-

सड़क निर्माण पूरा होने के बाद सड़कों के रखरखाव के संबंध में मुद्दे के बारे में विभाग से पूछताछ की गई, उन्होंने निम्नलिखित जानकारी साझा की है: -

“पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा कम से कम 10 वर्षों के लिए किया जाता है। पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों के अनुसार, कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित सड़कों के रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है। मानक बोली दस्तावेज के अनुसार, सभी पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों को निर्माण अनुबंध के साथ-साथ उसी ठेकेदार के साथ किए जाने वाले प्रारंभिक पांच साल के रखरखाव अनुबंधों में शामिल किया जाता है। संविदा की सेवा के लिए अनुरक्षण निधियों का बजट राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित किया जाना अपेक्षित होता है और इसे राज्य ग्रामीण सड़क विकास एजेंसियों (एसआरआरडीए) के निपटान में एक पृथक अनुरक्षण खाते में रखा जाना अपेक्षित होता है। निर्माण के बाद इस 5 वर्ष के अनुरक्षण की समाप्ति पर पीएमजीएसवाई सड़कों को समय-समय पर चक्र के अनुसार नवीकरण सहित 5-वर्षीय रखरखाव सहित क्षेत्रीय रखरखाव अनुबंधों के तहत रखा जाना अपेक्षित है। इसके अलावा, पीएमजीएसवाई-III के अंतर्गत मंत्रालय ने 10 वर्षों के लिए अनुरक्षण निधियां प्रदान करने के लिए राज्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्यों को सड़क के पूरे डिजाइन काल हेतु रखरखाव निधि प्रदान करने के लिए बाध्य करेगा।

राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) ने आईएलओ के सहयोग से ग्रामीण सड़कों के रखरखाव की नीति के विकास के लिए एक नीतिगत ढांचा तैयार किया है। राज्यों के लिए एक मार्गदर्शन नोट के साथ नीतिगत ढांचे को राज्यों के साथ साझा किया गया है क्योंकि ग्रामीण सड़क रखरखाव नीति को राज्य स्तर पर अपनाने और अधिसूचित करने की आवश्यकता है। नीति और मार्गदर्शन नोट राज्यों की सड़क एजेंसियों के लिए ग्रामीण सड़कों के रखरखाव के लिए अपेक्षाओं और ग्रामीण सड़कों के सृजित नेटवर्क को बनाए रखने के लिए राज्यों के उद्देश्यों के बारे में स्पष्ट समझ रखने में सहायक होगा।

वित्त वर्ष 2016-17 से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले उन राज्यों को वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं जो निर्धारित मापदंडों के आधार पर उच्च उपलब्धि दिखाते हैं। वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में जारी की गई निधियों का उपयोग पीएमजीएसवाई के अंतर्गत पहले से निर्मित ग्रामीण सड़कों के आवधिक रखरखाव के लिए किया जाता है। वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 में क्रमशः 1076.49 करोड़ रुपये, 842.50 करोड़ रुपये, 804 करोड़ रुपये, 738 करोड़ रुपये और 662 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई।

इसके अलावा, दोष देयता अवधि के दौरान सड़कों के रखरखाव पर ध्यान केंद्रित करने और पीएमजीएसवाई सड़कों के नियमित रखरखाव को सुव्यवस्थित करने के लिए ग्रामीण सड़कों का इलेक्ट्रॉनिक रखरखाव (ईएमएआरजी) शुरू किया गया है, जिसकी संकल्पना निष्पादन आधारित अनुरक्षण संविदाओं (पीबीएमसी) पर

आधारित है। ठेकेदार को भुगतान अब ईएमएजी के माध्यम से किया जाता है जो सड़क की न्यूनतम स्थिति, इसके क्रॉस ड्रेनेज कार्यों और यातायात परिसंपत्तियों पर आधारित है। भुगतान इस बात पर किए जाते हैं कि ठेकेदार अनुबंध में परिभाषित प्रदर्शन मानकों या सेवा स्तरों का कितनी अच्छी तरह से पालन करने का प्रबंधन करता है, न कि पीस वर्क पर।”

9. निगरानी

समिति ने वास्तविक समय निगरानी सुविधाओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए आज के दिनांक में लागू योजना के निगरानी तंत्र के बारे में विस्तार से पूछताछ की, जिसका विभाग ने निम्नलिखित उत्तर दिया: -

“पीएमजीएसवाई के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी अब परियोजना प्रबंधन सूचना प्रणाली (पीएमआईएस) की मदद से की जा रही है जो ओएमएमएस में शुरू किया गया एक नया मॉड्यूल है और इसका उद्देश्य पीएमजीएसवाई के अंतर्गत सड़कों के निर्माण/उन्नयन की अद्यतन जानकारी हेतु जलप्रपात परियोजना प्रबंधन पद्धति को अपनाना है। यह मॉड्यूल कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) कर्मियों को उनकी सड़कों के लिए परियोजना योजनाओं (समय-सीमा के साथ) को परिभाषित करने में सक्षम बनाता है। एक बार योजना तैयार होने और उसे अंतिम रूप दिए जाने के बाद, पीआईयू के लिए आवश्यक है कि नियोजित कार्यकलापों के संबंध में लगातार प्रगति की रिपोर्ट दे। ट्रेकिंग मूल योजना की तुलना में ट्रेकिंग समग्र प्रगति की जानकारी देती है तथा कार्य को बिना देरी के पूरा करने के लिए कोई भी सुधारात्मक कार्रवाई की जा सकती है।”

10. नई प्रौद्योगिकी का उपयोग

वैकल्पिक/हरित प्रौद्योगिकियों के उपयोग के अलावा नवीनतम प्रौद्योगिकी के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने अपने लिखित उत्तर में कहा है:-

"फुल-डेप्थ रिक्लेमेशन (एफडीआर): सीमेंट के साथ एफडीआर एक प्रकार की मिट्टी-सीमेंट और फुटपाथ पुनर्वास विधि है जिसमें मौजूदा खराब डामर सतह और इसके अंतर्निहित आधार, उपबेस, और / या सबग्रेड सामग्री को एक नई स्थिर आधार परत में बदलने का पुनर्चक्रण शामिल है। एफडीआर धन की बचत करता है और सड़क निर्माण परियोजनाओं के कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है।”

घ. दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

1. प्राक्कथन

दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम) ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य गरीबों की स्थायी सामुदायिक संस्थाएं बनाकर ग्रामीण गरीबी का उपशमन करना है। केंद्र द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम का लक्ष्य लगभग 10 करोड़ परिवारों को स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) में संगठित करना और उनके कौशलों का विकास करके तथा वित्तपोषण के औपचारिक स्रोतों, सार्वजनिक एवं निजी दोनों क्षेत्रों से प्राप्त होने वाली हकदारियों एवं सेवाओं तक पहुंच की सुविधा प्रदान करके उन्हें स्थायी आजीविकाओं से जोड़ना है। यह परिकल्पना की गई है कि ग्रामीण गरीब महिलाओं के गहन और निरंतर क्षमता विकास से उनका सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक उत्थान होगा।

इस मिशन में 4 प्रमुख घटकों अर्थात् (क) सामाजिक एकजुटता और ग्रामीण गरीबों की स्थायी सामुदायिक संस्थाओं के संवर्धन, (ख) ग्रामीण गरीबों के वित्तीय समावेशन, (ग) स्थायी आजीविका और (घ) सामाजिक समावेशन, विकास और तालमेल में निवेश करके इसके उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है।

2. मुख्य विशेषताएं

- क) **सार्वभौमिक स्तर पर सामाजिक एकीकरण** - प्रत्येक निर्दिष्ट ग्रामीण गरीब परिवार की कम से कम एक वयस्क महिला सदस्य को समयबद्ध रूप से स्व-सहायता समूह एसएचजी (और उसकी संघबद्ध संस्थाओं में शामिल किया जाता है।
- ख) **लाभार्थियों की पहचान** - डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत लक्षित समूह का निर्धारण गरीबों की सहभागितापूर्ण पहचान) पीओपी (करने की एक सुस्पष्ट, पारदर्शी तथा समतुल्य प्रक्रिया के माध्यम से किया जाता है, जिसे लक्षित समूहों के सदस्यों द्वारा संचालित किया जाता है।
- ग) **सतत संसाधनों के रूप में समुदाय को निधियाँ प्रदान करना** - डीएवाईएनआरएलएम में - गरीबों की संस्थाओं को निरंतर संसाधनों के रूप में परिक्रामी निधि और सामुदायिक निवेश उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे अपनी संस्थागत एवं वित्तीय प्रबंधन (सीआईएफ) निधि क्षमता और प्रमुख बैंकों से ऋणप्राप्त करने के लिए अपनी विश्वसनीयता बढ़ा सकें।

3. एनआरएलएम के प्रमुख घटक और उप-योजनाएं

- क) **संस्थान निर्माण और क्षमता निर्माण** सामुदायिक संस्थाओं का संवर्धन और उनकी क्षमता विकसित करना डीएवाईएनआरएलएम के प्रमुख घटकों में से एक है। सामुदायिक संस्थाएं - वित्तीय, तकनीकी और विपणन संसाधनों तक पहुंच के माध्यम से गरीबी से बाहर निकलने हेतु ग्रामीण गरीब के लिए एक सामूहिक मंच प्रदान करती हैं। इन संस्थाओं की निरंतर और गहन क्षमता विकसित करने और प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। यह मिशन इन

सामुदायिक संस्थाओं को परिक्रामी निधि)आरएफ(, सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) भिन्न प्रकार की निधियां उपलब्ध कराकर उनके वित्तीय आधार को मजबूती इत्यादि जैसी वि प्रदान करता है तथा अतिरिक्त निधियां जुटाने में उनकी सहायता करता है।

ख) वित्तीय समावेशन

मुख्यतः प्रत्येक स्व-सहायता समूह को ऋणों सहित समस्त वित्तीय सेवाएं प्राप्त करने के लिए बैंकों से जोड़कर वित्तीय समावेशन किया जा रहा है।

ब्याज सब्सिडी

ग्रामीण गरीबों को अपने उद्यमों को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कम ब्याज दर और कई किस्तों में ऋण की आवश्यकता होती है। किफायती ऋण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से डीएवाई-एनआरएलएम में ब्याज दरों पर सब्सिडी का प्रावधान है।

ग) आजीविका

कृषि आजीविका कृषि आजीविकाएं: डीएवाई-एनआरएलएम में एमकेएसपी परियोजना और राज्य आधारित आजीविकाओं की वार्षिक कार्य योजनाओं (एएपी) के माध्यम से गहन ब्लॉकों में स्थायी कृषि, मवेशी पालन और एनटीएफपी को बढ़ावा दिया जाता है।

गैर-कृषि आजीविका: गैर-कृषि आजीविका डीएवाई-एनआरएलएम के अंतर्गत गैर-कृषि आजीविकाओं का कार्यान्वयन मुख्यतः एसवीईपी नामक उप-योजना के माध्यम से किया जाता है।

घ) **महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना (एमकेएसपी):** वर्ष 2010-11 में शुरू की गई एमकेएसपी का प्राथमिक उद्देश्य कृषि और एनटीएफपी आधारित आजीविकाओं में महिलाओं की भागीदारी और उत्पादकता बढ़ाने तथा स्थायी फसल (हार्वेस्टिंग), फसल की कटाई के बाद की तकनीकों पर केंद्रित क्षमता निर्माण के लिए व्यवस्थित (हार्वेस्टिंग-पोस्ट) निवेश करके कृषि और गैर-इमारती वन्य उत्पाद एनटीएफपी में कार्यरत महिलाओं का सशक्तीकरण करना है।

ड) **स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी):** डीएवाई-एनआरएलएम की उप-योजना स्टार्ट-अप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (एसवीईपी) में ग्रामीण क्षेत्रों में छोटे व्यवसायों को सहायता देने के लिए इको-सिस्टम विकसित किया जाता है।

4. वित्तीय कार्य निष्पादन:

(रू. करोड में)

क्र.सं.	वर्ष	केंद्रीय आवंटन (सं.अ.)	केंद्रीय जारी	जारी प्रतिशत %
1	2019-20	9,024.00	9,023.51	100.00
2	2020-21	9,209.53	9,208.76	99.99
3	2021-22	10,813.89	9384.22	86.78
4	2022-23	13,336.42	5689.82*	66.42

*31.12.2022 तक

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और बजट अनुमान 2022-23 (पूंजीगत और राजस्व व्यय) के लिए वर्ष-वार बजट अनुमान/संशोधित और वास्तविक व्यय नीचे दिया गया है (रु.करोड़ में):

क्र.सं.	वर्ष	ब. अ.		आर.ई		वास्तविक व्यय	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1	2019-20 **	9024.00	0.00	9024.00	0.00	9023.51	0.00
2	2020-21***	9210.04	0.00	9209.53	0.00	9208.76	0.00
3	2021-22 ****	13677.61	0.00	10813.89	0.00	9384.22	0.00
4	2022-23*	13336.42	0.00	13336.42	0.00	5689.82*	0.00

*31.12.2022 को

** इसमें डीआरडीए प्रशासन के लिए रु.245.00 करोड़ और पीएमआरडीएफ के लिए रु.1.00 करोड़

*** इसमें डीआरडीए प्रशासन के लिए रु.245.00 करोड़ शामिल हैं।

**** इसमें डीआरडीए प्रशासन के लिए रु. 245.00 करोड़ शामिल हैं।

4.2 विभाग से मिशन के कार्यान्वयन में उनके प्रस्तावित आवंटन में वित्त मंत्रालय द्वारा 2023-24 के बजट अनुमान में कटौती के बारे में पूछा गया, विभाग ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार प्रस्तुत किया है: -

“जहां तक डीएवाई-एनआरएलएम का संबंध है। वर्ष 2023-24 के लिए कार्यक्रम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बजट आकलन वर्ष 2023-24 में रु. 14129.17 करोड़ के प्रावधान को पर्याप्त माना गया है। यदि वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त मांग उत्पन्न होती है, तो उसे वर्ष 2023-24 के संशोधित अनुमान के स्तर पर या अनुदानों के लिए पूरक मांगों के माध्यम से मांगा जाएगा।”

4.3 ग्रामीण विकास विभाग से योजना की इतनी धीमी वित्तीय प्रगति के कारण के बारे में पूछताछ की गई, जिस पर उन्होंने अपना उत्तर नीचे प्रस्तुत किया है: -

“व्यय की धीमी गति के प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

- डीओई, वित्त मंत्रालय द्वारा धन जारी करने के लिए नई प्रक्रिया का प्रारम्भ अर्थात्:
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए का कार्यान्वयन
- आवंटन के 50% के बजाय 25% किश्तों में धनराशि जारी करना
- अगली किस्त का दावा करने के लिए न्यूनतम व्यय सीमा को 60% से बढ़ाकर 75% करना।
- पीएफएमएस में पिछले रिलीज का प्रतिबिंब अन्यथा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के वित्त सचिव से अंडरटेकिंग जमा करना।
- पीएफएमएस में परिचय 'चेक/लॉक'

- राज्य सरकार/कोषागार से एसआरएलएम द्वारा निधियों की प्राप्ति में विलंब।

4.4 ग्रामीण विकास विभाग से चालू वित्तीय वर्ष के पूरा होने से पहले शेष सीमित अवधि में निधियों के पूर्ण आवंटन का उपयोग करने और वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त करने की उनकी योजना के बारे में पूछा गया, उन्होंने निम्नानुसार उत्तर दिया है: –

“धीमे व्यय का कारण डीओई, वित्त मंत्रालय द्वारा निधि जारी करने की नई प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन करना था अब अधिकांश राज्यों ने शर्तों का अनुपालन किया है। हालाँकि, इस मुद्दे का भी समाधान किया जा रहा है। अधिकांश राज्यों लॉक/चेक पीएफएमएस में 'चेक/ में कोविड-19 के झटके के बाद अब कार्यक्रम की गतिविधियों में भी तेजी आ गई है। इसलिए, यह उम्मीद की जाती है कि व्यय की गति अधिक होगी और अंतिम तिमाही में सं. अ. बजट प्रावधान का पूरी तरह से उपयोग किया जा सकता है।

4.5 वर्ष 2021-22 के दौरान 1,429.67 करोड़ रुपये की बिना खर्च हुई शेष राशि के कारणों के बारे में पूछे जाने पर और विभाग द्वारा बजट को वास्तविक बनाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है ताकि इस तरह के अव्ययित शेष राशि के संचय से बचा जा सके, विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया है: –

“वर्ष 2021-22 के दौरान निधियों की बचत के मुख्य कारण निम्नलिखित थे:

- डीओई, वित्त मंत्रालय द्वारा धन जारी करने के लिए नई प्रक्रिया का प्रारंभ अर्थात्:
- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एसएनए का कार्यान्वयन
- आवंटन के 50% के बजाय 25% किशतों में धनराशि जारी करना
- अगली किस्त का दावा करने के लिए न्यूनतम व्यय सीमा को 60% से बढ़ाकर 75% करना।
- कोविड-19 के प्रसार के कारण डीडीयू-जीकेवाई के तहत प्रशिक्षण केंद्रों को बंद करना।
- कोविड-19 आदि के कारण एनआरएलएम के तहत धीमा सामाजिक संग्रहण।

वार्षिक कार्य योजना (एएपी) तैयार की जा रही है और वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से अनुमोदित की जा रही है। अनुमोदन से पहले इन एएपी की अधिक गंभीर रूप से जांच की जाएगी। इसके अलावा, राज्यों के खजाने से धन (केंद्रीय हिस्सा+राज्य हिस्सा) के समय पर जारी करने के लिए भी प्रयास किया जाएगा ताकि राज्य वित्तीय वर्ष में सभी आवंटित निधि का आहरण कर सके। व्यय की पीएफएमएस के माध्यम से साप्ताहिक आधार पर भी निगरानी की जाती है। इसके अलावा, मंत्रालय ने संसाधनों के इष्टतम उपयोग के लिए व्यय के सभी घटकों की निगरानी और व्यय करने के लिए ई-एफएमएस (इलेक्ट्रॉनिक फंड प्रबंधन और लेखा प्रणाली) का कार्यान्वयन शुरू कर दिया है।

5. वास्तविक कार्य निष्पादन:

वर्ष	एनआरएलएम दायरे में प्रोत्साहन प्राप्त / लाए जाने वाले एसएचजी की संख्या(लक्ष्य)	एनआरएलएम दायरे में प्रोत्साहन प्राप्त एसएचजी की संख्या	%
2019-20	9.36 लाख	9.76 लाख	104.3%
2020-21	6.46 लाख	6.02 लाख	93%
2021-22	7.8 लाख	6.02 लाख	77%

संकेतक	लक्ष्य वि.व. 22-23	प्रगति जनवरी, 23	जनवरी, 23 तक समग्र प्रगति
नए ब्लॉकों की संख्या	99	104	7054
सहायता पाने वाले एसएचजी की संख्या (लाख में)	8.26	6.21	81.61
एसएचजी में शामिल किए गए परिवार की संख्या (लाख में)	106.77	57.46	879.74
एसएचजी को प्रदान की गई पूंजी सहायता (करोड़ रुपये में)	8,127.89	5,660.42	28,283.58
संवितरित एसएचजी ऋण (करोड़ रु)	1,39,606.80	1,12,578.78	6,14,104.46*
कृषि-पारिस्थितिकी पद्धति कार्यक्रमों के अंतर्गत शामिल महिला किसान की संख्या (लाख में)	69.71	52.19	221.81
सहायता प्राप्त करने वाले उत्पादक समूहों की संख्या	35,187	26,358	1,33,141

एसवीईपी के अतर्गत सहायता प्राप्त करने वाले उद्यमों की संख्या	36,678	26,904	2,30,553
--	--------	--------	----------

5.2 समिति ने प्रमुख संकेतकों के कम प्रदर्शन के कारणों के बारे में पूछताछ की है जैसे कि स्वयं सहायता समूहों में जुटाए गए परिवारों की संख्या (50%), बैंक ऋण की राशि (68%), महिला किसानों की संख्या (65%) और समर्थित उद्यमियों की संख्या (66%) और इन संकेतकों के तहत प्रदर्शन में और सुधार लाने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है, विभाग ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नानुसार उत्तर दिया है : -

(क) “दिसंबर 2022 तक एसएचजी में जुटाए गए परिवारों की संख्या (50%), परिवारों के एचएच को 10 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले कुल 87.53 लाख परिवारों को जोड़ा गया है जो लगभग 88% है। मार्च तक इसके और 15 लाख परिवारों के जुटने की उम्मीद है जिससे संतृप्ति 90% से ऊपर हो जाएगी। 22-23 के लिए, एसएचजी में मोबिलाइजेशन के लिए कुल 106.77 लाख एचएच लक्ष्य रखा गया था। इसकी तुलना में 22 दिसम्बर तक कुल 53.05 लाख परिवार जो कि 50% है। धीमी प्रगति का प्रमुख कारण-

- एनआरएलएम एमआईएस एसएचजी पर तभी विचार करता है जब उनका बैंक खाता खोला जाता है। राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल आदि जैसे राज्यों में एसएचजी के बैंक खाते खोलने के लंबित होने के कारण कम प्रगति हुई है।

- उत्तर प्रदेश में एसआरएलएम कर्मचारियों की हड़ताल के कारण संग्रहण का काम करीब छह महीने तक ठप रहा। यूपी योजना लक्ष्य का लगभग 22% योगदान देता है।

- अधिकांश राज्यों में संतृप्ति अंतिम चरण में है, इसलिए गति धीमी है।

संग्रहण में तेजी लाने के लिए किए गए उपाय -

1. एनएमएमयू सभी एसआरएलएम के साथ पिछड़े राज्यों पर ध्यान केंद्रित करते हुए कवरेज और संग्रहण पहलुओं पर मासिक समीक्षा बैठक के माध्यम से प्रगति की लगातार निगरानी कर रहा है। प्रदर्शन में सुधार के लिए संबंधित एसएमडी/राज्यों के सचिव को विशिष्ट निर्देश और पत्र भेजे जा रहे हैं।

2. स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्रवर्तित एनआरएलएम के अनुरूप एसएचजी को लाएं

3. एसआरएलएम को मोबिलाइजेशन के लिए माहवार और ब्लॉकवार योजना बनाने का निर्देश दिया गया है।

4. ग्रामीण संगठनों और सीएलएफ को भी छोटे हुए परिवारों को एसएचजी के दायरे में लाने की जिम्मेदारी दी गई है।

5. सामाजिक एकजुटता अभियान दीनदयाल अंत्योदय योजना के एसएचजी फोल्ड के तहत पात्र ग्रामीण गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) में लाने के लिए सामाजिक एकजुटता की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए 7 सितंबर से 20 सितंबर, 2022 तक एक सामाजिक संघटन अभियान आयोजित किया गया था - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)। बाद में, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशनों (एसआरएलएम) के अनुरोध पर, अभियान की अवधि को 30 सितंबर, 2022 तक बढ़ा दिया गया। इस अभियान के दौरान 16,25,286 परिवारों को 1,29,493 एसएचजी में शामिल किया गया।

(ख) समर्थित उद्यमियों की संख्या (66%)। एसवीईपी योजना में कम उपलब्धि फंड जारी करने में देरी के कारण है। व्यय विभाग (डीओई) के दिशानिर्देशों के अनुसार, केवल 25% धनराशि ही जारी की जा सकती है और इस प्रकार सीईएफ के साथ उद्यमियों का समर्थन करना कठिन हो जाता है।

राज्यों को एसवीईपी उद्यमियों के लिए एसएचजी के पास उपलब्ध अन्य निधियों (सीआईएफ/बैंक ऋण आदि) का उपयोग करने का सुझाव दिया जाता है ताकि योजना के प्रदर्शन में सुधार किया जा सके। 2022-23 की चौथी तिमाही में, शेष लक्ष्यों को एसवीईपी योजना के तहत हासिल किया जाएगा।

(ग) प्राप्त बैंक ऋण की राशि : प्राप्त बैंक ऋण के तहत प्रदर्शन बढ़कर 79.83% हो गया है।

(घ) समर्थित महिला किसानों की संख्या (65%) रिपोर्ट में उल्लिखित प्रगति 5 दिसंबर 2022 तक है, जिसमें केवल खरीफ सीजन के दौरान भाग लेने वाले महिला किसानों को शामिल किया गया है। जैसा कि हम रबी और जायद मौसम की ओर बढ़ रहे हैं, मार्च 2023 तक अधिक महिला किसानों को शामिल किया जाएगा। गतिविधियों को गति देने के लिए नियमित समीक्षा तंत्र प्रगति पर है।"

6. स्वयं-सहायता समूह-प्रगति का विस्तृत ब्यौरा

6.1 विभाग से ग्रामीण महिलाओं के उत्थान के लिए स्वयं सहायता समूहों के सृजन के संबंध में निर्धारित लक्ष्य/उपलब्धि के संदर्भ में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और विशेष रूप से चालू वित्तीय वर्ष के दौरान हुई प्रगति का ब्यौरा देने के लिए कहा गया था, उन्होंने अपने लिखित उत्तरों में निम्नलिखित विवरण साझा किए हैं :-

वित्तीय वर्ष 22-23 के लिए कवरेज एवं संस्थान निर्माण में **दिसंबर 22** तक हुई प्रगति का राज्यवार विवरण

क्र सं	राज्य			एचएच ने जुटाया		
	वार्षिक योजना वित्तीय	उपलब्धि (क्यू1+क्यू	सह उपलब्धि	वार्षिक योजना वित्तीय	उपलब्धि(क्यू1+ क्यू2+ क्यू3)	सह उपलब्धि

		वर्ष 22-23	2+क्यू 3)		वर्ष 22-23		
1	आंध्र प्रदेश	126500	9163	8311402	12717	642	820642
2	असम	763250	271075	3628224	13881	18306	327247
3	बिहार	20202	238760	11851142	3000	20610	1023750
4	छत्तीसगढ़	240000	409557	2656114	25000	37732	246953
5	गुजरात	2160000	52854	2686406	18000	10052	269230
6	झारखंड	170000	116595	3446912	10000	10128	277850
7	कर्नाटक	441000	242345	2948218	15000	26859	246396
8	केरल	58000	26496	3644669	5000	4131	254191
9	मध्य प्रदेश	1200000	525485	4629766	92310	53091	416807
10	महाराष्ट्र	816000	293340	5925551	80000	37639	592223
11	ओडिशा	540000	199126	5442834	35000	26896	526610
12	राजस्थान	1120723	404406	2769994	47476	41268	250486
13	तमिलनाडु	125000	195938	3675989	10000	25866	316350
14	तेलंगाना	320	192226	4593800	32	19473	437847
15	उत्तर प्रदेश	2209548	806551	7029636	200868	85399	674279
16	पश्चिम बंगाल	1438610	795010	10738575	143003	98968	1047555
17	हरियाणा	165000	30107	563459	15000	3751	54337
18	हिमाचल प्रदेश	50400	62156	338103	6300	7727	41775
19	जम्मू और कश्मीर	185900	86137	587174	18590	12262	72047
20	पंजाब	148920	63286	382144	12410	6661	37960
21	उत्तराखंड	210000	108185	392987	20000	15993	52613
22	अरुणाचल	50240	6804	45547	6250	1063	5533
23	मणिपुर	118187	20172	59441	9761	2012	5574
24	मेघालय	28480	32067	420276	3777	3780	43161
25	मिजोरम	16000	7808	73765	1600	1384	9054
26	नागालैंड	6214	3978	114480	740	702	13196
27	सिक्किम	1600	1361	50779	160	162	5417
28	त्रिपुरा	107000	92316	399872	11300	10612	44431
29	अंडमान	7863	486	10805	784	51	1090
30	गोवा	2160	2943	46271	180	230	3591
31	लद्दाख	260	707	4315	350	105	519
32	लक्षद्वीप	600	134	3704	60	14	325
33	पुदुचेरी	9720	6629	52762	766	611	4132

34	दमन दीव और एनएच	3750	1302	8889	375	133	835
	कुल:	10677916	5305505	87534005	826690	584313	8124006

6.2 डेयरी समूहों, किसान संगठनों, उत्पादक उद्यमों, उत्पादक समूहों, एनटीएफपी सहकारी समितियों आदि में विकसित होने वाले स्वयं सहायता समूहों की स्थिति के बारे में पूछताछ की गई। देश भर में, विभाग ने अपनी लिखित टिप्पणियों में निम्नलिखित उत्तर दिया: -

“डीएवाई-एनआरएलएम के तहत कृषि मूल्य श्रृंखला विकास रणनीति को अपनाया गया है ताकि महिला किसानों को अपने उत्पादक के लिए बेहतर बाजार तक निरंतर तरीके से पहुंचने में मदद मिल सके। रणनीति के तहत, निर्माता सामूहिक अर्थात् पूरे देश में एसआरएलएम (राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन) द्वारा उत्पादक उद्यम (महिला उत्पादकों की औपचारिक पंजीकृत इकाई) और उत्पादक समूह (अनौपचारिक इकाई) को बढ़ावा दिया जा रहा है। अब तक कुल 389 महिलाओं के स्वामित्व वाले उत्पादक उद्यम/कृषक उत्पादक संगठनों को पहले ही बढ़ावा दिया जा चुका है, जिसमें 4.86 लाख महिला उत्पादक सदस्य शामिल हो चुके हैं। कुल में से, 206 एफपीओ को कृषि मंत्रालय की केंद्रीय क्षेत्र की योजना "10,000 एफपीओ का गठन और संवर्धन" के तहत पदोन्नत किया गया है। लगभग 1.32 लाख उत्पादक समूहों को बढ़ावा दिया गया है, जिनमें से लगभग 40,000 उत्पादक समूह कृषि उत्पादों के एकीकरण और विपणन में हैं।

डेयरी/दुग्ध उत्पादों के लिए बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश जैसे पांच राज्यों में नौ उत्पादक उद्यमों को बढ़ावा दिया गया है, जिसमें 1.42 लाख महिला सदस्य शामिल हैं। टसर और लाख जैसे एनटीएफपी उत्पादों के लिए इनमें से 43,697 सदस्यों को शामिल करते हुए एनआरएलएम द्वारा कुल 12 निर्माता उद्यम/एफपीओ को बढ़ावा दिया गया है।”

7. ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई)

7.1 देश में ग्रामीण युवाओं में बेरोजगारी की समस्या के समाधान के उद्देश्य से ग्रामीण विकास और स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरयूडीएसईटीआई) की अनूठी संकल्पना को केनरा बैंक, पूर्ववर्ती सिंडीकेट बैंक और एसडीएमई ट्रस्ट, धर्मस्थल ने पहली बार वर्ष 1982 में शुरू किया था। आरयूडीएसईटीआई के इस मॉडल की सफलता को देखते हुए भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय ने आरयूडीएसईटीआई मॉडल को पूरे देश में लागू करने की पहल शुरू की और बैंकों को सलाह दी कि वे देश में अपने प्रत्येक अग्रणी जिले में ग्रामीण स्व-रोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) नामक आरयूडीएसईटीआई जैसी संस्था की स्थापना करें और तदनुसार संबंधित जिलों में अग्रणी बैंक को आरएसईटीआई खोलने की जिम्मेदारी सौंप दी गई है।

7.2 आरएसईटीआई के निर्माण/स्थापना के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक और वर्तमान वित्तीय वर्ष में दिए गए अनुदानों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा मांगे जाने पर विभाग ने निम्न जानकारी साझा की:-

“आरएसईटीआई के तहत राज्यवार आबंटन नहीं होता है। आरएसईटीआई के तहत धन सभी राज्यों के लिए एक साथ आबंटित किया जाता है और मांग के आधार पर जारी किया जाता है। इसके अलावा ,आरएसईटीआई के निर्माण/स्थापना के लिए ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अब तक और वर्तमान वित्तीय वर्ष में प्रदान किए गए अनुदान का विवरण सारणीबद्ध रूप में नीचे दिया गया है:

वित्तीय वर्ष	भवन अनुदान (रु.करोड़ में)
2011-12	50.0000
2012-13	50.0000
2013-14	30.0000
2014-15	26.0000
2015-16	21.3600
2016-17	72.0000
2017-18	32.5000
2018-19	8.7600
2019-20	11.1590
2020-21	9.4837
2021-22	1.3750
2022-23	30.0000
कुल	342.6377

7.3 समिति द्वारा विभाग से आरएसईटीआई द्वारा किए गए वर्तमान प्रावधानों/उपलब्धियों के साथ-साथ प्रस्तावित आरएसईटीआई 2.0 की मुख्य विशेषताओं के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

“आरएसईटीआई 2.0 के भविष्य के दृष्टिकोण के लिए एक रोडमैप तैयार करने के लिए है। इसका उद्देश्य मौजूदा प्रावधानों का मूल्यांकन करना और अपने लक्षित ग्रामीण बेरोजगार युवाओं की समकालीन आकांक्षाओं के साथ संरेखित करना है। निम्नलिखित व्यापक रूपरेखाएँ हैं जिन पर आरएसईटीआई 2.0 की परिकल्पना की गई है:

- प्रशिक्षित होने के लिए ग्रामीण गरीबों को एकजुट करने के धरातल का विस्तार करना
- आरएसईटीआई द्वारा प्रदान किए जाने वाले प्रशिक्षण कार्यक्रमों को अद्यतन करना
- प्रशिक्षण प्रदान करने के मिश्रित रूपों का उपयोग

- प्रशिक्षण में उद्योग सहयोग
- फिनटेक कंपनियों के ऑनबोर्डिंग के माध्यम से प्रशिक्षित उम्मीदवारों को वित्त पोषण के दायरे का विस्तार करना
- समग्र ट्रेकिंग और हैंडहोल्डिंग पोस्ट ट्रेनिंग सपोर्ट"

7.4 इस प्रश्न पर की क्या देश के ग्रामीण क्षेत्रों में पात्र युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए निर्धारित लक्ष्य पर्याप्त है और यदि नहीं, तो इस योजना के अंतर्गत और अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने हेतु अपेक्षाकृत अधिक लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है; विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

“आज की स्थिति के अनुसार देश के 572 जिलों में 590 आरएसईटीआई मौजूद हैं और इन आरएसईटीआई में उपलब्धत क्षमता के आधार पर बॉटम-अप एप्रोच पर लक्ष्य निर्धारण किया जाता है। विभिन्न अवधियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के मिश्रण के साथ ; वर्तमान में अर्थात् 10 दिन, 30 दिन और 45 दिनों के आरएसईटीआई को एक जिले में 760 उम्मीदवारों का प्रशिक्षण लक्ष्य दिया जाता है। प्रति आरएसईटीआई लक्ष्य को भविष्य में और बढ़ाया जा सकता है।

देश में कुल जिलों की संख्या 766 है, जिनमें से 572 जिलों में 890 आरएसईटीआई कार्य कर रहे हैं। इसलिए, विभिन्न राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों से प्राप्त आवश्यकताओं के अनुसार, पूरे देश के ग्रामीण क्षेत्रों में योग्य युवाओं को प्रशिक्षित करने की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए आरएसईटीआई की संख्या में उपयुक्त वृद्धि की जा सकती है।”

8. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई)

8.1 दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) का कौशल प्रशिक्षण और प्लेसमेंट कार्यक्रम 25 सितंबर, 2014 को शुरू किया गया, जिसका उद्देश्य वैश्विक मानकों के वेतन प्लेसमेंट से जुड़े कार्यक्रम प्रदान करना है। यह कार्यक्रम प्रधान मंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान में भारत को विश्व स्तर पर पसंदीदा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करने में योगदान करता है, जबकि राष्ट्र के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण योगदान देने के अपने प्रयासों को आगे बढ़ाता है। डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय कौशल एजेंडे और देश में 15-35 वर्ष के आयु वर्ग के 430 मिलियन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें से लगभग 70% ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस योजना में ग्रामीण युवाओं की उत्पादक क्षमताओं के निर्माण के माध्यम से देश के जनसांख्यिकीय अधिशेष को बहुत आवश्यक "जनसांख्यिकीय लाभांश" में बदलने की एक बड़ी क्षमता है। डीडीयू-जीकेवाई को न केवल ग्रामीण गरीबों को उच्च गुणवत्ता वाले कौशल प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, बल्कि एक बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करने के लिए भी तैयार किया गया है जो प्रशिक्षित उम्मीदवारों को

बेहतर भविष्य सुरक्षित करने में सहायता करता है। डीडीयू-जीकेवाई वर्तमान में 27 राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों में लागू किया जा रहा है। 31 दिसंबर 2022 तक डीडीयू-जीकेवाई में 1891 परियोजनाओं में 2369 से अधिक प्रशिक्षण केंद्र हैं, 877 से अधिक परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ साझेदारी में 37 क्षेत्रों में प्रशिक्षण आयोजित कर रहे हैं, और 616 से अधिक कार्य-भूमिकाएं हैं। लॉकडाउन और रोकथाम उपायों के कारण महामारी की पहली और दूसरी लहर के दौरान प्रशिक्षण गतिविधियां प्रभावित हुईं और इस अवधि के दौरान प्रशिक्षण केंद्र बंद रहे। प्रशिक्षण गतिविधि फिर से शुरू हो गई है और वर्तमान में 1763 प्रशिक्षण केंद्र चालू हैं और कुल 105,546 उम्मीदवार प्रशिक्षण के अधीन हैं। कुल 13.30 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 8.10 लाख उम्मीदवारों को दिसंबर 2022 तक रोजगार प्रदान किया गया है।

8.2 विभाग ने अपने लिखित उत्तर में डीडीयू-जीकेवाई के प्रारंभ से अब तक और वर्तमान वित्तीय वर्ष के संबंध में अलग से डीडीयू-जीकेवाई की वित्तीय और वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नवत् प्रस्तुत किया:-

डीडीयू-जीकेवाई की वर्ष-वार बीई, सं. अ. और निधि जारी की स्थिति
(31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)

रु. लाख में

वित्तीय वर्ष	बी. ई.	आर. ई.	जारी की गई धनराशि
2014-15	72800	57149	56903.8
2015-16	54000	58784.1	58066.3
2016-17	60000	79295.7	79266.8
2017-18	85000	81155.26	80341.05
2018-19	120000	121530.6	121528.94
2019-20	184999	187217.3	187197.65
2020-21	199621	2.107685	107666.72
2021-22	200000	2189.11	1304.28
2022-23 (31 दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार)	100000-		932.79
कुल	1076420	695006.3	693165.77

वास्तविक प्रगति -डीडीयू जीकेवाई के तहत स्थापना के बाद से कुल 13.30 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 8.01 लाख उम्मीदवारों को 31.12.2022 तक नियुक्त किया गया है।

वर्तमान वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान कुल 1,32,923 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और 31.12.2022 तक 63,570 उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया है।"

8.3 अब तक डीडीयू-जीकेवाई के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री के 'मेक इन इंडिया' अभियान के कार्यान्वयन के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने निम्न आँकड़े प्रस्तुत किए:-


"डीडीयू-जीकेवाई उद्योग और डीडीयू-जीकेवाई के बीच संयुक्त साझेदारी के माध्यम से समर्थित उद्योग इंटरनशिप के माध्यम से पीएम के " मेक इन इंडिया " अभियान को बढ़ावा देता है। 37 में से 24 सेक्टर मेक इन इंडिया में योगदान कर रहे हैं। अब तक इन क्षेत्रों में 3.9 लाख उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है।"

8.4 समिति द्वारा विभाग से डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत अब तक कुल अव्ययित शेष तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान अव्ययित शेष का अलग से ब्यौरा तथा अव्ययित शेष को समाप्त करने के लिए किए गए उपायों का ब्यौरा मांगे जाने पर विभाग ने निम्नवत् दिया:-

2018-19	1144.81 करोड़ रु.
2019-20	1823.50 करोड़ रु.
2020-21	2552.66 करोड़ रु.
2021-22	2856.60 करोड़ रु.
*2022-23	2713.84 करोड़ रु. 31 दिसंबर 2022 की स्थिति तक

(जैसा कि ऊपर दिखाया गया है, डीडीयू-जीकेवाई के तहत कुल अव्ययित शेष राशि में एसआरएलएम/एसएसएम के पास उपलब्ध डीडीयू-जीकेवाई योजना से संबंधित केंद्रीय धन, राज्य का हिस्सा, अर्जित ब्याज और विविध प्राप्तियां शामिल हैं। इसमें राज्य के खजाने में पड़ी धनराशि शामिल नहीं है)।

8.5 पिछले 6 वर्षों के दौरान डीडीयू-जीकेवाई की उपलब्धि



सचिव ने साक्ष्य के दौरान डीडीयू-जीकेवाई के तहत कौशल विकास के बाद विदेशों में नियुक्ति के संबंध में निम्नवत् प्रस्तुत किया:-

“तमिलनाडु से हमने 34 लोगों को भेजा है, जिनमें से 22 कतर में और 14 दुबई में हैं। केरल में यह संख्या काफी अधिक है क्योंकि वहां इसका काफी प्रचलन है। केरल में यह संख्या 440 है। वे अबू धाबी, बहरीन, सऊदी अरब, दुबई, कुवैत, मलेशिया, ओमान, कतर, शारजाह, स्पेन, संयुक्त अरब अमीरात और जर्मनी में हैं। मिजोरम के पांच लोग सिंगापुर में हैं। उत्तराखंड से छह लोग सऊदी अरब में और चार लोग दुबई में हैं। हाल ही में, नागालैंड की एक गरीब लड़की को सऊदी एयरलाइंस में केबिन क्री की नौकरी मिली है, जिसमें मासिक वेतन 3 लाख रुपये है।”

इ. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

1. पृष्ठभूमि

भारत के संविधान में राज्य के नीति-निर्देशक सिद्धांतों में राज्यों को अपने साधनों से विशेष रूप से गरीबों एवं निराश्रितों को लक्षित करते हुए अनेक कल्याणकारी उपाय करने का आदेश दिया गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 में राज्य को बेरोजगारी, वृद्धावस्था, बीमारी तथा अपंगता के मामले में तथा अवांछित कमी के अन्य मामलों में राज्य की आर्थिक क्षमता और विकास के दायरे में अपने नागरिकों को जन सहायता उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सामाजिक सुरक्षा, इनवैलिड एवं वृद्धावस्था पेंशन भारत के संविधान की समवर्ती सूची की 7वीं अनुसूची में मद 23 एवं 24 के रूप में दर्शायी गई है। इन्हीं मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरूप भारत सरकार ने स्वतंत्रता दिवस, 1995 के अवसर पर पूर्ण रूप से केंद्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें उन निराश्रित व्यक्तियों को बुनियादी

स्तर की वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से सहायता करने का लक्ष्य रखा गया है जिनके पास अपनी स्वयं की आय अथवा परिवार के सदस्यों से वित्तीय सहायता अथवा अन्य स्रोतों के माध्यम से गुजर-बसर करने का थोड़ा अथवा कोई भी नियमित साधन नहीं है। इन निराश्रितों की पहचान राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाएगी। पिछले वर्षों में कार्यक्रम की संरचना, पात्रता मानदंड एवं वित्तपोषण पद्धति में कई बदलाव किए गए हैं।

2. एनएसएपी के घटक

वर्तमान में एनएसएपी में पांच उप योजनाएं इसके घटकों के रूप में शामिल हैं:-

(क) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस) - इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों और गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों से संबंधित व्यक्तियों को सहायता प्रदान की जाती है। 60-79 वर्ष के आयु-समूह के व्यक्तियों को प्रति माह 200/- रूपए तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्तियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) - इस योजना के अंतर्गत 40-79 वर्ष की आयु की और भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की विधवाओं को प्रति माह 300/- रूपए की केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

(ग) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)- इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों के 18-79 वर्ष की आयु के गंभीर या विविध प्रकार की विकलांगताओं से प्रभावित व्यक्तियों को प्रति माह 300/- रूपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को प्रति माह 500/- रूपए की केंद्रीय सहायता दी जाती है।

(घ) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना (एनएफबीएस) - इस योजना के अंतर्गत बीपीएल परिवार में 18-59 वर्ष की आयु के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु हो जाने पर बीपीएल परिवार को एकमुश्त सहायता दी जाती है। सहायता की राशि 20,000/- रूपए है।


(ङ) अन्नपूर्णा योजना - इस योजना के अंतर्गत ऐसे वरिष्ठ नागरिकों, को जो आईजीएनओएपीएस के अंतर्गत पात्र तो हैं किन्तु वे वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, उन्हें प्रतिमाह 10 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क दिया जाता है।

3. वित्तीय उपलब्धि

(रु करोड़ में)

वर्ष	आवंटित राशि (बीई/सं. अ.)	खर्च की गई राशि	लक्ष्य प्राप्ति का प्रतिशत
2019-20	बीई -9200.00/ सं. अ. -8692.40	8692.40	100%
2020-21	बीई -9200.00/ सं. अ. -8686.69	11660.25*	100% से अधिक
2021-22	बीई -9200.00/ सं. अ. -8730.00	8152.23	93.38%
2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार)	9652.31	7101.96	73.58%
कुल			

*दिनांक 26.03.2020 को, सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने में मदद करने के लिए गरीबों के लिए प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत 1.70 लाख करोड़ रुपये के राहत पैकेज की घोषणा की थी। उक्त पैकेज के एक घटक में राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) की योजनाओं के वर्तमान वृद्ध, विधवा और दिव्यांग/दिव्यांगजन लाभार्थियों को दो किस्तों (प्रत्येक 500/- रुपये) में 1000 रुपये की अनुग्रह राशि प्रदान करना भी था। एनएसएपी प्रभाग ने एनएसएपी योजनाओं के वर्तमान 282 लाख लाभार्थियों के लिए अप्रैल, 2020 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहली किस्त के रूप में और मई, 2020 में दूसरी किस्त के रूप में कुल 2814.50 करोड़ रुपये की अनुग्रह राशि जारी की थी।



3.2 वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान चरण में 9,652 करोड़ रुपये के संशोधित आबंटन की तुलना में 09.01.2023 तक 7,101.97 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय से योजना की धीमी प्रगति के कारण परिलक्षित होते हैं। समिति द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में निधियों का पूर्ण उपयोग करने की योजनाओं के संबंध में पूछे जाने पर विभाग ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

“24.01.2023 की स्थिति के अनुसार एनएसएपी के तहत निधि जारी करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	आवंटित राशि (बीई/सं. अ.)	खर्च की गई राशि	जारी की गई राशि का प्रतिशत
2022-23	बीई -9652.31/सं. अ. - 9652.00	7295.67 (24.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	75.59 %

यह देखा जा सकता है कि दिनांक 24.01.2023 तक, बजट आबंटन का लगभग 76% उपयोग किया जा चुका है। तीसरी तिमाही तक 6950 करोड़ रुपये के क्यूईपी लक्ष्य की तुलना में 7101.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इस वित्तीय वर्ष में शेष राशि का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं।”

3.3 समिति द्वारा एनएसएपी में सुधार के लिए पुनः प्रस्ताव प्रस्तुत करने की ग्रामीण विकास विभाग की योजना तथा एनएसएपी की विभिन्न उप योजनाओं के तहत सहायता राशि में वृद्धि और पात्रता मानदंडों में छूट के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग के भावी रोडमैप के संबंध में प्रश्न किए जाने पर विभाग ने लिखित नोट के माध्यम से निम्नवत् उत्तर दिया।

“विभिन्न सिफारिशों और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर विभाग ने एनएसएपी में बदलाव करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के कालक्रम (2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने का फैसला करते हुए संशोधन प्रस्ताव पर विचार किया। हालांकि, मंत्रिमंडल ने एनएसएपी को मौजूदा स्वरूप में जारी रखने को मंजूरी दे दी है। इसलिए वर्तमान में एनएसएपी में बदलाव के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।”

3.4 एनएसएपी के अंतर्गत प्रदान की जा रही वर्तमान सहायता राशि का उप-योजना/कार्यक्रम-वार ब्यौरा, योजना की विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत बहुत कम सहायता राशि प्रदान करने के कारण तथा विभिन्न उप-योजनाओं के अंतर्गत सहायता राशि की मात्रा बढ़ाने के लिए प्राप्त हुए किसी सुझाव/मांग के संबंध में किए गए प्रश्न के उत्तर में डीओआरडी ने लिखित उत्तर के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

“वर्तमान में, एनएसएपी में पांच अलग-अलग योजनाएं शामिल हैं। इन योजनाओं में से प्रत्येक के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता की पात्रता का मानदंड और राशि का विवरण इस प्रकार है:

योजना	सहायता राशि	पात्रता मानदंड
-------	-------------	----------------

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओपीएस)	200 रु.	60-79 वर्ष के आयु वर्ग के बीपीएल वरिष्ठ नागरिक
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के बीपीएल वरिष्ठ नागरिक
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस)	300 रु.	40-79 वर्ष की आयु वर्ग की बीपीएल विधवाएं
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग की बीपीएल विधवाएं
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस)	300 रु.	18-79 वर्ष आयु वर्ग में 80% विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति
	500 रु.	80 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में 80% विकलांगता वाले बीपीएल व्यक्ति
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (एनएफबीएस) *	20,000/- रु.	परिवार के मुख्य जीविकोपार्जक की मृत्यु पर 18-59 वर्ष के आयु वर्ग के परिवार के मुखिया को
अन्नपूर्णा*	10 किलो अनाज प्रति माह	बीपीएल वरिष्ठ नागरिकों को जिन्हें वृद्धावस्था पेंशन नहीं मिल रही है

* एनएफबीएस और अन्नपूर्णा मांग आधारित योजनाएं हैं।

दिनांक 15 अगस्त, 1995 को शुरू होने के बाद से इस कार्यक्रम की संरचना, पात्रता मानदंड और सहायता की राशि में पिछले वर्षों में कई बदलाव हुए हैं। केन्द्रीय सहायता के अलावा, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता के लिए कम से कम बराबर राशि उपलब्ध कराने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। वर्तमान में, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रति लाभार्थी प्रति माह 50 रुपये से 3200 रुपये तक की टॉप-अप राशि जोड़ रहे हैं। एनएसएपी लाभार्थियों की संख्या (नवंबर, 2012 में निर्धारित और हाल ही में सितंबर, 2022 में संशोधित) को प्रत्येक राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना-वार उच्चतम सीमा/सीमा के साथ निर्धारित करता है और 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों को फायदा पहुंचा रहा है। यदि राज्य में अधिक पात्र लाभार्थी हैं, तो राज्य के पास अपने स्वयं के संसाधनों से उन्हें सहायता देने का विकल्प है।

एनएसएपी की पेंशन योजनाओं के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के लिए सांसदों/राज्यों से समय-समय पर मांग प्राप्त होती रही। इस संबंध में प्राप्त मांगों/सुझावों का ब्यौरा और 2022 के दौरान विभाग द्वारा दिए गए उत्तर निम्नानुसार हैं:

क्र.स.	संदर्भ का विवरण	उत्तर का विवरण
1.	दिनांक 17.01.2022 का संदर्भ श्री	माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा

	टीकाराम जूली, माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री, राजस्थान सरकार से प्राप्त हुआ	दिनांक 21.02.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से उत्तर दिया गया था।
2.	माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) श्री कार्ति पी. चिदंबरम से दिनांक 02.12.2022 को प्राप्त संदर्भ	माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा दिनांक 30.12.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से उत्तर दिया गया था।
3.	लोकसभा में शून्यकाल के दौरान 15.12.2022 को माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) श्रीमती मंजुलता मंडल द्वारा उठाया गया मामला	माननीय राज्य मंत्री (ग्रामीण विकास) द्वारा दिनांक 27.12.2022 के अ.शा. पत्र के माध्यम से उत्तर दिया गया था।

डॉ. मिहिर शाह (2012) की अध्यक्षता में टास्क फोर्स, सुमित बोस (2016) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समूह, नीति आयोग (2020) और डीओआरडी (2021) द्वारा मूल्यांकन अध्ययनों ने भी पेंशन राशि बढ़ाने की आवश्यकता पर जोर दिया। विभिन्न सिफारिशों और मूल्यांकन अध्ययनों के आधार पर, विभाग ने एनएसएपी में सुधार के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के काल क्रम (2021-26) के लिए एनएसएपी को जारी रखने का फैसला करते हुए संशोधन प्रस्तावों पर विचार किया। तथापि मंत्रिमंडल ने एनएसएपी को उसके वर्तमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दे दी। इसलिए एनएसएपी में सुधार के लिए कोई प्रस्ताव इस समय सरकार के विचाराधीन नहीं है।”

4. अव्ययित शेष

समिति द्वारा अब तक एकत्रित अव्ययित शेष राशि का सकारण ब्यौरा मांगे जाने पर और निधियों के परिसमापन के लिए उठाए जा रहे कदमों के संबंध में प्रश्न किए जाने पर डीओआरडी ने निम्नवत जानकारी दी:-

“एनएसएपी योजनाओं के तहत खर्च न की गई शेष राशि का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 में खर्च न की गई शेष राशि (दिनांक 24-01-2023 की स्थिति के अनुसार) (रुपए लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	0.00
2	बिहार	13185.87
3	छत्तीसगढ़	0.00
4	गोवा	0.00
5	गुजरात	0.00

6	हरियाणा	4947.55
7	हिमाचल प्रदेश	0.00
8	झारखंड	0.00
9	कर्नाटक	13488.00
10	केरल	0.00
11	मध्य प्रदेश	13096.37
12	महाराष्ट्र	10342.80
13	ओडिशा	0.00
14	पंजाब	191.79
15	राजस्थान	5792.48
16	तमिलनाडु	6974.00
17	तेलंगाना	0.00
18	उत्तर प्रदेश	14101.57
19	उत्तराखंड	0.00
20	पश्चिम बंगाल	0.00
	योग	82120.44
पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00
22	असम	0.00
23	मणिपुर	0.00
24	मेघालय	988.11
25	मिजोरम	8.00
26	नागालैंड	0.00
27	सिक्किम	150.27
28	त्रिपुरा	0.00
	योग	1146.38
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	134.35
30	चंडीगढ़	8.99
31	दादर और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	91.68
32	संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली	0.00
33	जम्मू और कश्मीर	0.00
34	लद्दाख	31.71
35	लक्षद्वीप	2.84

36	पुडुचेरी	0.00
	योग	269.57
	सकल योग	83536.39

उचित प्रक्रिया का पालन करने के पश्चात् एनएसएपी के तहत पहचाने गए लाभार्थियों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अग्रिम धनराशि जारी की जाती है। कार्यक्रम के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी की गई धनराशि की अंतिम किस्त में मुख्य रूप से खर्च न की गई शेष राशि शामिल है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को आमतौर पर अगली किस्त जारी करने के प्रस्ताव के साथ अंतिम किस्त के खर्च की रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लाभार्थियों को पेंशन का भुगतान समय पर करते हैं, हालांकि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध खर्च न की गई शेष राशि को दर्शाने का कारण व्यय करने और इस विभाग को इसकी सूचना देने के बीच का समय अंतराल है।

व्यय विभाग द्वारा जारी निधियां जारी करने के लिए संशोधित प्रक्रिया के अनुसरण में, इस अव्ययित शेष राशि को खर्च करने और बेहतर निधि प्रबंधन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

(i) अब राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक वित्तीय वर्ष में दो समान किस्तों के स्थान पर चार समान किस्तों में धनराशि जारी की जा रही है।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अगली किस्त की निधियां तभी जारी की जाती है जब पीएफएमएस पुष्टि करता है कि निधियां राज्य के कोषागार से कार्यान्वयन विभाग के एसएनए खातों में स्थानांतरित कर दी गई है और उसका 75% व्यय किया गया है।”

5. वास्तविक प्रगति


वर्ष 2022-23 में संशोधित अनुमान चरण में 9,652 करोड़ रुपये के संशोधित आबंटन की तुलना में 09.01.2023 तक 7,101.97 करोड़ रुपये के वास्तविक व्यय से परिलक्षित योजना की धीमी प्रगति के कारणों तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष की शेष अवधि में निधियों के पूर्ण उपयोग करने की योजनाओं के संबंध में पूछे जाने पर डीओआरडी ने निम्न जानकारी साझा की:-

“24.01.2023 की स्थिति के अनुसार एनएसएपी के तहत निधि जारी करने की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	आवंटित राशि (बीई/सं. अ.)	खर्च की गई राशि	जारी की गई राशि का प्रतिशत
2022-23	बीई -9652.31/ सं. अ. - 9652.00	7295.67 (24.01.2023 की स्थिति के अनुसार)	75.59 %

यह देखा जा सकता है कि दिनांक 24.01.2023 तक, बजट आवंटन का लगभग 76% उपयोग किया जा चुका है। तीसरी तिमाही तक 6950 करोड़ रुपये के क्यूईपी लक्ष्य की तुलना में 7101.96 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की गई। इस वित्तीय वर्ष में शेष राशि का उपयोग करने के प्रयास जारी हैं।”

एनएसएपी – वास्तविक उपलब्धि



6. निगरानी तंत्र

समिति द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन में राज्यों की भूमिका के साथ-साथ कार्यक्रम के निगरानी तंत्र की विस्तृत जानकारी मांगे जाने पर डीओआरडी ने निम्न उत्तर प्रस्तुत किया:-

"राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न विभागों के साथ समन्वय करके कार्यान्वयन की प्रगति की रिपोर्ट करने के लिए राज्य स्तर पर एक नोडल सचिव नामित करना होगा। योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति को राज्य नोडल विभाग द्वारा प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक दिए गए निगरानी प्रारूप में ऑनलाइन दर्ज किया जाना है। वास्तविक और वित्तीय प्रगति रिपोर्ट दर्ज न करने को प्रगति की कमी के रूप में माना जाता है और इससे अतिरिक्त केंद्रीय सहायता जारी नहीं हो पाएगी। केन्द्रीय स्तर पर आवधिक निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों, नोडल अधिकारियों की बैठकों, क्षेत्र अधिकारियों के दौरों और राष्ट्रीय स्तर के निगरानीकर्ताओं (एनएलएम) द्वारा नियमित और विशेष निगरानी के माध्यम से योजना की निगरानी की जाती है।"

च . श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन

1. संक्षिप्त जानकारी

2014-15 के बजट भाषण में, वित्त मंत्री ने ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी ढांचे, आर्थिक कार्यकलापों के विकास और कौशल विकास को सुनिश्चित करने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) शुरू करने की घोषणा की थी। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 16 सितंबर 2015 को इसे मंजूरी दे दी थी। मिशन "गांवों के एक समूह के विकास करने का उद्देश्य रखता है जो प्रकृति में अनिवार्य रूप से शहरी मानी जाने वाली सुविधाओं से लैस हैं और समानता तथा समावेशन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए ग्रामीण सामुदायिक जीवन के सार को संरक्षित और पोषित भी करता है और इस प्रकार "रूबन गांवों" का एक क्लस्टर बनाता है। मिशन का उद्देश्य स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना, बुनियादी सेवाओं को बढ़ाना और अच्छी तरह से नियोजित रूबन क्लस्टरों का निर्माण करना है।

इस मिशन के तहत परिकल्पित प्रमुख परिणाम हैं - क) ग्रामीण-शहरी अंतर को कम करना अर्थात् आर्थिक, तकनीकी सुविधाएं एवं सेवाएं। ख) ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और बेरोजगारी को कम करने पर जोर देने के साथ स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना। ग) क्षेत्र में विकास का प्रसार। घ) ग्रामीण क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करना।

मंत्रिमंडलीय टिप्पण के अनुसार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम) के लिए कार्यान्वयन अवधि मार्च, 2020 तक थी। वित्त मंत्रालय द्वारा मिशन का सितंबर, 2021 तक अंतरिम विस्तार किया गया था। हालांकि, वर्तमान प्रगति के आकलन के आधार पर, मिशन की परियोजनाओं को पूरा करने के लिए मार्च, 2024 तक विस्तार की मांग की गयी थी। व्यय वित्त समिति ने 26 अगस्त, 2021 को हुई अपनी बैठक में इस योजना को बंद करने की सिफारिश की है। इसके अलावा, दिनांक 28 मार्च, 2022 के कार्यालय ज्ञापन के तहत, वित्त मंत्रालय ने मिशन के लिए 31 मार्च, 2022 को योजना की समाप्ति की तारीख घोषित की है। दिनांक 12.07.2022 और 30.11.2022 के आर्थिक मामले विभाग के कार्यालय ज्ञापन के अनुरूप दिनांक 31.03.2022 तक चल रहे कार्यों के प्रतिबद्ध दायित्व को पूरा करने की अनुमति दी गई है।

2. वित्तीय प्रगति

वित्तीय प्रगति (राशि करोड़ रुपये में)				
निर्धारित लक्ष्य	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31.12.2022 तक)
संशोधित अनुमान (सं. अ.)	300	372.33	375	988.91
जारी (केन्द्रीय शेयर)	303.59	371.82	150.11	351.32 (31.12.2022 तक)
उपलब्धि का%	101.20	99.86	40.03	35.52

अभिरूपता व्यय	2669.17	3118.74	3785.16	713.93
सीजीएफ व्यय (केंद्रीय और राज्य के हिस्से सहित)	600.21	713.05	710.28	512.92

24 जनवरी, 2023 तक एसपीएमआरएम की वित्तीय प्रगति की स्थिति (₹ करोड़ में)

	जारी निधि	क्रिटिकल गैप फंड (₹ करोड़)	अभिसरण (₹ करोड़)	कुल (₹ करोड़)
कुल परिव्यय	5142.08	6792.38	20923.81	27716.19
24.01.2023 की स्थिति के अनुसार प्रगति	2807.17 (54.59%)	3338.52 (49.15%)	14277.64 (68.24%)	17616.16 (63.56%)
31.03.2022 की स्थिति के अनुसार चल रहे कार्य प्रतिबद्ध दायित्व	956.762* (धन का केंद्रीय हिस्सा अभी जारी किया जाना है)	2176.529* (चल रहे कार्यों के लिए कुल बकाया देयता)	-	-

* वर्तमान प्रतिबद्ध दायित्व के आकलन के अनुसार

3. वास्तविक प्रगति

24 जनवरी 2023 तक एसपीएमआरएम की वास्तविक प्रगति

क्लस्टर लक्ष्य की संख्या	स्वीकृत एकीकृत क्लस्टर कार्य योजना की (आईसीएपी) संख्या	अनुमोदित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की (डीपीआर) संख्या	योजना के लिए अधिसूचित क्लस्टरों की संख्या	वास्तविक कार्य की स्थिति		
				कुल प्रस्तावित कार्य	किए गए पूरे कार्यों का संख्या	जारी कार्यों की संख्या
300	291	283	269	75999	38882 (%51.16)	14432 (%18.98)

3.2 यह पूछे जाने पर कि योजना की वर्तमान स्थिति क्या है क्योंकि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए कोई राशि निर्धारित नहीं की गई है, डीओआरडी ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:-

“मिशन ने मार्च 2023 तक मिशन के लिए विस्तार की मांग की थी। लेकिन व्यय वित्त समिति (ईएफसी) ने 26 अगस्त 2021 को हुई अपनी बैठक में एसपीएमआरएम

योजना को बंद करने की सिफारिश की। आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने 31 मार्च 2022 को मिशन के लिए समाप्ति तिथि घोषित की थी। 31.03.2022 की स्थिति के अनुसार डीओई के दिनांक 12.07.2022 एवं 30.11.2022 के का.जा. के अनुसार चल रहे कार्य को पूर्ण करने की ही अनुमति प्रदान की गयी है। डीओई से 21 दिसंबर 2022 का नवीनतम पत्राचार के, द्वारा 15 मार्च 2023 तक मिशन के तहत धन जारी करने की एक बारगी अनुमति दी गई है।”

साक्ष्य के दौरान, डीओआरडी के सचिव ने निम्नवत बताया:-

“31.01.2023 तक कुल 3 क्लस्टर पूरे किए गए [रावापार, गुजरात; वेवाजी, महाराष्ट्र; ऐबावक, मिजोरम, क्लस्टर पूरा करने के लक्ष्य (संचयी): फरवरी 2023: 83; मार्च 2023: 270].”

3.3 साक्ष्य के दौरान, सचिव ने एसपीएमआरएम के बजटीय आवंटन के बारे में निम्नवत बताया:-

“एसपीएमआरएम रबन मिशन है। यह योजना समाप्त हो गई है। हमें 31 मार्च, 2022 तक इस योजना के तहत लाई गई परियोजनाओं के लिए निधि आवंटित करनी है। निधियां आवंटित करने की समय सीमा इस वर्ष की 15 मार्च है। 31 मार्च, 2022 से पहले शुरू की गई योजनाओं को पूरा करने के लिए, हमें मूल 550 करोड़ रुपये के अलावा 438 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन दिया गया था। हम उम्मीद करते हैं कि इस राशि का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया जाएगा।”

3.4 समिति ने शेष लक्ष्यों और उनके भविष्यको उजागर करते हुए योजना को जारी न रखने के मामले की भी पूछताछ की और यह भी जानना चाहा कि क्या ग्रामीण विकास विभाग ने शुरू में नियोजित योजना के उद्देश्य को पूरा करने की योजना बनाई है, जिस पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नानुसार उत्तर दिया है:-

“योजना को बंद करने के लिए व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के निर्णय के बाद, आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने पत्र द्वारा 31 मार्च 2022 को एसपीएमआरएम के लिए अंतिम तिथि के रूप में घोषित किया, और डीओई के आदेश के अनुसार केवल चालू कार्य 31 मार्च 2022 तक जारी रहेंगे और 31.03.2022 तक शुरू न की गई गतिविधियों को मिशन फंड द्वारा समर्थित नहीं किया जा सकेगा।

हालाँकि, क्लस्टर विकास एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। परियोजनाओं के पूरा होने के बाद ओ एंड एम का प्रबंधन संबंधित विभागों/एजेंसियों द्वारा किया जाएगा। शेष कार्यों को पूरा करने के लिए राज्यों को तालमेल के अन्य अभिसरण

मार्गों का पता लगाने की सलाह दी गई है। क्लस्टर के लिए निर्धारित विजन को संबंधित जिला और पीआरआई कार्यकर्ताओं द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।”

3.5 तालमेल के माध्यम से शेष परियोजनाओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास विभाग की योजनाओं के बारे में पूछे जाने पर ग्रामीण विकास विभाग ने निम्नवत बताया:-

“मंत्रालय ने पहले ही राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लिखा है कि शेष कार्यों के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एसपीएमआरएम निधियों यानी तालमेल से प्राप्त निधियों के अलावा अपने स्वयं के स्रोतों से निधि की व्यवस्था करें। क्लस्टर विकास एक सतत् प्रक्रिया है। क्लस्टर के लिए निर्धारित विजन को संबंधित जिला और पीआरआई कार्यकर्ताओं द्वारा आगे बढ़ाया जाएगा।”

4. अव्यय शेष

एसपीएमआरएम में निधि उपयोग के बारे में पूछे जाने पर, डीओआरडी के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत बताया:-

“...एसपीएमआरएम की बात करें तो अगस्त, 2021 में ईएफसी की एक बैठक हुई थी, जिसमें ईएफसी ने योजना को लागू करने के तरीके के कार्यान्वयन में कुछ कमियां देखी थीं। उन्होंने कहा कि यह काफी कम राशि है क्योंकि यह योजना केवल 15 करोड़ रुपये या 30 करोड़ रुपये की है, जो कि इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य भौगोलिक रूप से कहां स्थित है। अतः उन्होंने कहा कि व्यय कम है। उन्होंने कहा कि यह संसाधनों का बहुत कम उपयोग किया गया है और यह अन्य केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के साथ ओवरलैप है। इसमें खराब समन्वय और तालमेल था क्योंकि यह योजना अन्य योजनाओं के साथ तालमेल पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इसलिए, उन्होंने कहा कि चूंकि यह इतनी अच्छी तरह से आकार नहीं ले रहा है, इसलिए उन्होंने योजना को बंद करने का फैसला किया। विस्तृत रूप से जब हम राज्यों के साथ बात करते हैं, तब भी इसमें भिन्नता होती है। कुछ राज्यों ने बड़ा उतरदायित्व लिया और उन्होंने इस योजना के तहत बहुत काम किया। लेकिन कुछ राज्य ऐसे थे जो यह कहते हुए रुचि नहीं ले रहे थे कि इसकी राशि बहुत कम है, यही कारण है कि यह योजना शुरू से विफल रही। हालांकि, इस पर भी, 31 मार्च 2022 तक जो भी काम चल रहे थे, हमने तदनुसार देयताओं की गणना की और वित्त मंत्रालय को सूचित किया। हमें चल रहे उन सभी कार्यों को पूरा करने के लिए पैसा मिला है। बात सिर्फ इतनी है कि कुछ राज्य उस धन को लेने में अधिक उत्साहित हैं और उन्होंने अपनी दोनों किश्तें ले ली हैं। लेकिन कुछ राज्य अभी भी पीछे हैं। लेकिन यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमें जो भी धन दिया गया है, हम उसका पूरा उपयोग करें।”

छ. राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एंड पीआर)

आरंभ में देश भर में एनआईआरडी एंड पीआर की वर्तमान उपयोगिता और योगदान एवं इसके उद्देश्य के संदर्भ में एक संक्षिप्त विवरण। एनआईआरडीपीआर का प्रस्तावना और गठन का उद्देश्य, इस प्रकार है:-

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के क्षेत्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान का एक शीर्ष संस्थान होगा। यह उत्कृष्टता का केंद्र होगा और यह नीति कार्यक्रम संबंधी पहल के क्षेत्रों में राष्ट्रीय और राज्य सरकारों, ग्रामीण विकास से संबंधित अन्य एजेंसियों और गैर सरकारी संगठनों को आवश्यक सहायता प्रदान करेगा और ग्रामीण क्षेत्रों के मूल्यांकन, विकास, ग्रामीण उत्पादों के लिए प्रचार और सूचना विपणन और ऐसी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षण के लिए प्रौद्योगिकी के संवर्धन/अंतरण/नीतियों/प्रसार के लिए एक माध्यम, उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा।

उपरोक्त उद्देश्यों के अनुसार, एनआईआरडीपीआर ग्रामीण विकास मंत्रालय के एक स्वायत्त संस्थान के रूप में कार्य कर रहा है, जो सरकारी पदाधिकारियों और निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए अनुसंधान और अनुसंधान-संचालित क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित करता है। निम्नलिखित मुख्य कदम उठाए गए हैं:-

- राज्य सरकारों/अन्य एजेंसियों के विभिन्न संस्थानों के मध्यवर्ती अधिकारियों का क्षमता निर्माण जिससे वे सरकार द्वारा ग्रामीण विकास गतिविधियों के लिए आवंटित बड़ी धन राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग करने में सक्षम हो सकें।

- ज्ञान सृजन में एक थिंक टैंक के रूप में कार्य करना, साक्ष्य आधारित नीति समर्थन और फील्ड स्तर पर प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सरकार की रणनीति तैयार करने में मदद करना।

- देश में ग्रामीण विकास परिदृश्य के साथ तालमेल रखते हुए ग्रामीण विकास से संबंधित समकालीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए अनुसंधान करना, जिसमें नीतिगत निहितार्थ हैं।

-एनआईआरडीपीआर एक्शन रिसर्च का उद्देश्य जमीनी स्तर की समस्याओं को हल करना और एक्सपोजर और अनुभवों के आधार पर विकास मॉडल डिजाइन करना है।

1.2 समिति संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों को 135.46 करोड़ रुपये से घटाकर 114.59 करोड़ रुपये करने के कारणों के बारे में जानना चाहती थी, जबकि वास्तविक व्यय केवल 84.65 करोड़ रुपये रहा है, इस पर डीओआरडी ने अपने उत्तर में निम्नवत बताया है:-

“अक्टूबर 2022 तक व्यय की गति जो 47.18 करोड़ रुपये थी, को देखते हुए बजट अनुमान 2022-23 के 135.46 करोड़ रुपये की तुलना में 2022-23 के संशोधित अनुमान को घटाकर 114.59 करोड़ रुपये कर दिया गया है। 25 जनवरी, 2023 तक ग्रामीण विकास मंत्रालय

द्वारा एनआईआरडीपीआर को 84.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। एनआईआरडीपीआर के लिए व्यय की गति बढ़ाकर 31 मार्च 2023 तक 114.59 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान का उपयोग करने का प्रयास किया जा रहा है।”

ज. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई)

1. उद्देश्य और कार्यान्वयन

देश भर में समग्र रूप से विकसित मॉडल ग्राम पंचायतों का सृजन करने के उद्देश्य से 11 अक्टूबर, 2014 को सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) का शुभारंभ किया गया था। प्राथमिक रूप से मार्च, 2019 तक तीन आदर्श ग्राम विकसित करने का लक्ष्य रखा गया था जिसमें से एक आदर्श ग्राम वर्ष 2016 तक विकसित किया जाएगा। इसके बाद वर्ष 2024 तक ऐसे पांच आदर्श ग्रामों (प्रत्येक वर्ष एक) का चयन करके उनको विकसित किया जाएगा। इन "आदर्श ग्रामों से ग्रामीण समुदाय में स्वास्थ्य, स्वच्छता, हरियाली और सौहार्द को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी और ये स्थानीय विकास एवं शासन का केंद्र बनकर पड़ोसी ग्राम पंचायतों को प्रेरित करेंगे। इसमें संसद सदस्य उत्प्रेरक की भूमिका निभाएंगे। वे आदर्श ग्राम के रूप में विकसित की जाने वाली ग्राम पंचायत का निर्धारण करेंगे, समुदाय के साथ संपर्क करेंगे, इस योजना के मूल्यांकन के प्रचार-प्रसार में मदद करेंगे, उपयुक्त माहौल तैयार करने के लिए प्रारंभिक कार्यकलाप शुरू करने में सहयोग करेंगे तथा आयोजना प्रक्रिया में मदद करेंगे। जिला कलेक्टर एसएजीवाई का कार्यान्वयन करने के लिए नोडल अधिकारी होगा।

2. वर्तमान स्थिति

अब तक चिह्नित किए गए एसएजीवाई गांवों की एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट और प्राप्त परिणामों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा:

एसएजीवाई के तहत चिह्नित ग्राम पंचायतों की स्थिति और ग्राम विकास योजना कार्यान्वयन प्रगति की स्थिति, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार नीचे दी गई है;

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	एसएजीवाई के तहत चिह्नित ग्राम पंचायतों की संख्या	अपलोड की गई ग्राम पंचायतों की संख्या वीडिपी	परियोजनाओं की कुल संख्या	पूरी की गई परियोजनाओं की संख्या	चल रही परियोजनाओं की संख्या	पूर्ण परियोजनाओं का प्रतिशत
1	अंडमान व निकोबार	8	4	405	212	50	52.35

	द्वीप समूह						
2	आंध्र प्रदेश	168	152	3056	1105	230	36.16
3	अरुणाचल प्रदेश	13	5	266	37	27	13.91
4	असम	50	39	2892	631	473	21.82
5	बिहार	145	68	5262	1907	588	36.24
6	चंडीगढ़	2	2	31	15	2	48.39
7	छत्तीसगढ़	114	104	5923	3817	272	64.44
8	दिल्ली	13	0	0	0	0	0.00
9	गोवा	15	5	714	147	33	20.59
10	गुजरात	211	200	79385	60379	172	76.06
11	हरियाणा	91	91	3301	1966	235	59.56
12	हिमाचल प्रदेश	40	37	2012	1042	68	51.79
13	जम्मू और कश्मीर	42	40	1636	649	113	39.67
14	झारखंड	96	83	6893	3338	761	48.43
15	कर्नाटक	125	116	14889	10142	664	68.12
16	केरल	162	145	8179	5540	678	67.73
17	लद्दाख	4	4	194	75	3	38.66
18	लक्षद्वीप	2	1	79	29	36	36.71
19	मध्य प्रदेश	118	104	4381	2410	326	55.01
20	महाराष्ट्र	252	177	10579	3815	863	36.06
21	मणिपुर	30	30	1792	816	373	45.54
22	मेघालय	18	6	338	100	75	29.59
23	मिजोरम	13	10	701	407	49	58.06
24	नागालैंड	8	3	134	44	23	32.84
25	ओडिशा	90	60	2025	905	258	44.69
26	पुदुचेरी	10	3	97	67	8	69.07
27	पंजाब	59	43	1045	343	151	32.82
28	राजस्थान	179	168	8336	4498	488	53.96
29	सिक्किम	13	11	405	291	64	71.85
30	तमिलनाडु	352	302	10286	8875	627	86.28
31	तेलंगाना	83	75	54251	22524	72	41.52
32	त्रिपुरा	14	12	682	307	58	45.01

33	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र	8	2	87	58	16	66.67
34	उत्तर प्रदेश	507	446	10255	9656	358	94.16
35	उत्तराखंड	36	29	1514	1089	142	71.93
36	पश्चिम बंगाल	10	1	61	0	0	0.00
	कुल	3101	2578	242086	147236	8356	60.82

चार. जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समितियां (दिशा)

जिला स्तर पर सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन के उद्देश्य से प्रमुख परियोजनाओं की प्रगति के लिए निगरानी में राज्य विधानमंडल और स्थानीय सरकारों, संसद में सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करने के उद्देश्य को पूरा करने हेतु संसद सदस्य (लोकसभा) की अध्यक्षता में मंत्रालय द्वारा जून, 2016 में जिला विकास समन्वय और निगरानी समितियों का गठन किया गया है, जिसे 'दिशा' के रूप में जाना जाता है।

वर्ष 2019-20 में, प्रमुख शीर्ष 'आरडी कार्यक्रम के लिए प्रबंधन सहायता' (एमएसआरडीपी) के तहत अलग-अलग विस्तृत शीर्ष दिशा निगरानी प्रणाली को आवंटित किए गए थे। दिशा निगरानी प्रणाली के तहत राज्यों/जिलों को दिशा समितियों की बैठक आयोजित करने के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में निधि उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नेंस (एनआईएसजी) को जनशक्ति लागत का भुगतान किया जाता है, जिसने दिशा डैशबोर्ड के विकास और प्रबंधन के लिए दिशा परियोजना प्रबंधन ईकाई (पीएमयू) को लगाया है।

वित्त पोषण पद्धति: दिशा योजना के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा समितियों की बैठक आयोजित करने और पीएमयू कर्मियों को वेतन का भुगतान करने के लिए एनआईएसजी को भुगतान के लिए प्रतिपूर्ति के रूप में 100 प्रतिशत निधियां जारी की जाती हैं।

2. वास्तविक उपलब्धि:

2016-17 से 2022-23 तक राज्य-वार दिशा बैठकों का विवरण

क्र.सं.	राज्य	कुल जिले	कुल बैठकें						
			2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
1	अंडमान और निकोबार द्वीप	3	1	0	0	0	1	0	2

क्र.सं.	राज्य	कुल जिले	कुल बैठकें						
			2022- 23	2021- 22	2020- 21	2019 - 20	2018 - 19	2017 - 18	2016 - 17
	समूह								
2	आंध्र प्रदेश	13	6	10	4	9	5	5	11
3	अरुणाचल प्रदेश	25	23	5	1	15	9	8	16
4	असम	33	39	37	20	27	29	33	41
5	बिहार	38	54	16	26	8	13	19	49
6	चंडीगढ़	1	0	0	1	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ़	27	36	48	40	19	41	73	70
8	दादराऔरनगरहवेली	1	0	0	0	0	1	0	0
9	दमनऔरदीव	2	1	0	1	0	2	0	0
10	गोवा	2	3	3	3	1	3	3	0
11	गुजरात	33	45	60	47	41	52	46	50
12	हरियाणा	22	37	44	40	17	23	38	40
13	हिमाचल प्रदेश	12	11	11	18	5	6	13	17
14	जम्मू और कश्मीर	20	20	8	7	1	6	3	6
15	झारखंड	24	25	22	19	13	33	50	44
16	कर्नाटक	30	42	55	47	37	55	51	50
17	केरल	14	30	39	26	23	47	43	31
18	लद्दाख	2	2	2	0	0	0	0	0
19	लक्षद्वीप	1	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	51	58	79	96	42	48	46	74
21	महाराष्ट्र	36	18	23	25	18	33	54	55
22	मणिपुर	9	7	0	1	3	1	3	2
23	मेघालय	7	6	3	6	0	2	13	8
24	मिजोरम	8	13	11	6	1	14	23	15
25	नागालैंड	11	10	2	1	0	3	0	1
26	दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र	11	6	7	12	1	1	0	0
27	ओडिशा	30	31	21	31	17	21	36	36
28	पुदुचेरी	2	2	4	2	2	1	1	0
29	पंजाब	23	15	8	16	8	15	21	9
30	राजस्थान	33	45	44	28	12	31	56	72
31	सिक्किम	4	4	6	2	3	5	3	4
32	तमिलनाडु	37	63	41	31	29	26	8	1

क्र.सं.	राज्य	कुल जिले	कुल बैठकें						
			2022-23	2021-22	2020-21	2019-20	2018-19	2017-18	2016-17
33	तेलंगाना	31	16	15	28	9	12	17	16
34	त्रिपुरा	8	14	7	3	6	5	6	10
35	उत्तर प्रदेश	75	135	77	105	84	108	112	94
36	उत्तराखंड	13	26	18	21	13	30	35	22
37	पश्चिम बंगाल	21	0	0	0	0	3	3	6
	कुल योग	713	844	726	714	464	685	822	852

2.2 यह पूछे जाने पर कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में बैठकों के नियमित आयोजन के संदर्भ में दिशा बैठकों ने निगरानी के अपने उद्देश्य को कितना पूरा किया है, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:

"विभाग के दिशानिर्देशों के अनुसार जिला एवं राज्य स्तरीय दिशा बैठकें क्रमशः प्रत्येक तिमाही में एक बार तथा छह माह में एक बार आयोजित किए जाने की आशा है। वे जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की भागीदारी के माध्यम से विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के कामकाज पर निगरानी रखने का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। राज्यों के साथ नियमित अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप दिशा बैठकों का आयोजन अधिक नियमित और बारंबार हो गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में सबसे अधिक जिला दिशा बैठकें आयोजित की गईं। इसका विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष	जिला दिशा बैठकें	राज्य दिशा बैठकें
20-2019	464	0
21-2020	713	5
22-2021	747	3
23-2022	*937	*10

* 30 जनवरी, 2023 तक

2.3 साक्ष्य के दौरान डीओआरडी के सचिव ने दिशा बैठकों की बढ़ती संख्या के बारे में पूछे गए प्रश्न के बारे में निम्नवत उत्तर दिया:

"पिछले साल 747 बैठकों की तुलना में इस साल रिकॉर्ड संख्या में बैठकें हुई हैं। इस साल अब तक हमारी 950 से अधिक बैठकें हो चुकी हैं। इसलिए, स्थिति में सुधार हो रहा है। अतः, यह सभी राज्यों में प्रति तिमाही एक बैठक आयोजित

करने के अधिदेश के अनुसार नहीं है, बल्कि बैठकों की संख्या बढ़ रही है। एक बैठक रिपोर्टिंग प्रणाली है जिसमें बैठकों का एजेंडा, बैठकों के कार्यवृत्त और उनमें की गई कार्रवाई भी दर्ज की जाती है। हमने राज्यों को नियमित बैठकें आयोजित करने और यह सुनिश्चित करने के लिए भी लिखा है कि सदस्य सचिव नियमित रूप से बैठक बुलाएं।"

3. निगरानी

समिति द्वारा यह पूछे जाने पर कि ग्रामीण विकास विभाग दिशा बैठकों के घटनाक्रमों और दिशा बैठकों में अधिकारियों की सक्रिय पकड़/भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उनके द्वारा उठाए जा रहे कदमों की निगरानी कैसे करता है, ग्रामीण विकास विभाग ने अपने लिखित टिप्पण में निम्नवत बताया:

"विभाग माननीय ग्रामीण विकास मंत्री और सचिव (आरडी) के स्तर पर नियमित पत्राचार के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से नियमित आधार पर दिशा बैठकें आयोजित करने का आग्रह करता है। सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) द्वारा 06 जून, 2022 और 31 अगस्त, 2022 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को पत्र लिखकर जिला कलेक्टरों/मजिस्ट्रेटों और अन्य संबंधित अधिकारियों को दिशा समिति के दिशा-निर्देशों के अनुसार जिला स्तर पर दिशा समिति की नियमित बैठकें आयोजित करने का निदेश दिया गया है। 7 दिसंबर, 2022 को, सचिव, डीओआरडी ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को योजनाओं के कार्यान्वयन पर संसदीय निगरानी बढ़ाने और राज्य स्तरीय दिशा समितियों के गठन और नियमित बैठकें आयोजन के लिए नियमित रूप से दिशा बैठकें आयोजित करने के अत्यधिक महत्व के बारे में याद दिलाया है।

इसके अलावा, निगरानी बढ़ाने के लिए समय-समय पर संसद सदस्यों से दिशा समितियों में गैर-सरकारी सदस्यों को सक्रिय रूप से नामित करने का अनुरोध किया गया है। परिणामस्वरूप, माननीय संसद सदस्यों की सिफारिशों के आधार पर, 307 विशिष्ट व्यक्तियों को गैर-सरकारी सदस्यों के रूप में जिला स्तरीय दिशा समितियों में नामित किया गया है और 50 विशिष्ट व्यक्तियों को राज्य स्तरीय दिशा समितियों में नामित किया गया है।

इसके अलावा, दिशा निगरानी तंत्र को मजबूत करने के लिए विभाग द्वारा एक अत्याधुनिक दिशा डैशबोर्ड विकसित किया गया है। इस डैशबोर्ड का उद्देश्य दिशा के तहत विभिन्न योजनाओं के कई मापदंडों की आयोजना, निगरानी और मूल्यांकन के लिए निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए एक डेटा संचालित शासन समाधान तैयार करना है।

इसके अलावा, दिशा समिति के संचालन में सहयोग करने, व्यवस्थित और प्रभावी बैठकें आयोजित करने की सुविधा के लिए राज्य स्तरीय दिशा बैठक हेतु 'मीटिंग रिपोर्टिंग मॉड्यूल' (<https://rural.nic.in/en/disha>) नामक एक वेब पोर्टल विकसित किया गया है। इसमें नोटिस बोर्ड, बैठक की कार्यवाही (पीओएम), की गई कार्रवाई रिपोर्ट और राज्य और जिला स्तर की बैठकों का सारांश जैसी प्रमुख विशेषताएं हैं, जिसमें बैठक की तारीख, समय, स्थान और एजेंडा, बैठक के नोटिस और कार्यवृत्त शामिल होते हैं और कार्रवाई बिंदु निर्दिष्ट होते हैं।

उपरोक्त का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को निदेश दिया गया है कि वे सभी जिला कलेक्टरों / मजिस्ट्रेटों और सीईओ जिला परिषदों को निदेश दें कि वे अंतिम दिशा बैठक के निर्णयों और सिफारिशों पर एटीआर को अनुसूचित दिशा बैठक के एजेंडे में पहली मद के रूप में शामिल करें और बैठक के बाद नामित पोर्टल में पीओएम के संबंध में व्यापक और सही प्रविष्टियां भी करें।"

भाग - दो

समिति की टिप्पणियां / सिफारिशें

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन ग्रामीण विकास विभाग की मांग संख्या 87 को दिनांक 07.02.2023 को लोक सभा के पटल पर में रखा गया था। विभागों से संबद्ध स्थायी समितियों को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति ने मुख्य रूप से पिछले और चालू वित्तीय/वास्तविक कार्य निष्पादन को ध्यान में रखते हुए ग्रामीण विकास विभाग की अनुदानों की मांगों की गहन जांच की है और उनके निष्कर्षों के आलोक में निम्नलिखित टिप्पणियां/सिफारिशें की हैं:-

1. बजटीय आवंटन बढ़ाने की आवश्यकता

समिति नोट करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वावधान में ग्रामीण विकास विभाग (डीओआरडी) को भारत सरकार की कई योजनाओं को लागू करने और उनका पर्यवेक्षण करने की एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है जिसका उद्देश्य हमारे देश की ग्रामीण जनता का उत्थान करना है। यह स्पष्ट है कि हमारे देश की बड़ी आबादी अभी भी गांवों में रहती है, जिसमें से एक बड़ी संख्या हमारे समाज के हाशिए पर रहने वाले और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की है। अतः, ग्रामीण विकास विभाग के लिए यह सुनिश्चित करना अनिवार्य हो जाता है कि भारत सरकार की दूरदर्शी महत्वपूर्ण योजनाओं को बेहतर प्रबंधन के अभाव में अधर में नहीं छोड़ा जाए और योजनाओं को जारी और बेहतर स्थिति में बनाए रखने के लिए पर्याप्त वित्तपोषण किया जाए। समिति ने पाया कि 2023-24 के लिए बजट अनुमान स्तर पर ग्रामीण विकास विभाग को 1,57,545 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो यद्यपि वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान चरण में निधि से 15.89% अधिक है तथापि यह 2022-23 के संशोधित अनुमान चरण में आवंटित निधियां अर्थात् 1,81,121.80 करोड़ रुपये से बहुत कम है। इसके अतिरिक्त, ग्रामीण विकास विभाग ने 2023-24 के बजट अनुमान स्तर पर आवंटन के लिए 1,97,233.34 करोड़ रुपये की निधि की मांग की थी जिसे वित्त मंत्रालय द्वारा बजट अनुमान स्तर पर काफी कम करके वर्तमान आवंटन अर्थात् 1,57,545 करोड़ रुपये कर दिया गया है। यह भी पाया गया है कि मनरेगा जैसी प्रमुख योजना के लिए निधि में काफी कमी की गई है और पीएमएवाई-जी को छोड़कर अन्य योजनाओं के लिए निधि को काफी हद तक यथावत रखा गया है। सकल घरेलू उत्पाद के संदर्भ में भी 2023-24 के लिए बजट अनुमान स्तर पर ग्रामीण विकास का हिस्सा 0.8% है, जो 2020-21 (जीडीपी का 1.1%), 2021-22 (जीडीपी का 1.0%) और 2022-23 के संशोधित चरण (जीडीपी का 0.9%) में किए गए वास्तविक व्यय से कम है। देश के ग्रामीण क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए ग्रामीण विकास विभाग की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है और इस प्रयोजनार्थ, विशेष रूप से जब पीएमजीएसवाई, पीएमएवाई-जी जैसी लोकप्रिय योजनाएं भी मुद्रास्फीति और कच्चे माल की बढ़ती लागत से अछूती नहीं हैं पर्याप्त बजटीय आवंटन आवश्यक है। अक्सर विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परियोजनाओं को रोकने के कारण आम तौर पर वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही तक निधियों की कमी है। जब

तक निधियां दोबारा दी जाती हैं तब तक योजनाओं और लाभार्थियों को विलंब का सामना करना पड़ता है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपनी सभी योजनाओं या कार्यक्रमों के संबंध में हितधारकों, विशेष रूप से राज्य सरकारों, के परामर्श से त्रैमासिक और मासिक व्यय योजनाओं को पहले से तैयार करना चाहिए और योजना कार्यान्वयन के प्रत्येक चरण में निधि की पर्याप्तता के लिए हर संभव उपाय करने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निधि की कमी के कारण ग्रामीण विकास की कोई भी योजना बाधित न हो और साथ ही निधि की उपलब्धता को मॉनीटर करना चाहिए ताकि वित्त मंत्रालय के सहयोग से समय आने पर अनुपूरक मांगें अथवा पुनःविनियोजन किया जा सके।

(सिफारिश क्र. सं. 1)

2. विवेकपूर्ण वित्तीय प्रबंधन

समिति ग्रामीण विकास की सभी योजनाओं में अव्ययित शेष पर चिंता व्यक्त करती है। पीएमजीएसवाई (2,269.631 करोड़ रुपये), डीएवाई-एनआरएलएम (4,717.56 करोड़ रुपये), एनएसएपी (83,536.39 लाख रुपये), एसपीएमआरएम (664.35 करोड़ रुपये), पीएमएवाई-जी (15,50,898.91 लाख रुपये) आदि के अंतर्गत अव्ययित शेष की इतनी बड़ी राशि ग्रामीण विकास विभाग की वित्तीय विवेकपूर्णता की निराशाजनक छवि प्रस्तुत करती है। कई वर्षों से यही स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति से निपटने के लिए एक मजबूत तंत्र अभी भी नहीं बनाया गया है। समिति केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन में केन्द्र और राज्य के बीच निधियों साझा करने के पैटर्न को नोट करती है जिसकी अपनी कुछ कमियां हैं, जैसे कि निधि के अंश को जारी करने के लिए समय पर उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की निर्भरता और अन्य अनिवार्य कागजी कार्रवाई, राज्य का हिस्सा समय पर जारी न करना आदि। यद्यपि समिति यह मानती है कि कुछ समय से अव्ययित शेष राशि में क्रमिक कमी आई है तथापि परिसमापन न होने और भारी धनराशि संग्रहीत होने के कारण वांछित परिणाम प्राप्त करने हेतु योजनाओं का कार्यान्वयन सुचारु रूप से नहीं हो पाता। अतः, समिति अपेक्षा करती है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा लीक से हटकर और नवोन्मेषी रणनीतियां बनाई जाएं और साथ ही यह सिफारिश करती है कि अधिक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाए और वित्तीय विवेक का प्रयोग करे जिससे कि सरकारी धनराशि के उपयोग और अव्ययित शेष राशि के मुद्दे का समाधान किया जा सके।

(सिफारिश क्र. सं.2)

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)

3. मनरेगा में निधियों की कमी

समिति यह जानकर चिंतित है कि वर्ष 2022-23 के संशोधित अनुमान की तुलना में वर्ष 2023-24 में मनरेगा के लिए बजट अनुमान में 29,400 करोड़ रु की कटौती की गई है। मनरेगा अधिनियम में काम करने के इच्छुक ग्रामीण जनसंख्या के वंचित वर्ग को काम करने का अधिकार

प्राप्त है। यह उस बेरोजगार वर्ग, जिनके पास अपना और अपने परिवार के भरण-पोषण का साधन नहीं है, के लिए एकमात्र है। मनरेगा की भूमिका और महत्ता कोरोना काल में स्पष्ट दिखाई दी जब इसने जरूरतमंद लोगों के लिए संकट काल में आशा की किरण का काम किया। इस योजना की महत्ता वर्ष 2020-21 और 2021-22 में संशोधित अनुमान स्तर पर क्रमशः 61,500 करोड़ रु से 1,11,500 करोड़ रु. और 73,000 करोड़ रु. से 99,117.53 करोड़ रु. की भारी वृद्धि से रेखांकित हुई है ताकि कोरोना काल में काम की मांग में वृद्धि की आवश्यकता को पूरा किया जा सके। चालू वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भी मनरेगा के लिए राशि को 73,000 करोड़ बजट अनुमान से बढ़ा कर संशोधित अनुमान में 89,400 करोड़ रुपये कर दिया गया है। तथापि, वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आरंभिक स्तर पर ही ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा के लिए 98,000 करोड़ रुपये प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। समिति मनरेगा के तहत आवंटन में कमी के औचित्य को समझ नहीं पाई है। चूंकि योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त बजटीय आवंटन आवश्यक है, इसलिए समिति का दृढ़ मत है कि धनराशि में कटौती के मामले पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। यह एक स्थापित प्रक्रिया है कि मनरेगा एक मांग आधारित योजना है और संशोधित अनुमान स्तर पर धनराशि में वृद्धि की जा सकती है। तथापि वित्त मंत्रालय को स्पष्ट किया जाना चाहिए कि ग्रामीण विकास विभाग ने किस प्रकार मनरेगा के प्रस्ताव के चरण में 98,000 करोड़ रुपये की गणना की। यदि 'काम करने की सहमति' के चरण पर ही इस प्रकार का अनुमान प्राप्त नहीं होता तो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस प्रकार का प्रस्ताव प्रारंभिक स्तर पर नहीं दिया जाता। अतः, समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग जमीनी स्तर पर मनरेगा के अंतर्गत काम की मौजूदा भारी मांग का अधिक सटीकता से अनुमान लगाए और अपने पत्राचार और प्रशासनिक कौशल द्वारा वित्त मंत्रालय से मनरेगा के लिए आवंटन में वृद्धि की मांग करें।

4. मजदूरी और सामग्री की लंबित देयता

समिति यह नोट करके चिंतित है कि अनेक राज्यो/संघ राज्य क्षेत्रों में योजना की मजदूरी और सामग्री घटक के अंतर्गत केन्द्र द्वारा जारी की जाने वाली धनराशि का संवितरण निरंतर लंबित है। ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त सूचना से यह पाया गया कि 25.01.2023 तक 6,231 करोड़ रुपये की मजदूरी और 7,616 करोड़ रुपये के सामग्री घटक राशि केन्द्र की ओर से लंबित है। समिति यह पाती है कि इन देयताओं के संग्रहीत होने के कारण काफी हानि होती है जिससे लाभार्थी प्रभावित होते हैं।

समिति उन संभाव्य कारणों को ध्यान में रखती है जिन्हें ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दस्तावेज नहीं मिलने जैसे देरी के कारणों के रूप में बार बार उद्धृत किया गया है। हालांकि, मनरेगा जैसी इतनी बड़ी योजना, जो पूरे देश में विस्तृत है और हर क्षेत्र की आवश्यकता को पूरा करती है और जिसमें लाखों लाभार्थी जॉब कार्ड धारकों के रूप में नामांकित हैं, मजदूरी भुगतान और सामग्री

निधि जारी करने में इस तरह की देरी केवल जरूरतमंद व्यक्ति को मनरेगा के तहत लाभ प्राप्त करने से वंचित करेगी और उन्हें आर्थिक रूप से और कमजोर बनाएगी, जबकि योजना का एकमात्र उद्देश्य संकट के समय में गरीबों को समय पर राहत प्रदान करना था। इसलिए, समिति ने ग्रामीण विकास विभाग से प्रभावी उपायों और राज्यों के साथ बेहतर समन्वय के माध्यम से मजदूरी और सामग्री में केंद्र के हिस्से को समय पर जारी करने के कार्य को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में मजदूरी और भौतिक घटकों के प्रति केन्द्र की देनदारियों को समाप्त करने में हुई प्रगति को तीन महीने के भीतर समिति को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 4)

5. विलंब मुआवजे का भुगतान

समिति यह भी नोट करने को विवश है कि विलंब मुआवजे के प्रावधान का पालन न किए जाने की बात बार-बार सामने आती रही है। मनरेगा अधिनियम में शामिल प्रावधान कानूनी रूप से बाध्यकारी हैं और इसका अनिवार्य रूप से अनुपालन किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में समिति ने जमीनी हकीकत के अपने अनुभवों और अध्ययन यात्राओं के दौरान ज्ञात तथ्यों और आंकड़ों के माध्यम से इस स्थिति की जानकारी ली है कि राज्य मशीनरी लाभार्थियों को मजदूरी के भुगतान में देरी के कारण विलंब मुआवजा प्रदान करने में बार-बार विफल रही है। मनरेगा अधिनियम की अनुसूची II, पैरा 29 स्पष्ट रूप से मजदूरी भुगतान के प्रावधानों को रेखांकित करती है और मस्टर रोल के बंद होने से 15 दिनों के बाद मजदूरी के भुगतान में देरी के मामलों में मुआवजे के कारक के बारे में बताती है। चूंकि लाभार्थियों को समय पर मजदूरी का भुगतान करने में इस प्रकार के विलंब से अधिनियम का उद्देश्य ही विफल हो जाता है, इसलिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा लाभार्थियों को समय पर और परेशानी मुक्त मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, विभाग को मजदूरी के भुगतान में देरी के मामले में मुआवजे के भुगतान के प्रावधान का सख्ती से निष्पादन सुनिश्चित करना चाहिए और 'अक्षरशः' अनुपालन के लिए सभी हितधारकों को शामिल करना चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 5)

6. उपस्थिति प्रणाली में संशोधन

समिति ने नोट किया कि मनरेगा के तहत वास्तविक लाभार्थियों की उपस्थिति की प्रक्रिया से जुड़ी कथित गड़बड़ियों को दूर करने और अधिक पारदर्शिता लाने के अपने निरंतर प्रयास में, ग्रामीण विकास विभाग ने कार्यस्थल पर वास्तविक समय की उपस्थिति को छायांकित करने का एक नया प्रावधान लागू किया है। यह एक मोबाइल ऐप (राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली ऐप: एनएमएमएस) के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें एक दिन में श्रमिकों की दो टाइम-स्टैम्पड

और जियो-टैग की गई तस्वीरें हैं। समिति ग्रामीण विकास विभाग द्वारा एक नए वास्तविक समय उपस्थिति छायांकन ऐप की शुरुआत के लिए महसूस की गई आवश्यकता के आसपास के तथ्यों से अनजान नहीं है और योजना के लिए अत्यधिक आवश्यक बेहतर प्रशासन को लाने में ग्रामीण विकास विभाग के इरादे के अनुरूप है। हालांकि, नवाचार कवायद का दूसरा पक्ष भी किसी के ध्यान से ओझल नहीं होना चाहिए और इसका कोई हिसाब रखा जाना चाहिए अन्यथा लाभार्थियों तक अपेक्षित राहत नहीं पहुंचेगी। एक दिन में दो वास्तविक समय की तस्वीरें लेने की पूरी कवायद कुछ प्रमुख कारकों पर निर्भर करती है जैसे कि स्मार्ट-फोन की उपलब्धता, उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी और मनरेगा श्रमिकों की उपस्थिति दोनों निर्धारित समयों पर सर्वविदित 'इन' और 'आउट' उपस्थिति। कहने की जरूरत नहीं है कि मनरेगा लाभार्थी समाज के अत्यंत वंचित वर्गों से संबंधित हैं, जो विभिन्न भाषाई परिवेश से संबंधित हैं। मनरेगा मजदूरों से यह उम्मीद करने से उनकी परेशानी और बढ़ जाएगी कि वे ऐप के कामकाज और भाषा से अच्छी तरह जानकार होंगे या इस कार्य के लिए वे नोडल अधिकारी के मानवीय हस्तक्षेप पर भी निर्भर होंगे। इसके अलावा, अक्सर कार्य स्थल के अनिश्चित समय के कारण श्रमिकों को अपनी फोटो कैप्चरिंग के लिए काम पूरा होने के बाद भी वहां इंतजार करना पड़ता है। मनरेगा कार्य स्थल के दूर-दराज के स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी की उपलब्धता का मुद्दा भी इस उलझन को और अधिक बढ़ा देता है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और अत्यंत चिंता के साथ, समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि वह मनरेगा श्रमिकों द्वारा अनुभव की जा रही जमीनी वास्तविकता और चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए उपस्थिति ऐप के कार्यान्वयन की समग्र रूप से समीक्षा करे और जल्द से जल्द एक स्वीकार्य प्रावधान के साथ सामने आए।

(सिफारिश क्रम संख्या 6)

7. मजदूरी में वृद्धि और मजदूरी में समानता लाना

समिति ने नोट किया है कि महात्मा गांधी एनआरईजी अधिनियम, 2005 की धारा 6(1) के अनुसार ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रति वर्ष महात्मा गांधी नरेगा मजदूरी दर अधिसूचित करता है। मुद्रास्फीति के विरुद्ध कवर प्रदान करने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय कृषि श्रम के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई-एएल) में परिवर्तन के आधार पर हर वर्ष मजदूरी दर में संशोधन करता है। समिति मनरेगा अधिनियम, 2005 के तहत उल्लिखित तौर-तरीकों को ध्यान में रखती है और वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए अधिसूचित मजदूरी दर का भी अध्ययन करती है। यह देखा गया है कि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में मजदूरी में एकरूपता नहीं है और यह दर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में 204 रुपये से गोवा और हरियाणा में क्रमशः 315 रुपये और 331 रुपये है। समिति ने पहले भी स्पष्ट रूप से कहा है कि मुद्रास्फीति के अनुरूप मजदूरी दर में वृद्धि करने और देश भर में एक समान मजदूरी दर अधिसूचित करके मजदूरी में असमानता को दूर करने की अत्यधिक आवश्यकता है। इन मुद्दों पर ग्रामीण विकास विभाग का रुख काफी हद तक वैसा ही रहा है जैसा यहां प्रस्तुत किया गया है कि हालांकि प्रत्येक

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित मजदूरी दर से भी अधिक मजदूरी प्रदान कर सकता है। इस तरह की प्रतिक्रियाएं आम तौर पर राज्य सरकारों पर जिम्मेदारी डालने में माहिर होती हैं, जबकि समय के साथ यह देखा गया है कि मनरेगा के तहत मजदूरी दरें विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में औसतन रु. 200/- से 300/- रु प्रतिदिन के बीच रही हैं। यह आवश्यक है कि ग्रामीण विकास विभाग मानवीय दृष्टिकोण के साथ इस मुद्दे की जांच करे और जीवन यापन की बढ़ती लागत के अनुरूप उचित तरीके से मजदूरी में बढ़ोतरी करने के उपाय शुरू करे। इसके अलावा, सीपीआई-एएल के साथ संबंध शायद मुद्रास्फीति के वास्तविक प्रभाव का पता लगाने के उद्देश्य को पूरा नहीं करता है और वास्तविक तस्वीर को देखने के लिए गणना के लिए सूचकांक को तत्काल आधार पर बदलने की आवश्यकता है। यह भी ज्ञात नहीं है कि मंत्रालय देश भर में मनरेगा के तहत एकीकृत मजदूरी दर को अधिसूचित करने में सक्षम क्यों नहीं है ताकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में असमानता को समाप्त किया जा सके, खासकर जब यह योजना ज्यादातर केंद्र द्वारा वित्त पोषित है। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के तहत मजदूरी दरों को उपयुक्त मूल्य निर्धारण सूचकांक से जोड़कर बढ़ाना चाहिए और पूरे देश के लिए मनरेगा के तहत एक समान मजदूरी दर अधिसूचित करने की व्यवहार्यता का पता लगाना चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 7)

8. मनरेगा के तहत गारंटीशुदा कार्य के दिनों की संख्या में वृद्धि

समिति ने नोट किया है कि एक अन्य प्रासंगिक मांग, जो बार-बार की गई है, वह मनरेगा के तहत गारंटीशुदा कार्य के दिनों को मौजूदा 100 दिनों से बढ़ाने की है। समिति मनरेगा लाभार्थियों की भावनाओं से अवगत है और मनरेगा के अंतर्गत कार्य के गारंटीशुदा दिनों की संख्या में समान रूप से वृद्धि करने के लिए उनके द्वारा महसूस की गई अत्यधिक आवश्यकता से मेल खाती है। मनरेगा अधिनियम को 2005 में अधिसूचित किया गया था और अप्रैल, 2008 तक पूरे देश को कवर कर लिया गया था। अधिनियम के पूर्ण कार्यान्वयन को लगभग 15 साल बीत चुके हैं और तब से लेकर अब तक "समय बहुत बदल चुका है"। प्रत्येक बीतते वर्ष के साथ, अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता महसूस की गई है ताकि समय की बदलती मांगों के साथ तालमेल रखा जा सके। गांवों में रहने वाले बहुसंख्यक लोगों और बड़ी संख्या में ग्रामीण आबादी के साथ देश की बढ़ती आबादी अभी भी बुनियादी आवश्यकता, काम के गारंटीशुदा दिनों को पूरा करने की कोशिश कर रही है, शायद, समाज के ऐसे वर्ग के लिए एक बड़ी राहत है। समिति ने अनुदान मांगों 2023-24 की जांच के दौरान यह भी पाया कि भारत सरकार ने राज्यों के प्रदर्शन और एमजीएनआरईजीएस के तहत शासन के मुद्दों का अध्ययन करने के लिए श्री अमरजीत सिन्हा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है, जो अपने आप में एक स्पष्ट संकेतक है कि एमजीएनआरईजीएस की बुनियादी विशेषताओं की समीक्षा एक बहुत पुरानी मांग रही है।

केंद्रीय स्तर पर काम के दिनों की संख्या बढ़ाने से निश्चित रूप से ऐसे गरीब और निराश्रित वर्ग के लाभार्थियों को आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करने में मदद मिलेगी जिनके पास अपनी जीविका के लिए मनरेगा के तहत अकुशल कार्यों को करने के अलावा कोई अन्य उपाय नहीं है। अतः समिति अत्यंत सहानुभूति के साथ सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को मनरेगा के अंतर्गत काम की गारंटीकृत दिनों की संख्या बढ़ाने की संभावना पर पुनः विचार करना चाहिए और इस संबंध में कुछ ठोस उपाय करने चाहिए।

(सिफारिश क्र. सं.8)

9. प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी): इकाई की सहायता राशि में वृद्धि

समिति ने नोट किया कि पीएमएवाई-जी 2024 तक "सभी के लिए आवास" उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता वाली भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं में से एक है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-जी के तहत, घर के निर्माण के लिए मैदानी इलाकों में 1,20,000/- रुपये और पहाड़ी राज्यों, दुर्गम क्षेत्रों और आईएपी जिलों में 1,30,000/- रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना को मार्च, 2022 से आगे मार्च, 2024 तक बढ़ा दिया गया है ताकि 2.95 करोड़ घरों के संचयी लक्ष्य के भीतर शेष घरों का निर्माण पूरा किया जा सके। यह भी देखा गया है कि 07.02.2023 की स्थिति के अनुसार 2.15 करोड़ घरों का निर्माण पूरा हो चुका है और अभी भी बड़ी संख्या में घरों को निर्धारित तिथि तक पूरा किया जाना है। इस संदर्भ में, समिति को उनकी जांच के दौरान जमीनी वास्तविकता के बारे में बार-बार जानकारी दी गई है कि योजना के तहत प्रदान की गई इकाई सहायता राशि पर्याप्त नहीं है और समय के भीतर घरों के पूरा न होने के कारणों में से एक है। घर के निर्माण के लिए आवश्यक कच्चे माल और अवसंरचना संभारतंत्र की बढ़ती लागत के कारण सहायता राशि की अपर्याप्तता अधिक जांच के दायरे में आती है। यह एक छिपा हुआ तथ्य नहीं है कि मुद्रास्फीति का लागत कारकों पर प्रभाव पड़ता है और पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों के बजट को गंभीर रूप से बाधित करता है। इस प्रकार, पीएमएवाई-जी के तहत यूनिट सहायता राशि बढ़ाने की आवश्यकता को ध्यान में रखना और भी अनिवार्य हो जाता है। समिति ने यह भी पाया कि पहाड़ी इलाके निर्माण कार्यों के लिए और भी अधिक चुनौतीपूर्ण हैं और ऐसे स्थानों पर परिवहन लागत एक अतिरिक्त भार है। इसके अलावा, जब तक पीएमएवाई-यू के तहत सहायता प्रदान नहीं की गई थी, तब तक कुल राशि लगभग 2.5 लाख रुपये थी, जो पीएमएवाई-जी और पीएमएवाई-यू के सहायता घटक के बीच गैर-समानता को दर्शाती है, और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस तरह के अंतर के लिए कोई तर्क नहीं है। सभी बातों को ध्यान में रखते हुए और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अभी भी बड़ी संख्या में मकानों का निर्माण किया जाना है, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को पीएमएवाई-जी के तहत प्रति यूनिट सहायता राशि को इस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए जो वर्तमान समय में निर्माण की बढ़ती लागत को पूरा किया जा सके।

10. शेष लाभार्थी

समिति ने नोट किया कि वर्तमान में ग्रामीण विकास विभाग मार्च, 2024 तक 2.95 करोड़ घरों के लक्ष्य को प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। अंतिम रूप दी गई आवास + सूचियों में शेष परिवारों के लिए 2.95 करोड़ मकानों के लक्ष्य के अलावा अब कोई प्रस्ताव नहीं है। समिति ग्रामीण विकास विभाग की ओर से दिए गए इस तरह के उत्तर को किसी भी सहानुभूति और भावी विजन से रहित पाती है। आवास प्लस सर्वेक्षण बचे हुए पात्र लाभार्थियों की संख्या का पता लगाने के लिए किया गया था और ऐसे परिवारों के लिए कोई योजना नहीं बनाई गई थी जो वास्तव में "सभी के लिए आवास" के वास्तविक उद्देश्य को साकार करने में एक बाधा के रूप में काम करेगी। चूंकि यह योजना 2.95 करोड़ घरों के प्रारंभिक लक्ष्य के साथ शुरू हुई थी, इसलिए इस तरह के लक्ष्य की प्राप्ति सैद्धांतिक रूप से योजना को पूरा करेगी, लेकिन शेष बचे हुए परिवारों के भविष्य को अनिश्चित छोड़ दिया जाएगा। समिति का मत है कि चूंकि इस योजना को मार्च, 2022 से आगे पूरा करने की तिथि को मार्च, 2024 तक पहले ही बढ़ा दिया गया है, इसलिए यह शायद उचित होगा कि बचे हुए परिवारों को भी लक्ष्य के दायरे में शामिल करने के लिए प्रयासों को फिर से तैयार किया जाए और रणनीतियों पर फिर से विचार किया जाए ताकि बचे हुए परिवारों की शिकायतों को भी पूरा किया जा सके। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को बचे हुए पात्र लाभार्थियों को शामिल करने के लिए वित्त मंत्रालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से अपने लक्ष्य को पुनः तैयार करना चाहिए ताकि "सभी के लिए आवास" का वास्तविक उद्देश्य प्राप्त किया जा सके।

(सिफारिश क्र. सं. 10)

11. वास्तविक पात्रता का पता लगाना

समिति ने नोट किया है कि पीएमएवाई-जी से जुड़ी एक आम शिकायत जो समिति के अध्ययन दौरों के दौरान सदस्यों के जमीनी स्तर के अनुभवों और टिप्पणियों के माध्यम से सामने आती रहती है, वह पीएमएवाई-जी के तहत गलत/अयोग्य लाभार्थियों के चयन की है। पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पहचान जिस आधार पर की गई थी, वह सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना (एसईसीसी), 2011 के आवास अभाव मानदंड थे। आधार वर्ष के बाद से बहुत समय बीत चुका है और यह व्यापक रूप से देखा गया है कि कई पात्र लाभार्थी अयोग्य हो गए हैं, जबकि बहुत सारे पात्र लाभार्थी सामने आए हैं। समय सीमा के भीतर योजना के लक्ष्य को पूरा करने में अत्यधिक देरी निश्चित रूप से ऐसी अनिश्चित स्थितियों उत्पन्न होगी जो ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक कौशल और दूरदर्शिता को चुनौती देंगी। 'कच्चे' और 'पक्के' मकानों की परिभाषा के साथ छेड़छाड़ करने से लेकर आवंटन में पक्षपात के लिए मनमाने ढंग से लेकर बुनियादी जरूरतों के उपकरणों के कब्जे तक के मुद्दों पर ग्राम पंचायत स्तर पर मनमानी के कथित उदाहरण वास्तविक लाभार्थियों को शामिल करने में विसंगतियों को दर्शाते हैं। इस तरह की शिकायतें जमीनी स्तर पर बहुत हैं और इन्हें अनसुना नहीं किया जाना चाहिए। समिति का मानना है कि

ग्रामीण विकास विभाग के पास पीएमएवाई-जी के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने और जमीनी स्तर पर वास्तविक लाभार्थियों की पहचान से जुड़ी शिकायतों के निवारण के लिए एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए अभी भी पर्याप्त समय बचा है। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को पीएमएवाई-जी के तहत लाभार्थियों की पात्रता से संबंधित मुद्दों की ईमानदारी से जांच करने के लिए सख्त उपाय करने चाहिए ताकि वास्तविक लाभार्थी भारत सरकार की ऐसी दूरदर्शी योजना के लाभों से वंचित न रहें।

(सिफारिश क्र. सं. 11)

12. भूमिहीन लाभार्थियों का मुद्दा

समिति यह जानकर चिंतित है कि इस समय भी जब यह योजना मार्च, 2024 तक विस्तार प्राप्त करने के बाद अपने अंतिम चरण में पहुंच रही है, अभी भी 2,93,598 लाभार्थियों द्वारा पीएमएवाई-जी के तहत अपने घर के निर्माण के लिए राज्य / केंद्र शासित प्रदेश से भूमि / सहायता राशि प्राप्त किया जाना शेष है। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि प्रदान करना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जिम्मेदारी है और ग्रामीण विकास विभाग भूमिहीनों को भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ निरंतर संपर्क में है। समितियों को दिए गए उत्तरों में ग्रामीण विकास विभाग के प्रयासों का हवाला दिए जाने के बावजूद, समिति को ऐसे मुद्दे पर तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने की गति काफी धीमी लगती है। इस योजना की समय सीमा समाप्त होने में बहुत अधिक समय नहीं बचा है और योजना के लक्ष्य की सफल प्राप्ति के लिए इस तरह की बाधाओं को जल्द से जल्द दूर करने की आवश्यकता है। समय की मांग है कि लंबित मामलों को कम करने में तेजी लाने के लिए सभी हितधारकों के साथ अधिक स्पष्टता और समन्वय बढ़ाने की भावना के साथ राज्य मशीनरी पर और दबाव डाला जाए। इस प्रकार, समिति ग्रामीण विकास विभाग से अनुरोध करती है कि वह पीएमएवाई-जी के तहत भूमिहीन लाभार्थियों को भूमि के आवंटन के मुद्दे का समय पर समाधान प्राप्त करने के लिए संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ युद्ध स्तर पर प्रेरक प्रयासों की गति बढ़ाए।

(सिफारिश क्र. सं. 12)

13. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई): एफडीआर प्रौद्योगिकी का बेहतर कार्यान्वयन

समिति नोट करती है कि फुल डेपथ रिकलेमेशन (एफडीआर) प्रौद्योगिकी पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा की जा रही नई पहलों में से एक है ताकि सड़क निर्माण परियोजनाओं में किफायती होने और कार्बन फुटप्रिंट में कमी के दोहरे लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

समिति नोट करती है कि एफडीआर प्रौद्योगिकी के तहत 7,669 कि.मी. सड़कों को मंजूरी दी गई है जिसमें 5,459 कि.मी. अकेले उत्तर प्रदेश को आवंटित की गई है। अन्य राज्य भी इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की तैयारी कर रहे हैं। ग्रामीण सड़क राज्य का विषय है और पीएमजीएसवाई सड़कों का निर्माण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। हालांकि, पीएमजीएसवाई कार्यों को पूरा करने में राज्य सरकारों की भूमिका सर्वोपरि होती है, तथापि, पीएमजीएसवाई, एक केंद्र प्रायोजित योजना होने के कारण, केंद्र की भूमिका केवल अधिसूचना और दिशानिर्देश जारी करने के अतिरिक्त भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। समिति को विचार-विमर्श के दौरान अवगत कराया गया है कि जमीनी स्तर पर एफडीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग विभिन्न कमियों जैसे कि पर्याप्त संख्या में मशीनों की अनुपलब्धता और उक्त प्रौद्योगिकी के तहत स्थापित मृदा जांच प्रक्रियाओं में अत्यधिक विलंब के कारण बहुत दयनीय है। एफडीआर प्रौद्योगिकी के लिए परिकल्पित अवधारणा पीएमजीएसवाई के तहत परियोजनाओं को रोकने के लिए नहीं थी बल्कि एक नई और अभिनव पद्धति के उपयोग से सड़क निर्माण परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने में तेजी लाने के लिए थी। ग्रामीण विकास विभाग को अपने तरीकों और तकनीक के वास्तविक कार्यान्वयन पर पैनी नजर रखने की आवश्यकता है और केवल नई अवधारणाओं को बनाकर संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि एफडीआर प्रौद्योगिकी का उपयोग परिकल्पना के अनुसार हो और नई प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए आवश्यक मंशा और साधन के कारण कार्यान्वित हुए बिना न रहे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एमजीएसवाई के अन्तर्गत सड़क निर्माण परियोजनाएं तेजी से पूरी हो जाएं।

(सिफारिश क्रम संख्या 13)

14. अधिक भार वहन करने में सक्षम सड़कें और भारी वाहनों की आवाजाही

समिति नोट करती है कि पीएमजीएसवाई सड़कें आम तौर पर कम यातायात वाली सड़कें होती हैं और इन्हें कभी भी भारी वाहनों का भार वहन करने के लिए नहीं बनाया गया था। पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों के निर्माण को नियंत्रित करने वाले विनिर्देशों में इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एनएचएआई की सड़कों पर चलने वाले भारी वाहन भी अंतिम छोर संपर्क के रूप में पीएमजीएसवाई सड़कों का उपयोग करेंगे ताकि बढ़ती आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक परियोजनाओं का विस्तार भी हो सके। समिति ने ऐसे बदलते परिदृश्य का संज्ञान लिया है जिसमें भारी वाहनों के लिए भी पीएमजीएसवाई सड़कों का उपयोग करना लगभग अनिवार्य हो गया है। इस प्रकार, पीएमजीएसवाई सड़कों को उन पर चलने वाले भारी वाहनों के कारण क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए उपाय करना नितांत आवश्यक हो जाता है। या तो भारी वाहनों का भार वहन करने में सक्षम सड़कों के निर्माण के लिए पीएमजीएसवाई के विनिर्देशों में यथाशीघ्र उपयुक्त संशोधन किए जाएं या एनएचएआई के प्राधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के प्रावधान का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित

किया जाए, अन्यथा पीएमजीएसवाई सड़कें क्षतिग्रस्त होती रहेंगी और यातायात योग्य नहीं रहेंगी जिससे योजना का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। समिति ने ग्रामीण विकास विभाग के उत्तर से यह भी पाया कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को इस संबंध में 2 नवंबर, 2022 को सूचित कर दिया गया है, लेकिन उनका उत्तर अभी प्रतिक्षित है और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा आगे की कार्रवाई सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय से उत्तर प्राप्त होने के पश्चात की जाएगी। समिति विद्यमान स्थिति और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा ठोस कार्रवाई नहीं किए जाने से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है क्योंकि, जैसा कि विभिन्न पक्षों द्वारा बताया गया है, पीएमजीएसवाई सड़कों पर भारी वाहनों के चलने की प्रथा पीएमजीएसवाई सड़कों को क्षति पहुंचाती रहेगी। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और पीएमजीएसवाई सड़कों को भारी वाहनों से क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए जल्द से जल्द कोई ठोस और प्रभावी समाधान निकालना चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 14)

15. माननीय सदस्यों के परामर्श से सड़कों का चयन

समिति सड़क योजनाओं को अंतिम रूप देने के दौरान संबंधित माननीय सदस्यों के सुझावों पर परामर्श और विचार करने के लिए पीएमजीएसवाई में अनिवार्य अंतर्निहित तंत्र से पूरी तरह अवगत है। पीएमजीएसवाई के अन्तर्गत निर्धारित मजबूत सैद्धांतिक प्रावधान के बावजूद, समिति को परामर्शी प्रक्रियाओं के अक्षरशः अनुपालन नहीं करने के संबंध में माननीय सदस्यों से नियमित रूप से शिकायतें प्राप्त होती रहती हैं। विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं नोट की गई हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ वास्तविक स्थानों का उचित विवरण/निरीक्षण किए बिना सदस्यों की सहमति प्राप्त करके औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए परामर्श नहीं लेने सहित कुछ स्थानों पर मानदंडों की घोर अवहेलना शामिल है। माननीय सदस्य निर्वाचन क्षेत्रों में जमीनी स्तर पर स्थानीय लोगों की शिकायतों के समाधान के लिए एकमात्र बिंदु स्रोत होते हैं और पीएमजीएसवाई के तहत सड़कों का निर्माण करने वाले नोडल अधिकारियों को मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करने और सार्वजनिक मांगों से अवगत कराने के लिए पूरी तरह से सक्षम होते हैं। इस प्रकार, यह सुनिश्चित करना और भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि माननीय सदस्यों को हमेशा सूचना दी जानी चाहिए और यहां तक कि बाद के चरण में नई सड़कों को शामिल करने के लिए, स्थानीय जरूरतों/मांगों को ध्यान में रखते हुए गुण-दोष के आधार पर उनके सुझावों पर विचार करने की आवश्यकता होती है। इसलिए, समिति पूरी गंभीरता से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को राज्यों से उक्त की आवश्यकता के संबंध में आग्रह करते हुए पीएमजीएसवाई के तहत सड़क परियोजनाओं को अंतिम रूप देते समय माननीय सदस्यों के साथ सभी परामर्शी प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 15)

16. शिलान्यास और उद्घाटन समारोह

समिति यह नोट करते हुए चिंतित है कि पीएमजीएसवाई सड़कों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में संबंधित क्षेत्र के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है। कथित तौर पर, इस स्पष्ट दिशानिर्देश कि पीएमजीएसवाई सड़क का शिलान्यास और सड़क का उद्घाटन भी माननीय सदस्यों (लोक सभा) द्वारा किया जाना चाहिए, का कई बार संबंधित अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जाता है। समिति का दृढ़ मत है कि इस तरह के आयोजनों में संसद सदस्यों की उपस्थिति पीएमजीएसवाई, जिसका उद्देश्य लोक कल्याण है और जिसका निर्माण सरकारी निधि से होता है, जैसी केंद्र प्रायोजित योजना के परियोजनाओं के निष्पादन अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक साधन है। माननीय संसद सदस्यों, जो बड़े जन समूह की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, को कभी भी उपेक्षित या अनदेखा नहीं किया जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पीएमजीएसवाई के तहत अनिवार्य नयाचार प्रावधानों से अविचलन सुनिश्चित करने में राज्य सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण होती है, लेकिन यह योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना होने के नाते, नोडल कार्यान्वयन निकाय, ग्रामीण विकास विभाग अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता है। विद्यमान प्रावधान से विपथन को देखते हुए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को सैद्धांतिक प्रावधानों का उल्लेख करने कि बजाए इस मामले की पूरी गंभीरता से जांच करनी चाहिए ताकि माननीय सदस्यों को उनके विशेषाधिकारों के अनुरूप उचित सम्मान दिया जा सके।

(सिफारिश क्रम संख्या 16)

17. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)

एनएसएपी के तहत सहायता राशि में वृद्धि

समिति नोट करती है कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) एक शत प्रतिशत केंद्र द्वारा वित्तपोषित केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे 15वें वित्त आयोग की अवधि (2021-26) के लिए भी जारी रखा गया है। एनएसएपी 3.09 करोड़ बीपीएल लाभार्थियों की जरूरतों को पूरा करता है, जिसमें लाभार्थियों की संख्या पर प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए योजना-वार अधिकतम सीमा/कैप (हाल ही में सितंबर, 2022 में संशोधित) निर्धारित करना शामिल है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना (आईजीएनओएपीएस), इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना (आईजीएनडब्ल्यूपीएस) और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्त पेंशन योजना (आईजीएनडीपीएस), जो वृद्धजनों, विधवाओं, निःशक्तजनों और शोक संतप्त परिवारों के कमाने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु पर सहायता प्रदान करने के लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम है, के घटकों में सहायता की राशि, जो 200 रुपये से लेकर 500 रुपये प्रति माह तक है, संतोषजनक नहीं है। समिति के लिए अल्प सहायता राशि लंबे समय से चिंता का कारण रही है और समिति इसे अत्यंत कम राशि मानती और जीवन यापन की लागत में काफी वृद्धि होने के कारण यह बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। यह बात समझ से परे है कि इतनी कम सहायता राशि समाज के

अत्यंत वंचित और आर्थिक रूप से संकटग्रस्त वर्ग के लाभार्थियों को किसी भी प्रकार की राहत कैसे प्रदान कर सकती है। ग्रामीण विकास विभाग के उत्तरों से, समिति यह भी पाती है कि डॉ. मिहिर शाह (2012) की अध्यक्षता वाले कृषिक बल, सुमित बोस (2016) की अध्यक्षता वाले विशेषज्ञ समूह, नीति आयोग (2020) और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मूल्यांकन अध्ययन (2021) ने पेंशन राशि को बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है और एनएसएपी में सुधार के लिए कैबिनेट को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, हालांकि, एनएसएपी को उसके विद्यमान स्वरूप में जारी रखने की मंजूरी दी गई थी। समिति का मानना है कि एनएसएपी के सहायता घटक में वृद्धि करने की तत्काल आवश्यकता है और कार्यक्रम में सुधार के लिए पुरजोर प्रयास किए जाने चाहिए। इसलिए, गहरी चिंता के साथ, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को कैबिनेट के विचारार्थ एक नया प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहिए और इसमें शामिल हितधारकों के साथ समन्वय करने में अपनी समझाने की क्षमता का भी उपयोग करना चाहिए ताकि जरूरतमंद लाभार्थियों की भावनाएं अनसुनी न रह जाएं और एनएसएपी के सभी घटकों के तहत सहायता में वृद्धि की जा सके।

(सिफारिश क्रम संख्या 17)

18. दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम)

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के सृजन में वृद्धि और डीएवाई-एनआरएलएम की गति को बढ़ाना

समिति नोट करती है कि डीएवाई-एनआरएलएम का एक प्रमुख घटक ग्रामीण गरीब परिवारों के सार्वभौमिक सामाजिक जुड़ाव की प्राप्ति के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) का सृजन करना है। एसएचजी की अवधारणा वास्तव में ग्रामीण महिलाओं के उत्थान और सशक्तिकरण के लक्ष्य के साथ एक श्रेष्ठ विचार है। हालांकि, समिति नोट करती है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान, दिसंबर, 2022 तक एसएचजी में शामिल परिवारों की संख्या वार्षिक लक्ष्य का 50 प्रतिशत है और अन्य मुख्य निष्पादन संकेतक जैसे जिन महिला किसानों की सहायता की गई उनकी संख्या (65 प्रतिशत), बैंक ऋण की राशि प्राप्त करना (68 प्रतिशत), जिन उद्यमियों को सहायता प्रदान की गई उनकी संख्या (66 प्रतिशत) भी पीछे रह गया है। समिति डीएवाई-एनआरएलएम के उद्देश्यों के महत्व से अवगत है और चाहती है कि इस तरह की महत्वपूर्ण योजना बाधित नहीं होनी चाहिए, बल्कि सामाजिक समावेश और मानव विकास के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़नी चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि योजना के निष्पादन में तेजी लाने के लिए सभी सुधारात्मक तरीके अपनाए जाएं ताकि ग्रामीण महिलाओं के विकास का नेक उद्देश्य आगे बढ़ता रहे।

(सिफारिश क्रम संख्या 18)

19. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन (एसपीएमआरएम)
एसपीएमआरएम के तहत लंबित परियोजनाओं को पूरा करना

समिति को अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के दौरान पता चला कि 2023-24 हेतु एसपीएमआरएम को बीई स्तर पर शून्य आवंटन का कारण यह है कि आर्थिक कार्य विभाग (डीईए), वित्त मंत्रालय ने मिशन को बंद करने की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 घोषित की थी और डीओई ओएम दिनांक 12.07.2022 और 30.11.2022 के अनुसार, 15 मार्च, 2023 तक निधि जारी करने हेतु एक बार अनुमति के माध्यम से केवल 31.03.2022 के अनुसार पहले से ही प्रतिबद्ध देयता को पूरा करने के लिए अनुमति दी गई है। इस बिंदु पर, समिति स्मरण करती है कि एसपीएमआरएम को 2016 में 28 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों में 300 संकुल विकसित करने के लिए शुरू किया गया था, जो शहरी सुविधाओं और सेवाओं वाले ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में कार्य करेंगे। हालाँकि, 31.01.2023 तक केवल 3 संकुल (रेवापर, गुजरात; वेवाजी, महाराष्ट्र और ऐबॉक, मिजोरम) पूरे किए गए हैं, जबकि मार्च, 2023 तक 270 संकुल पूरा करने का लक्ष्य हासिल किया जाना है। जिस प्रकार ग्रामीण विकास विभाग इस तरह के दूरदर्शी कार्यक्रम को चला रहा है उससे समिति खुश नहीं है क्योंकि इससे अधिकांश संकुलों के अधूरे रहने की संभावना है। 15 मार्च, 2023 तक ही निधि उपलब्ध होने के कारण इतने कम समय में लंबित संकुलों को पूरा करना अत्यंत कठिन प्रतीत होता है। यह चिंता का विषय है कि जिन लक्ष्यों के लिए योजना प्रस्तावित की गई थी, वे अभी भी अधूरे हैं। इस प्रकार, समिति महसूस करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को लक्ष्यों को पूरा करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसलिए, समिति सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग एसपीएमआरएम हेतु निधि के उपयोग के लिए भरसक प्रयास करे और साथ ही परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कुछ अतिरिक्त समय प्राप्त करने के लिए अपने राजनयिक चैनल का भी उपयोग करे।

(सिफारिश क्रम संख्या 19)

20. सांसद आदर्श ग्राम योजना (एसएजीवाई) गांव

समिति इस बात पर चिंतित है कि एसएजीवाई के तहत केवल 60.82 प्रतिशत परियोजनाओं को ही पूरा दिखाया गया है। प्राथमिक कारण विशेष वित्तपोषण की कमी के कारण कार्यक्रम में रुचि की कमी और जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम के कार्यान्वयन में ज्यादा सक्रिय नहीं होना बताया गया है। समिति नोट करती है कि एसएजीवाई को 11 अक्टूबर, 2014 को देश भर में विकसित आदर्श ग्राम पंचायतों के सृजन के उद्देश्य से शुरू किया गया था, जो अनुसरण हेतु अन्य ग्राम पंचायतों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा, जिससे देश भर में समग्र विकास होगा। इस योजना के लिए किसी विशेष वित्त पोषण तंत्र की परिकल्पना नहीं की गई थी क्योंकि इसे भारत सरकार की पहले से कार्यान्वित कल्याणकारी योजनाओं की प्राथमिकता और तालमेल के माध्यम से चलाया जाना है। समिति एसएजीवाई की अवधारणा से अत्यधिक प्रभावित हुई है और योजना के समक्ष आने वाली बाधाओं को देखकर आश्चर्यचकित है। इस प्रकार का

दूरदर्शी दृष्टिकोण, जिसमें विभिन्न चालू योजनाओं का सामंजस्य शामिल है, को सक्रिय रूप से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ताकि एक निश्चित ग्राम पंचायत बिना किसी अतिरिक्त निधि के एक आदर्श ग्राम पंचायत के रूप में विकसित हो सके। उक्त के मद्देनजर, समिति ग्रामीण विकास विभाग से आग्रह करती है कि राज्य/जिला स्तर पर शामिल सभी हितधारकों के प्रभावी समन्वय के माध्यम से एसएजीवाई की अवधारणा को पुनर्जीवित करने के लिए अपने प्रयास को बढ़ाएं और एक विशिष्ट चैनल में प्राथमिकता के माध्यम से विभिन्न योजनाओं की सरकारी निधि का उपयोग करने के लिए अवधारणा को और भी लोकप्रिय बनाने का प्रयास करें।

(सिफारिश क्रम संख्या 20)

21. दिशा बैठकें

समिति को इस बात की जानकारी है कि जनप्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों की बातचीत के माध्यम से सरकार की विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर पैनी नजर रखने और उनकी प्रगति की निगरानी के लिए जिला और राज्य स्तरीय दिशा बैठकें क्रमशः 3 महीने और 6 महीने में एक बार आयोजित की जाती हैं। ऐसी बैठकों का एकमात्र उद्देश्य आम जनता के कल्याण के लिए सरकारी निधि के प्रभावी उपयोग की निगरानी करना है और इस तरह ये बैठकें बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी होती हैं। हालांकि, कई बार, समिति को दिशा बैठकों के अनिवार्य नियमित आयोजन में जिला/राज्य अधिकारियों द्वारा स्पष्ट अनियमितता और आकस्मिक दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराया गया है। कई बार माननीय सदस्य असहाय हो जाते हैं क्योंकि दिशा बैठकें आयोजित करने के लिए उनके बार-बार आग्रह को और उन पर प्रभावी अनुवर्ती कार्रवाई करने को उक्त अधिकारी अनसुना कर देते हैं। इसके अलावा, संबंधित अधिकारी भी इन बैठकों को दरकिनार करते हैं और उनके स्थान पर कनिष्ठ स्तर के अधिकारियों को भेजते हैं, जिन्हें क्षेत्र में कार्यान्वित की जा रही योजनाओं के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती है। 30 जनवरी तक, वर्ष 2022-23 के लिए जिला स्तर पर केवल 937 बैठकें, जबकि राज्य स्तर पर केवल 10 बैठकें ही आयोजित की गई हैं। चूंकि यह बहुत आवश्यक है कि माननीय सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्रों में भारत सरकार की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा करें, समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि ग्रामीण विकास विभाग को संबंधित अधिकारियों की उपस्थिति के साथ दिशा बैठकें नियमित रूप से आयोजित करने के लिए एक मजबूत तंत्र तैयार करना चाहिए और चूक करने वाले अधिकारियों की जवाबदेही निर्धारित करनी चाहिए।

(सिफारिश क्रम संख्या 21)

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा

कार्यकारी सभापति

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी

स्थायी समिति

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रत्येक योजना के लिए अव्ययित शेष राशि का ब्यौरा मनरेगा-: चालू वर्ष (31.12.2022 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल अव्ययित राशि निम्नानुसार दी गई है:

वित्त वर्ष 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान महात्मा गांधी नरेगा के तहत कुल अव्ययित शेष राशि निम्नानुसार है - (रु. करोड़ में)		
क्र.सं.	राज्यसंघ राज्य क्षेत्र/	अव्ययित शेष राशि *
1	आंध्र प्रदेश	5
2	बिहार	4
3	छत्तीसगढ़	63
4	गुजरात	219
5	ओडिशा	40
6	राजस्थान	193
7	उत्तर प्रदेश	165
8	उत्तराखंड	55
	कुल	744
* केवल 8 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में। शेष राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी एकत्र की जा रही है		

अब वित्त वर्ष 22-23 से यदि अव्ययित शेष कुल केंद्रीय रिलीज और राज्य के हिस्से के 25% से अधिक है, तो ऐसे में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई और केंद्रीय धनराशि जारी नहीं की जा रही है।

पीएमएवाईजी-:-

पीएमएवाईजी के तहत वित्तीय प्रगति और चालू वित्त वर्ष यानी 2022-23 के दौरान अव्ययित शेष (रु. लाख में)			
क्र.सं.	राज्य	निधि का जारी किया गया केंद्रीय अंश	अव्ययित शेष राशि
1	अरुणाचल प्रदेश	33.75	2985.24
2	असम	426975.00	227251.78
3	बिहार	742631.79	268222.51

4	छत्तीसगढ़	34422.99	59636.85
5	गोवा	0.00	658.25
6	गुजरात	45587.25	79050.27
7	हरियाणा	1485.09	8992.63
8	हिमाचल प्रदेश	3785.59	1111.92
9	जम्मू और कश्मीर	79538.90	40651.45
10	झारखंड	64573.53	66944.09
11	केरल	7029.12	4941.85
12	मध्य प्रदेश	479916.45	32289.40
13	महाराष्ट्र	83803.60	122507.49
14	मणिपुर	16113.96	9330.48
15	मेघालय	10643.65	11399.94
16	मिजोरम	786.32	4496.31
17	नागालैंड	5250.00	5573.80
18	ओडिशा	0.00	97640.24
19	पंजाब	7100.50	2430.71
20	राजस्थान	161813.75	48695.80
21	सिक्किम	0.00	11.10
22	तमिलनाडु	133491.40	119370.19
23	त्रिपुरा	95330.53	47835.54
24	उत्तर प्रदेश	167807.19	159838.88
25	उत्तराखंड	6500.00	7521.27
26	पश्चिम बंगाल	0.00	114307.35
27	अण्डमान और निकोबार	0.00	317.21
28	दादरा और नगर हवेली	0.00	4280.56
29	दमण और दीव	0.00	0.00
30	लक्षद्वीप	0.00	0.00
31	पुडुचेरी	0.00	0.00
32	आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
33	कर्नाटक	0.00	2605.81
34	तेलंगाना	0.00	0.00
35	लद्दाख	150.00	0.00
	कुल	2574770.36	1550898.91

पीएमजीएसवाई:-

20.01.2023 को पीएमजीएसवाई के तहत राज्य-वार अव्ययित राशि का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य और एजेंसी का नाम	सुरक्षा जमा को छोड़कर अव्ययित शेष (रु. करोड़ में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	14.13
2	आंध्र प्रदेश	124.79
3	आंध्र प्रदेश आरसीपीएलडब्ल्यूई	153.5925
4	अरुणाचल प्रदेश	-230.02
5	असम	248.92
6	बिहार (एनईए सहित)	564.89
7	बिहार-आरसीपीएलडब्ल्यूई	103.88
8	छत्तीसगढ़	463.285
9	छत्तीसगढ़ आरसीपीएलडब्ल्यूई	66.14
10	गुजरात	-51.175
11	हरियाणा	76.58451
12	हिमाचल प्रदेश	426.95
13	जम्मू और कश्मीर	373.28
14	झारखंड (एनईए सहित)	363.275
15	कर्नाटक	357.98
16	केरल	60.17
17	लद्दाख	11.4422
18	मध्य प्रदेश	1000.321
19	महाराष्ट्र	531.554
20	महाराष्ट्र- आरसीपीएलडब्ल्यूई	43.033
21	मणिपुर	29.42
22	मेघालय	-32.51
23	मिजोरम	-107.428
24	नगालैंड	-10.872
25	ओडिशा आरसीपीएलडब्ल्यूई	45.15
26	ओडिशा	481.16
27	पंजाब	46.6199
28	पुडुचेरी	12.36075

29	राजस्थान	227.336
30	सिक्किम	-71.808
31	तमिलनाडु	-57.53
32	तेलंगाना	84.935
33	तेलंगाना- आरसीपीएलडब्ल्यूई	58.7
34	त्रिपुरा	75.49
35	उत्तर प्रदेश	838.105
36	उत्तराखंड	292.89
37	पश्चिम बंगाल	194.19
कुल		6,809.23

डीएवाई-एनआरएलएम:-

वर्ष 2022-2023 के दौरान एनआरएलएम के तहत जारी राज्य-वार आवंटन (रु. करोड़ में)				
क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आवंटन	केंद्रीय रिलीज (31.12.22 की स्थिति के अनुसार)	31/12/2022* तक अव्ययित शेष
1	आंध्र प्रदेश	251.73	62.93	155.68
2	तेलंगाना	179.81	44.95	114.38
3	बिहार	1026.58	513.29	668.64
4	छत्तीसगढ़	228.01	57.00	24.18
5	गोवा	7.50	3.75	4.29
6	गुजरात	162.44	81.22	114.10
7	हरियाणा	95.57	47.78	62.75
8	हिमाचल प्रदेश	40.25	20.12	3.34
9	जम्मू और कश्मीर	180.17	90.08	66.43
10	झारखंड	387.08	290.31	227.81
11	कर्नाटक	325.87	81.47	143.58
12	केरल	146.22	73.11	97.33
13	मध्य प्रदेश	488.46	244.23	306.44
14	महाराष्ट्र	644.01	322.01	401.12
15	ओडिशा	493.59	370.19	257.05

16	पंजाब	46.44	23.22	26.61
17	राजस्थान	247.45	123.72	110.69
18	तमिलनाडु	381.57	190.79	357.98
19	उत्तर प्रदेश	1477.94	738.97	896.49
20	उत्तराखंड	77.81	58.36	32.00
21	पश्चिम बंगाल	548.53	137.13	207.13
22	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	9.00	0.00	0.10
23	दमण और दीव एवं दादरा और नगर हवेली	6.00	0.00	0.19
24	लक्षद्वीप	2.39	1.19	1.22
25	लद्दाख	13.19	0.00	0.62
26	पुडुचेरी	17.00	8.50	6.40
	कुल (गैर-पूर्वोत्तर)	7484.61	3584.34	4286.56
	पूर्वोत्तर राज्य			
1	अरुणाचल प्रदेश	132.26	33.06	57.83
2	असम	381.36	95.34	121.19
3	मणिपुर	125.38	31.35	42.88
4	मेघालय	169.28	84.64	49.47
5	मिजोरम	156.72	0.00	34.02
6	नागालैंड	177.94	0.00	7.79
7	सिक्किम	66.49	16.62	18.96
8	त्रिपुरा	241.62	60.41	98.86
	कुल (पूर्वोत्तर)	1451.05	321.42	431.00
	कुल योग	8935.66	3905.76	4717.56

* 4717.56 करोड़ रुपये में से (अथ शेष+केंद्रीय शेयर+राज्य का हिस्सा), 2866.42 करोड़ रुपये (केंद्रीय शेयर+राज्य का हिस्सा) राज्य कोषागारों द्वारा एसआरएलएम (कार्यान्वयन एजेंसियों) को जारी किया जाना बाकी है।

डीडीयू-जीकेवाई कौशल: डीडीयू-जीकेवाई के लिए कोई राज्य-वार वार्षिक आवंटन नहीं किया जाता है क्योंकि यह योजना एक मांग आधारित योजना है।

आरएसईटीआई: - आरएसईटीआई के तहत राज्य-वार आवंटन नहीं होता है। आरएसईटीआई योजना के तहत धन सभी राज्यों के लिए एक साथ आवंटित किया जाता है और प्रतिपूर्ति मोड में

मांग/वास्तविक प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाता है। 27.01.2023 को चालू वित्त वर्ष के दौरान अव्ययित शेष राशि के संबंध में एक सारणीबद्ध विश्लेषण नीचे दिया गया है:

(राशि करोड़ रु. में)

वित्त वर्ष	बजट अनुमान/संशोधित अनुमान	वास्तविक	अव्ययित शेष राशि
2022-23	250.00	94.63	155.37

एनएसएपी:- दिनांक 24.01.2023 तक उपार्जित अव्ययित शेष राशि का राज्य/संघ राज्य-वार विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2022-23 में अव्ययित शेष (24-01-2023 की स्थिति के अनुसार) (रु. लाख में)
1	आंध्र प्रदेश	0.00
2	बिहार	13185.87
3	छत्तीसगढ़	0.00
4	गोवा	0.00
5	गुजरात	0.00
6	हरियाणा	4947.55
7	हिमाचल प्रदेश	0.00
8	झारखंड	0.00
9	कर्नाटक	13488.00
10	केरल	0.00
11	मध्य प्रदेश	13096.37
12	महाराष्ट्र	10342.80
13	ओडिशा	0.00
14	पंजाब	191.79
15	राजस्थान	5792.48
16	तमिलनाडु	6974.00
17	तेलंगाना	0.00
18	उत्तर प्रदेश	14101.57
19	उत्तराखंड	0.00
20	पश्चिम बंगाल	0.00
	कुल योग	82120.44

पूर्वोत्तर राज्य		
21	अरुणाचल प्रदेश	0.00
22	असम	0.00
23	मणिपुर	0.00
24	मेघालय	988.11
25	मिजोरम	8.00
26	नागालैंड	0.00
27	सिक्किम	150.27
28	त्रिपुरा	0.00
	कुल योग	1146.38
संघ राज्य क्षेत्र		
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	134.35
30	छत्तीसगढ़	8.99
31	दादरा और नगर हवेली एवं डी एंड डी	91.68
32	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	0.00
33	जम्मू और कश्मीर	0.00
34	लद्दाख	31.71
35	लक्षद्वीप	2.84
36	पुडुचेरी	0.00
	कुल योग	269.57
	सकल योग	83536.39

एसपीएमआरएम :-

रु. करोड़ में						
क्र.सं.	राज्य	केंद्रीय अंश	राज्य अंश	राज्यों के पास कुल सीजीएफ	दिनांक 24.01.23 की स्थिति के अनुसार एमआईएस में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित व्यय	अव्ययित शेष
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	22.490	0.000	22.490	6.080	16.410
2	आंध्र प्रदेश	113.400	75.600	189.000	165.090	23.910
3	अरुणाचल प्रदेश	18.900	2.100	21.000	17.460	3.540
4	असम	81.420	9.047	90.467	64.490	25.977
5	बिहार	59.400	39.600	99.000	40.110	43.007
6	छत्तीसगढ़	185.105	123.403	308.508	266.220	42.288
7	दादरा और नगर और दमन दीव	18.000	-	18.000	5.350	9.320
8	गोवा	5.400	3.600	9.000	0.000	9.000
9	गुजरात	116.265	77.510	193.776	136.100	57.676
10	हरियाणा	103.747	69.164	172.911	133.600	39.311
11	हिमाचल प्रदेश	53.122	5.902	59.025	39.630	19.395
12	जम्मू और कश्मीर	16.200	1.800	18.000	9.140	3.014
13	झारखंड	88.932	59.288	148.219	113.800	34.419
14	कर्नाटक	61.270	40.847	102.117	92.980	9.137
15	केरल	127.790	85.193	212.983	205.810	7.173
16	लद्दाख	8.550	0.412	8.962	6.300	0.129
17	लक्षद्वीप	9.000	-	9.000	0.850	0.420
18	मध्य प्रदेश	106.650	71.100	177.750	125.230	52.520
19	महाराष्ट्र	103.062	68.708	171.769	169.030	2.739
20	मणिपुर	41.850	4.650	46.500	37.300	9.200
21	मेघालय	35.825	3.981	39.806	36.750	3.056
22	मिजोरम	53.120	5.902	59.022	51.760	7.262
23	नागालैंड	12.150	1.350	13.500	13.500	0.000

24	ओडिशा	92.220	61.480	153.700	125.370	1.013
25	पुडुचेरी	33.280	-	33.280	17.670	15.610
26	पंजाब	118.460	78.973	197.433	169.020	28.413
27	राजस्थान	118.180	78.787	196.967	179.480	17.487
28	सिक्किम	40.480	4.498	44.978	38.990	5.988
29	तमिलनाडु	167.590	111.727	279.317	267.080	12.237
30	तेलंगाना	172.221	114.814	287.035	215.830	71.205
31	त्रिपुरा	108.290	12.032	120.322	95.340	24.982
32	उत्तर प्रदेश	279.781	186.521	466.302	405.430	60.872
33	उत्तराखंड	84.375	9.375	93.750	86.110	7.640
34	पश्चिम बंगाल*			0.000	0.000	
कुल		2656.525	1407.363	4063.888	3336.900	664.349

* मंत्रालय के निदेशानुसार पश्चिम बंगाल ने भारत की संचित निधि में निधियों को लौटाया है।

अनुबंध-दो

दिनांक 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई-1 की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है-

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	67	103.28	0	25	53.33	0	42	49.15	0
2	आंध्र प्रदेश	4,438	13,768.10	254	4,417	13,231.66	247	21	101.3	7
3	अरुणाचल प्रदेश	1,308	13,833.06	230	1,184	12,662.19	166	124	1,140.34	64
4	असम	8,365	26,942.91	1,333	8,259	26,723.20	1,260	106	74.89	73
5	बिहार	17,565	55,138.00	1,212	17,313	52,576.75	1,096	252	697.53	116
6	छत्तीसगढ़	7,825	34,671.88	346	7,536	32,493.18	340	289	1,025.76	6
7	गोवा	70	155.85	0	70	155.33	0	0	0	0
8	गुजरात	4,413	11,535.32	48	4,413	11,397.03	48	0	0	0
9	हरियाणा	426	4,572.10	0	426	4,565.22	0	0	0	0
10	हिमाचल प्रदेश	3,466	20,603.34	103	3,285	19,578.14	93	181	715.06	10
11	जम्मू और	3,094	18,373.77	232	2,660	17,130.57	168	434	924.75	64

	कश्मीर									
12	झारखंड	7,237	25,546.97	499	7,171	24,761.85	471	66	167.47	28
13	कर्नाटक	3,277	16,359.37	36	3,277	16,357.16	36	0	0	0
14	केरल	1,374	3,308.37	1	1,357	3,224.64	1	17	56.35	0
15	मध्य प्रदेश	18,950	75,945.10	658	18,928	72,926.71	608	22	70.62	50
16	महाराष्ट्र	5,610	24,782.81	685	5,593	24,145.30	666	17	69.4	19
17	मणिपुर	1,858	11,347.94	208	1,666	10,288.69	121	192	1,051.3	87
									1	
18	मेघालय	1,080	4,265.23	100	925	3,684.01	68	155	561.23	32
19	मिजोरम	345	4,288.48	0	296	4,178.31	0	49	93.71	0
20	नागालैंड	343	4,154.45	48	321	4,070.11	41	22	84.7	7
21	ओडिशा	15,826	61,122.41	525	15,775	58,566.17	503	51	172.82	22
22	पंजाब	1,050	6,937.21	0	1,050	6,912.44	0	0	0	0
23	राजस्थान	16,804	66,045.98	26	16,804	63,772.67	25	0	0	1
24	सिक्किम	961	4,794.50	99	870	4,488.88	52	91	246.19	47
25	तमिलनाडु	7,678	16,319.53	97	7,678	16,168.40	97	0	0	0
26	त्रिपुरा	1,361	4,931.29	63	1,310	4,571.51	52	51	187.97	11
27	उत्तर प्रदेश	17,577	50,331.53	0	17,575	49,427.03	0	2	9.7	0
28	उत्तराखंड	2,298	19,371.45	361	2,013	18,264.58	166	285	918.46	195
29	पश्चिम बंगाल	7,002	34,523.54	36	6,897	33,976.59	30	105	243.37	6
30	तेलंगाना	2,924	10,191.86	284	2,895	9,825.95	275	29	142.55	9
31	लद्दाख	129	1,128.12	2	113	935.56	2	16	172.49	0
	कुल	164,72	645,393.7	7,48	162,10	621,113.1	6,63	2,61	8,977.1	854
		1	7	6	2	2	2	9	0	

2. 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार पीएमजीएसवाई-II की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा निम्नानुसार है:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या
1	अण्डमान और निकोबार	48	96.66	0	0	0	0	48	96.66	0
2	आंध्र प्रदेश	174	1,330.95	2	174	1,290.42	2	0	0	0
3	अरुणाचल प्रदेश	80	550.91	7	75	508.75	7	5	37.83	0
4	असम	250	1,721.48	65	221	1,714.26	48	29	7.11	17
5	बिहार	345	2,456.47	103	333	2,425.70	89	12	19.91	14
6	छत्तीसगढ़	179	2,240.71	0	179	2,200.54	0	0	0	0
7	गुजरात	109	1,180.31	40	109	1,171.81	40	0	0	0
8	हरियाणा	88	1,042.24	18	88	1,015.74	18	0	0	0
9	हिमाचल प्रदेश	112	1,251.16	1	84	1,156.18	1	28	89.69	0
10	जम्मू और कश्मीर	121	679.55	7	94	651.24	5	27	17.58	2
11	झारखंड	165	1,641.81	6	165	1,633.19	5	0	0	1
12	कर्नाटक	314	2,241.18	11	314	2,218.16	11	0	0	0
13	केरल	149	582.89	3	137	547.61	1	12	30.28	2
14	मध्य प्रदेश	374	4,984.50	245	368	4,884.52	235	6	15.85	10
15	महाराष्ट्र	385	2,618.91	108	384	2,585.91	108	1	1.61	0
16	मणिपुर	55	325	3	31	240.21	1	24	84.67	2
17	मेघालय	94	489.96	12	57	386.21	1	37	100.58	11
18	मिजोरम	6	194.25	0	1	63	0	5	130.75	0
19	नागालैंड	13	227.6	5	2	104.7	4	11	122.9	1

20	ओडिशा	636	3,672.39	30	633	3,648.06	29	3	4	1
21	पांडिचेरी	45	106.13	0	0	28.51	0	45	77.62	0
22	पंजाब	123	1,342.82	7	123	1,330.80	7	0	0	0
23	राजस्थान	401	3,464.26	6	401	3,468.63	6	0	0	0
24	सिक्किम	34	120.99	0	20	110.5	0	14	9.66	0
25	तमिलनाडु	860	2,940.42	34	860	2,936.47	34	0	0	0
26	त्रिपुरा	42	307.23	1	23	220.01	0	19	85.41	1
27	उत्तर प्रदेश	963	7,614.28	2	963	7,508.67	2	0	0	0
28	उत्तराखंड	112	905.83	7	99	887.6	0	13	14.1	7
29	पश्चिम बंगाल	291	2,518.25	22	280	2,466.21	8	11	38.78	14
30	तेलंगाना	114	944.08	17	114	896.02	17	0	0	0
31	लद्दाख	13	79.33	1	11	77.84	1	2	1.6	0
	कुल	6,695	49,872.54	763	6,343	48,377.45	680	352	986.58	83

3. दिनांक 20.01.2023 की स्थिति के अनुसार आरसीपीएलडब्ल्यूईए की वास्तविक प्रगति का ब्यौरा:

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	194	1,557.99	45	124	935.9	14	70	603.73	31
2	बिहार	153	1,980.80	82	85	1,439.60	46	68	526.05	36
3	छत्तीसगढ़	386	3,093.73	88	197	1,781.83	11	189	1,298.56	77
4	झारखंड	303	2,407.96	207	79	1,211.34	66	224	1,194.35	141
5	मध्य प्रदेश	37	346.15	46	3	48.89	14	34	296.21	32
6	महाराष्ट्र	46	619.68	108	14	251.01	71	32	368.67	37
7	ओडिशा	52	528.85	2	27	371.34	0	25	156.13	2
8	उत्तर प्रदेश	25	541.3	11	19	372.33	3	6	168.5	8

9	तेलंगाना	146	1,023.70	112	3	306.89	21	143	716.05	91
कुल		1,342	12,100.14	701	551	6,719.12	246	791	5,328.25	455

4. दिनांक 20.01.2023 को पीएमजीएसवाई-III की वास्तविक प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या (कि.मी. में)	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी. में)	पुलों की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	298	2,308.58	2	188	1,461.30	0	110	801.45	2
2	असम	584	3,755.96	56	251	2,417.55	0	333	1,333.73	56
3	बिहार	712	6,000.67	195	9	349.17	1	703	5,651.06	194
4	छत्तीसगढ़	534	5,605.61	112	463	5,530.17	9	71	51.7	103
5	गुजरात	304	3,015.37	0	158	1,857.25	0	146	1,125.86	0
6	हरियाणा	259	2,496.33	0	182	1,942.36	0	77	535.93	0
7	हिमाचल प्रदेश	45	440.18	0	0	0	0	45	440.18	0
8	जम्मू और कश्मीर	155	1,272.44	0	0	0	0	155	1,272.44	0
9	झारखंड	444	4,085.48	143	0	93.95	0	444	3,991.53	143
10	कर्नाटक	826	5,607.85	116	446	4,146.65	61	380	1,394.28	55
11	केरल	143	686.23	0	7	71.1	0	136	612.78	0
12	मध्य प्रदेश	1,077	12,364.56	606	543	9,322.97	180	534	2,952.22	426
13	महाराष्ट्र	842	5,477.56	0	3	89.96	0	839	5,386.39	0
14	ओडिशा	1,408	9,400.08	92	358	4,251.23	3	1,050	5,106.12	89
15	पंजाब	206	2,083.99	16	33	646.2	0	173	1,434.95	16
16	राजस्थान	643	6,156.45	6	559	5,559.56	2	84	544.93	4
17	तमिलनाडु	1,154	4,448.54	0	826	3,042.08	0	328	1,386.25	0
18	त्रिपुरा	32	231.64	0	0	0	0	32	231.64	0

19	उत्तर प्रदेश	2,507	18,563.01	4	834	7,068.32	4	1,673	11,384.16	0
20	पश्चिम बंगाल	144	857.26	0	0	0	0	144	857.26	0
21	तेलंगाना	356	2,395.84	100	78	1,073.82	0	278	1,303.62	100
	कुल	12,673	97,253.63	1,448	4,938	48,923.63	260	7,735	47,798.46	1,188

अनुबंध-तीन**ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)**

समिति की गुरुवार, 09 फरवरी, 2023 को आयोजित पांचवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1600 बजे से 1730 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध(पीएचए), नई दिल्ली में आयोजित हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य**लोक सभा**

2. श्री ए.के.पी. चिनराज
3. श्री विजय कुमार दुबे
4. श्री नरेन्द्र कुमार
5. श्री जनार्दन मिश्र
6. डा तालारी रंगैय्या
7. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
9. डॉ. आलोक कुमार सुमन
10. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

11. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
12. श्रीमती शांता क्षत्री
13. श्री ईरण्ण कडाडी
14. श्री नारण भाई जे. राठवा

सचिवालय

1. श्री डी. आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी. कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री विनय पी. बरवा - उप सचिव

ग्रामीण विकास विभाग के प्रतिनिधि
(ग्रामीण विकास मंत्रालय)

1. श्री शैलेश कुमार सिंह	:	सचिव
2. डॉ. आशीष गोयल	:	अपर सचिव (आरडी) और डीजी (एनआईआरडी एंड पीआर)
3. डॉ. जी नरेंद्र कुमार	:	डीजी (एनआईआरडी एंड पीआर)
4. श्री चरणजीत सिंह	:	अपर सचिव (आरएल)
5. श्री के.आर. मीणा	:	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
6. श्री प्रवीण महतो	:	मुख्य आर्थिक सलाहकार
7. श्री अमित शुक्ला	:	संयुक्त सचिव
8. श्री अमित कटारिया	:	संयुक्त सचिव
9. श्री नवीन कुमार शाह	:	संयुक्त सचिव
10. सुश्री नीता केजरीवाल	:	संयुक्त सचिव
11. श्री कर्मा जिम्पा भूटिया	:	संयुक्त सचिव
12. सुश्री स्मृति शरण	:	संयुक्त सचिव
13. श्री गया प्रसाद	:	उप महानिदेशक
14. श्री आर.डी. चौहान	:	मुख्य लेखा नियंत्रक
15. सुश्री कल्याणी मिश्रा	:	आर्थिक सलाहकार

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के उपरांत, सभापति ने विभाग का ध्यान आकर्षित किया कि यहां हुई चर्चाओं को गोपनीय समझा जाए और समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाए। इसके बाद सभापति ने वर्ष 2023-24 के लिए विभाग की योजना-वार निधि आवंटन के बारे में मोटे तौर पर उल्लेख किया और सचिव से योजनाओं

के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजटीय आवंटन में भिन्नताओं के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन, विभिन्न वर्षों में निधियों के आवंटन और उपयोग और मनरेगा, पीएमजीएसवाई, डीएवाई-एनआरएलएम, पीएमएवाई-जी आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

4. इसके बाद, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभाग द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न उठाए, जिनका उनके द्वारा उत्तर दिया गया।

5. तत्पश्चात्, सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए अनुत्तरित प्रश्नों, जिनके उत्तर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, के लिखित उत्तर तीन दिनों के भीतर सचिवालय को भेजे जाएं।

[तत्पश्चात् साक्षी चले गए।]

कार्यवाही का शब्दशः रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात् समिति की बैठक स्थगित हुई।

अनुबंध-चारग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)समिति की सोमवार, 13 मार्च, 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्घरण

समिति की बैठक 1500 बजे से 1555 तक नई समिति कक्ष संख्या '1', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री नारणभाई जे राठवा - कार्यकारी सभापति

सदस्यलोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री राजवीर दिलेर
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री नरेन्द्र कुमार
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
9. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
- 10.डा. आलोक कुमार सुमन
- 11.श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

- 12.श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
- 13.श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
- 14.श्रीमती शांता क्षत्री
- 15.श्री राम शकल
- 16.श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री विनय पी. बर्वा - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, समिति ने सभापति की अनुपस्थिति में लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 258(3) के अंतर्गत समिति के सदस्य श्री नारणभाई जे. राठवा को समिति की बैठक में सभापति के रूप में कार्य करने हेतु चुना। माननीय कार्यकारी सभापति ने ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) XXXX XXXX XXXX XXXX तथा XXXX XXXX XXXX XXXX से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी XXXX प्रारूप प्रतिवेदनों XXXX XXXX XXXX XXXX पर विचार करने और उन्हें स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित XXXX प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(एक) ग्रामीण विकास विभाग (ग्रामीण विकास मंत्रालय) की अनुदान मांगे (2023-24);

(दो) XXXX XXXX XXXX

(तीन) XXXX XXXX XXXX

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेदनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हें संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

XXXX प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है